पंचम माला, खंड 61, अंक 36
Fifth Series, Vol. LXI, No. 36

सोमवार, 10 मई, 1976/20 वैशाख, 1898 (शक)
Monday, May 10, 1976/Vaisakha 20, 1898 (Saka)

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# LOK SABHA DEBATES

[ सोलहवा सत्र
Sixteenth Session ]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[ खंड 61 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 31 to 40 ]

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी / हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc., in English/Hindi].

# विषय सूची/CONTENTS

**अंक 35, सोमवार, 10 मई, 1976/20 वैशाख, 1898 (शक)**

*No.* 35, *Monday, May* 10, 1976/*Vaishakha* 20, 1898 (*Saka*)


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 732 से 738, 741, 742, 743 और 745 | *Starred Questions Nos. 732 to 738, 741, 742, 743 and 745. | 1-20 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 731, 740, 744 और 746 से 750 | Starred Questions Nos. 731, 740, 744 and 746 to 750. | 20-25 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 3599 से 3618 और 3620 से 3697 | Unstarred Questions Nos. 3599 to 3618 and 3620 to 3697. | 25-83 |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** | PAPERS LAID ON THE TABLE | 84 |
| **अनुदानों की मांगें—1976-77** | DEMANDS FOR GRANTS—1976-77 | 85-133 |
| **पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय—** | Ministry of Tourism and Civil Aviation— | |
| श्री पार्वती कृष्णन | Shrimati Parvathi Krishnan | 85-88 |
| श्री डी० पी० जदेजा | Shri D. P. Jadeja | 100-102 |
| श्री आर० वी० स्वामीनाथन | Shri R. V. Swaminathan | 102-103 |
| श्री मोहम्मद इस्माईल | Shri Mohammad Ismail | 103 |
| श्री नरेन्द्र कुमार सांघी | Shri N. K. Sanghi | 103-104 |
| श्री सी० एच० मोहम्मद कोया | Shri C. H. Mohamed Koya | 104-105 |
| श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान | Shri Md. Jamilurrahman | 105-106 |
| श्री बनमाली पटनायक | Shri Banmali Patnaik | 106-107 |


*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.



1—1LSS/76

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| श्री सुरेन्द्र पाल सिंह | Shri Surendra Pal Singh | 107-110 |
| श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट | Shri Narendra Singh Bisht | 110-111 |
| श्री ओंकार लाल बेरवा | Shri Onkar Lal Berwa | 111 |
| श्री विश्वनारायण शास्त्री | Shri Biswanarayan Shastri | 111-113 |
| श्री कुशोक बाकुला | Shri Kushok Bakula | 113 |
| श्री जगन्नाथ मिश्र | Shri Jagannath Mishra | 113-114 |
| श्री मूल चन्द डागा | Shri M. C. Daga | 114 |
| श्री वसंत साठे | Shri Vasant Sathe | 115 |
| श्री आर० एस० पांडे | Shri R. S. Pandey | 115 |
| श्री रणबहादुर सिंह | Shri Ranabahadur Singh | 115-116 |
| श्री राज बहादुर | Shri Raj Bahadur | 116-124 |
| इस्पात और खान मंत्रालय— | Ministry of Steel and Mines | |
| श्री कृष्ण चन्द्र हलदर | Shri Krishna Chandra Halder | 125-128 |
| सरदार स्वर्ण सिंह सोखी | Sardar Swaran Singh Sokhi | 128-129 |
| श्री ओ० व्ही० अलगेशन | Shri O. V. Alagasan | 129-131 |
| श्री डी० के० पांडा | Shri D. K. Panda | 131-133 |
| श्री जगन्नाथ मिश्र | Shri Jagannath Mishra | 133 |

# लोक-सभा
# LOK SABHA

**सोमवार, 10 मई, 1976/20 वैशाख 1898 (शक)**
Monday, May 10, 1976/Vaisakha 20, 1898 (Saka)

---

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the Chair ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि और सिंचाई परिव्यय

*732. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि और सिंचाई को राज्यों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों क्षेत्रों में राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितना परिव्यय हुआ है ?

**कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) राज्य योजनाओं में कृषि और सिंचाई को दी गई प्राथमिकता परिलक्षित होती है । इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में 20-सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार योजना में अतिरिक्त आंबटन भी किया गया है ।

(ख) कृषि और सम्बध्द क्षेत्रों के लिये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की 1976-77 की वार्षिक योजनाओं का कुल स्वीकृत परिव्यय 476.22 करोड़ रुपये और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए कुल स्वीकृत परिव्यय 672.41 करोड़ रुपये है ।

**श्री पी० गंगादेव** : अब जबकि प्रधान मन्त्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की आरम्भिक अवस्था सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है और अब इस सम्बन्ध में और भी प्रगति हो रही है

तो मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि खाद्यान्न और खाद्य उत्पादों के मूल्य स्थिर करने के लिये केन्द्र ने राज्यों को ऐसे कोन से निर्देश दिये है कि मूल्यों के बढ़ते स्तर पर नियन्त्रण किया जा सके ?

**श्री आण्णासाहिब पी० शिन्दे** : मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य यह क्यो कह रहें है कि कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है । कुछ मौसम के अनुसार मूल्यों में घट बढ़ होती ही है । किन्तु पहले मैं यह सदन के सामने स्पट कर चुका हूं कि दालों और खाद्यान्न के मूल्यों में पिछले वर्ष की तुलना में 24 से 25 प्रतिशत की कमी आई है । सरकार स्वयं ही कृषि वस्तुओं के मूल्यों को इतना कम नहीं होने देना चाहती कि कृषि उत्पादन पर उसका बुरा प्रभाव पड़े ।

**श्री पी० गंगादेव** : मैं यह भी पुछना चाहता हूं कि नये कार्यक्रम के अन्तर्गत, विशेषकर आपात स्थिति लागू होने के पश्चात् विभिन्न राज्यों द्वारा अधूरी छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को एक निश्चित अवधि में शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये है तथा इन सभी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय जल आयोग की सेवाओं का किस सीमा तक उपयोग किया गया है ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : जैसा कि सदन को पता है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना के चार वर्षों में [मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से और 50 लाख हेक्टर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने की योजना है । पिछले वर्ष राज्य सरकारों को दी गई अतिरिक्त सहायता 57 करोड़ रुपये थी । राज्य सरकारें भी इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठा रही हैं । जहां तक केन्द्रीय जल और साहित्य आयोग का सम्बन्ध है वह केवल योजनाओं की स्वीकृति देती हैं कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

**श्री डी० एन० तिवारी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लम्बे अरसे से चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय लिया गया है । अगर ऐसा है तो क्या सरकार उत्तरी विहार में 8–10 वर्षों से चल रही गंडक परियोजना को शीघ्र ही पूरा करने के लिये कदम उठायेगी ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : मैं माननीय सदस्य की भावना से पूरी तरह सहमत हूं । वास्तव में हर राज्य में अनेक परियोजनाएं आरम्भ कर दी जाती है और यह स्वाभाविक है कि उपरि-व्यय बढ़ जाता है । हमने राज्यों को यह सुझाव दिया है कि वह उन्हें शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का प्रयास करे ताकि उसके व्यय में वृद्धि न हो और इस परियोजना से जल्दी से जल्दी लाभ उठाया जा सके ।

**श्री बसन्त साठे** : विदर्भ क्षेत्र की अनेक सिंचाई परियोजनाएं है जहां केवल ड्राई फार्मिग होती है अतः सिंचाई की सम्भावनाएं कुओं से होती है । अनेक किसानों ने कुएं खोदे है, पम्प लगाये है किन्तु विजली प्राधिकरण बिजली देने के लिये प्रति खम्मा कुछ राशि विशेष की मांग कर रह है इन पम्पों को बिजली देने से होने वाले अनेक लाभ हैं । मै मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार किसानों को यह सुविधायें दिलवाने के लिये उनकी सहायता करेगी ताकि सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की जा सके ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : हमारे पास उनके लिये कोई विशेष योजना नहीं है । ऐसी समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व हैं ।

**श्री वसन्त साठे :** वह कहते है यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है । एक छोटी सिंचाई योजना के लिये केन्द्रीय सरकार कुछ वित्तीय सहायता देती है । वह कहते है कि जब तक उस योजना की स्वीकृति नहीं मिल जाती वह सहायता नहीं कर सकेंगे ।

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** संसाधनों के अभाव में अनेक बिजली बोर्ड वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं । इसलिये हम अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहे है । मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि शर्तें इतनी कठिन न हो कि वह उत्पादन पर बुरा प्रभाव डाले और किसान बिजली प्राप्त न कर सके । यदि माननीय सदस्य मेरे सामने कोई मामला लाते हैं तो मैं राज्य सरकार के साथ उस सम्बन्ध में बात करूंगा ।

**Shri Kamla Mishra 'Madhukar' :** Mr. Speaker Sir, it is a good thing that 5 million hectares of land is envisaged to be brought under irrigation under the 20-point programme. But it has been noticed that irregularities are being committed in cases of 20-point programme. I want to know whether the Central Government have evolved any machinery to see that the funds given for augmenting the irrigation facilities under the 20-point programme are utilised properly and whether there is any provision for the co-operation of the members of Parliament and M.L.As of the respective areas ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों का विषय हैं । मैंने बताया है कि पिछले वर्ष 57 करोड़ रूपये की धनराशि अतिरिक्त सहायता के लिये दी गई थी । किन्तु सामान्यतया योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये राज्यों की योजनाओं में धनराशि की व्यवस्था की जाती है । हम राज्य सरकारों को यह सलाह देते हैं कि जहां भी मुख्य परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा हो उसमें सार्वजनिक सहयोग लिया जाये । किन्तु यह तो राज्य सरकारों पर निर्भर करता है । आप इस बात को समझेंगे कि हम इस मामले में राज्य सरकारों को निर्देश नहीं दे सकते . . . (व्यवधान)

**श्री जगन्नाथ राव :** प्रधान मन्त्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वियन के लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य में राजस्व विभाग और कृषि विभाग में समन्वय है कि जब अतिरिक्त भूमि का अवंटन किया जाये तो कृषि विभाग जाकर भूमि की जांच करे और जिसे भूमि मिली है उसे यह बताये कि उस भूमि पर कौन सी फसल उगाई जा सकती है ?

दूसरा, पहले श्री जगजीवनराम बता चुके है कि जिन्हें भूमि दी गई है उन्हें 500 रुपये भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये तथा 500 रुपये अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये दिये गये है क्या यह राशि राज्य सरकारों को भूमि प्राप्त कर्ताओं में वितरित करने के लिये दी जाती है ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** सबसे पहले तो पांचवी योजना में इन भूमि प्राप्तकर्ताओं की सहायता के लिये केन्द्रीय योजना में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । शेष धनराशि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से संस्थागत वित्त के रूप में दी जायेगी । यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी किसान धनाभाव के कारण अपनी भूमि का उपयोग करने से न रह जाये । हमने मुख्य मन्त्रियों अथवा मुख्य सचिवों के अन्तर्गत सलाहकार समितियों बनाने का भी सुझाव दिया है ताकि प्रभावकारी समन्वय हो सके तथा भूमि प्राप्तकर्ताओं को कोई कठिनाई न हो ।

**Shri Ramavatar Shastri :** Mr. Speaker Sir, whether the State Governments have formulated any time bound programme for the irrigation and agricultural development under the 20-point programme ? If so. the details thereof ? If not, the reaction of the Government thereto and in what way it is being implemented ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** जहा तक सिंचाई का सम्बन्ध है, यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम में ही कहा गया है कि 50 लाख हेकटर अतिरिक्त भूमि के लिये मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं बनाई जायेगी । इसके अतिरिक्त 60 लाख हेकटर भूमि के लिये छोटी सिंचाई योजनाओं से सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी ।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है सभी योजनाओं का उत्पादन लक्ष्यों आदि से सम्बन्ध है और जब योजना आयोग तथा मेरे मन्त्रालय द्वारा राज्यसरकारो से वार्षिक योजना पर बहस होती है तो विशेष कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं ।

**Shri Paripoornanand Painuli :** Mr. Speaker Sir, I want to know from the honourable Minister that whether Government propose to prepare any scheme to fully utilise the ground water and subterranean water ? Secondly, from Kashmir to Meghalaya — the Himalayan terai, where tubewells cannot be installed, there is a need for deep digging there. I have written letters to the Prime Minister as also to the Agriculture Minister about it. Whether you have got any proposal for utilising under ground water in this entire area, by pooling the means at the disposal of underground water survey, Geological survey of India and O.N.G.C. whether the area will be without water despite 20-point programme,

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** केन्द्र में एक भूमिगत जल विंग है और भूमिगत जल के संसाधनों से जल प्राप्त करने के लिये मन्त्रालय के एक्सपलोरेटरी बिंग कार्य किया जा रहा है । अब, भूमिगत जल के लिये काफी क्षेत्र बड़े का सर्वेक्षण किया गया है ।

जहां तक रिगों का सम्बन्ध है भारत में इनका उत्पादन किया जा रहा है अत: इनके बारे में कोई कठिनाई नहीं है परन्तु जहां कहीं इनकी कमी होती है हम आयात की अनुमति देते है । अत: रिगों और भूमिगत जल संसाधनों की खोज सम्बन्धी सामग्री का आभाव नहीं है । शेष राज्य योजनाओं के अन्तर्गत आता है ।

**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

### भू-जल के उपयोग के लिए राज्य भू-जल संगठनों का सुदृढ़ बनाया जाना

*733. **श्री भाऊसाहिब धामनकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी कृषि-योग्य भूमि को खेतो के अंतर्गत लाने और कृषि कार्यों को वर्षा की कृपा-दृष्टि पर कम निर्भर करने के लिए राज्य भू-जल संगठनों को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों को आवश्यकतानुसार अनुदान उपलब्ध करने के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना है; और

(ख) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने इस बारे में विकास योजनाएं बनाने के लिए कोई जांच पड़ताल की है और आंकड़े एकत्र किये हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

(क) जी हां । राज्यों में भूमिगत और सतही जल के लघु सिंचाई संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना हाल ही में मंजूर की गई है । इस योजना के अतर्गत राज्यों के संगठनों को विशिष्ट क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां वे इस समय मजबूत नहीं हैं, मजबूत बनाने के लिये राज्यों को समान आधार पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा, ताकि ये संगठन सर्वेक्षण, नियोजन और लघु सिंचाई के विकास संबंधी कार्य दक्षतापूर्ण ढंग से कर सकें ।

(ख) केन्द्रीय भूमिगत जल मंडल टोस तकनीकी आधार पर भूमिगत जल योजनाओं का नियोजन और क्रियान्वयन करने के लिए सूक्ष्म स्तर पर भू-जल विज्ञान संबंधी अन्वेषण कर रहा है । आशा है कि यह मंडल पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सर्वेक्षणों के अंतर्गत लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लायेगा, जबकि पिछले 25 वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लाया गया था । इसके अतिरिक्त, मंडल ने भूमिगत जल योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिये व्यापक पद्धति एवं मानदण्डों के विकास के दृष्टि से सीमित प्रमुख बेसिनों में संसाधनों के मूल्यांकन के लिए विशेष परियोजनाएं प्रारभ की है । एसी दो परियोजनाए पूरी हो चुकी है और इस समय छ: परियोजनाएं चालू है ।

**श्री धामनकर :** विवरण में कहा गया है कि इस योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य अंशदान के रूप में आना चाहिए ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी राज्यों में भू-जल संगठन है , क्या उन्होंने योजना को ले लिया है तथा क्या किसी राज्य में योजना क्रियान्वित की जाती है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं ।

**श्री शाहनवाज खां :** यह योजना अभी हाथ ही में आरम्भ की गई है और यह वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई है । अब तक हमें नौ प्रस्ताव मिले हैं किन्तु वास्तविक क्रियान्विति आरम्भ नहीं हुई है ।

**श्री धामनकर :** विवरण में यह कहा गया है कि ऐसी दो परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और इस समय छ: योजनाए हाथ में हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वे दो और छ: योजनाएं कौन सी हैं तथा क्या यह योजना सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा सकती है ? क्या जहां सख्त चट्टान हैं वहां नलकूप सम्भव नहीं हैं ।

**श्री शाहनवाज खां :** जो योजनाएं केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने यू० एन० डी० पी० की सहायता से पूरी की है, वे राजस्थान, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में है । आन्ध्र प्रदेश में सख्त चट्टानें तोड़नी पड़ती हैं । हम वहां सख्त चट्टानों में छिद्रण कर रहे हैं और हमें सख्त चट्टान के नीचे पानी मिलने में सफलता मिली है ।

**श्री धामनकर :** कौन सी अन्य छ: योजनाएं हाथ में है ?

**श्री शाहनवाज खां :** कोयम्बतूर मे नोइल, पुनाई और अमरावती नदी बेसिन परियोजनाएं हैं तथा अन्यत्र ताजवाला, ओखला सहित अपर यमुना परियोजना, घागरा परियोजना, बेतवा परियोजना और महाराष्ट्र में वेदवती और सिना यान बेसिन परियोजनाएं हैं ।

**श्री नवल किशोर सिंह :** वे नौं राज्य कौन कौन है जिन्होंने अनुदान के बराबर की रकम से राज्य संगठनों को मजबूत बनाने के लिए अपने प्रस्ताव बनाए हैं और हिमालय श्रृन्खला के सख्त चट्टान क्षेत्र कौन से हैं जिनका अभी अभी श्री पैन्युली ने उल्लेख किया है ।

**श्री शाहनवाज खां :** मैरे पास उन राज्यों का विवरण नहीं है जिन्होंने प्रस्ताव पेश किये हैं किन्तु कुल राज्यों ने अपने प्रस्ताव पेश किये हैं । अन्य राज्यों से प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है । हिमालय के तराई क्षेत्रों में इतनी सख्त चट्टान की समस्या नहीं है जितनी जमीन की पथरीली होने की है । हमने छिद्रण कार्य किया है ।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या आपके पास इन राज्यों के नाम हैं ?

**श्री शाहनवाज खां :** नहीं ।

**श्री वसंत साठे :** मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के भू-जल प्रभाग के विशेषज्ञ श्री अद्यालकर की दक्षिण क्षेत्र के बारे में जो विदर्भ से मराठवाड़ा क्षेत्र होते हुए विंध्य पर्वत के पश्चिम और नीचे तक जाना है, रिपोर्ट है । सर्वेक्षण वस्तुत: हो गया है । नदी भूमिगत जल स्तर से नीचे है और विस्तृत जल सल्पाई लगभग 1000 फुट गहरी है और यह जल वर्ष भर रहेगा । इस सर्वेक्षण से सरकार को किस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है ? सरकार इस दृष्टि से कि यह सारा क्षेत्र सूखा पड़ने वाला तथा असिंचित क्षेत्र है क्या कर रही है ?

**श्री शाहनवाज खां :** केन्द्रीय भू-जल संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है विशेषरूप से सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में तथा उन क्षेत्रों में जहां चट्टानें है बहुत अच्छा काम कर रहा है ।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या वे पता लगा सके है ?

**श्री शाहनवाज खां :** हमने उस क्षेत्र में और कई अन्य क्षेत्रों में पता लगाया है । अबतक हम ने 10 लाख वर्ग किलो मीटर क्षेत्र पूरा कर लिया है और पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान हम 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पूरा करना चाहते है.... **(व्यवधान)**

**श्री वसंत साठे :** इसे पूरा हो जाने दीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय :** वे कहते है कि पता लग गया है ।

**श्री वसन्त साठे :** क्या आप इस जल संसाधन का उपयोग करने के लिए कुछ कर रहे है अथवा आप कुछ समय तक प्रतिक्षा करेंगे ?

**श्री शाहनवाज खां :** हम केवल सर्वेक्षण कर रहे है और जहां भी जल उपलब्ध हो रहा है उसके बारे में सूचना दे रहे है उपयोग.......

**अध्यक्ष महोदय :** पानी का पता लगा लिया गया है और अब काम अगले चरण में चलेगा ।

## गुजरात में जल का अकाल

\+
*734. **श्री एन० आर० वेंकारिया :**

**श्री अरविंद एम० पटेल :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में पुन: जल का अकाल पड गया है ;

(ख) यदि हां तो कौन से जिलों में पानी की कमी हो रही है; और

(ग) कृषि के संबंध में इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे) :** (क) राज्य सरकार स प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ क्षेत्रों में कठिनाई अनुभव की जा रही है ।

(ख) पेयजल के सम्बन्ध न मुख्यत: अमरली तथा भावनगर जिलों में कठिनाई अनुभव की जा रही है ।

(ग) मुख्य कठिनाई पेयजल की सप्लाई के सम्बन्ध में अनुभव की जा रही है जिसके लिय राज्य सरकार कुओं को गहरा करने नलकूपों का वेधन करने और प्रभावित ग्रामों एवं नगरों को टकरों तथा बैलगाडियों के द्वारा जल की सप्लाई करने आदि उपाय कर रही है ।

**श्री वेंकारिया :** सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में हर वर्ष वर्षा कम होती जा रही है और हर साल गावों को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री महोदय टैंको और बैल गाडियों द्वारा तथा कुओं को गहरा करने आदि उपायों से पानी सप्लाई किये जाने के बारे में कह रहे हैं। इस प्रकार के उपायों से इन क्षेत्रों में समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में समुद्र के पानी के खारीपन को खत्म करने के लिए संयंत्र लगाने का क्या कोई विचार है।

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** मैं उनके वक्तव्य का खण्डन करता हूं, सौराष्ट्र में इस वर्ष सामान्य वर्षा हुई है और गुजरात में अधिक वर्षा हुई है। जहां तक पानी के खारीपन को समाप्त करने का सम्बन्ध है मैं स्पष्ट उत्तर देने की स्थित में नहीं क्योंकि विशेषज्ञों ने खारीपन समाप्त करने की इन परियोजनाओं की सिंचाई अथवा पानी के लिए आर्थिक व्यवहार्यता के बारे नहीं बताया है।

**श्री वेंकारिया :** मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैंने अपने प्रश्न के भाग (ग) में कृषि के बारे में स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों के बारे में पूछा था। हम देखते हैं कि यद्यपि सिंचाई के प्रयोजन से बांध बनाये जा रहे हैं किन्तु शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण इन बांधों के पानी का उपयोग शहरी क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है। यही कारण है कि यह प्रश्न कर रहा हूं। यदि इस पानी का उपयोग शहरी क्षेत्रों की जल पूर्ति योजना के लिए होता है तो सिंचाई योजनाओं का जो हमारा मुख्य प्रयोजन हैं क्या होगा? अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की इन बांधों से जो सिंचाई के प्रयोजन से बनाये गये हैं सिंचाई के लिए पानी लेने की बजाय शहरों की जल पूर्ति के लिए पानी लेने की योजना हैं?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** जहां तक उस भाग का सम्बन्ध है इस तरह पानी का और उपयोग करने से कोई बड़ा खतरा नहीं है। कृषि को कोई भी हानि नहीं हो रही है। हम उन राज्य सरकारों को ऐसी स्थिति वैकल्पिक योजनाओं के बारे में भी सुझाव देंगे जहां कृषि को बहुत हानि होने की सम्भावना है किन्तु पीने के पानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसी बात मे सहमत होंगे।

**Shri Arvind M. Patil:** In the Saurashtra region of Gujarat shortage of water is being experienced for many years. The information received from the State Government shows that there has been shortage of water in only two districts this year. This is not correct. There is shortage of water in all the districts of Saurashtra region. I have also toured fifty-sixty villages out of the seven hundred small villages of Rajkot and I have seen that there is still shortage of water there. The drinking water problem should not be solved on temporary basis but it should be solved for ever. May I know whether a permanent solution thereof would be found out?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** स्थायी समाधान वांछित है किन्तु देश के कई भागों में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। मैं यह मानता हूं कि दीघकालीन तथा स्थायी समाधान निकाले जाने चाहिए। हम राज्य सरकारों को सुझाव देते हैं कि वे दीर्घ कालिन तथा स्थायी उपायों के आधार पर कार्य करें।

## नेपाल में गिरवा नदी से मगरमच्छ के अण्डे एकत्र करने की अनुमति

*735. **श्री राजदेव सिंह:** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने अपने देश की गिरवा नदी से मगरमच्छ के अण्डे एकत्र करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां तो उत्तर प्रदेश की किन नदियों को मगर मच्छ के रहने और उन के प्रजनन के लिए चुना गया है?

**कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे):** (क) भारत सरकार के पास नियुक्त खाद्य एव कृषि संगठन के मगरमच्छ सम्बधी विशेषज्ञ डा० बस्टर्ड के अनुरोध पर नेपाल सरकार ने गंडक तथा गिरवा नदी के समीप नयारानी में दो केन्द्र पर घड़ियाल के 500 अंडे एकत्र करने के लिए सहमति प्रकट की है। ये अण्डे उडीसा तथा उत्तर प्रदेश के मगर मच्छ परियोजना क्षेत्रों में प्रजनन के लिये हैं।

(ख) उतर प्रदेश में मगर मच्छों के रहने तथा उनके प्रजनन के लिये निम्नलिखित 4 नदियां चुनी गई हैं :—

1. गिरवा नदी।
2. रामगंगा नदी।
3. सोने नदी।
4. चम्बल नदी।

**Shri Rajdeo Singh:** Girwa and Narayani rivers originate in Nepal and after entering India flow here also. In this connection, may I know what is the actual beat of the crocodiles, i.e., whether they move throughout the length and breadth of these rivers or confine themselves upto small distance only. In case they move throughout the length of the river whether they also enter river Ganga when these rivers merge with it?

**श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे:** महोदय घड़ियाल के प्रजनन क्षेत्र नष्ट हो गये हैं क्योंकि नदी स्रोतों का अन्धाधुंध उपयोग किया गया है तथा वातावरण सम्बन्धी परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है। यही कारण है कि हम नेपाल से अण्डे लेने का प्रयत्न कर रहे है। इसके बाद हमारा प्रयत्न यह होगा कि घड़ियालों के प्रजनन के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाएं।

**Shri Rajdeo Singh:** What is the difference between a 'Ghariyal' and Crocodile? There are many rivers in our country in which many crocodiles are found. If there is any difference, can an experiment like the one made in the Calcutta Zoo where an American lioness was crossed with a Bengal tiger and a third specie named Taigoon bred also be made on the crocodile and 'Ghariyal' if these are two different breeds.

**श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे:** वे एकसी नस्ल हैं। किन्तु उनका परस्पर प्रजनन सम्भव है या नहीं यह विचार करने के लिये एक सुझाव है।

**श्री विश्वनाथ राव:** क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य राज्यों को मगर प्रजनन की वृद्धि करने की सुविधा से क्यों वंचित किया गया है?

**श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे:** अब कुछ अन्य राज्य भी चुने गये हैं। जिनमें उडीसा भी है क्योंकि वहां इसकी बडी संभावना है। इससे रोजगार भी मिलेगा और देश के समुद्री परिस्थिति-विज्ञान को बनाये रखने के लिए यह वांछित है। हानिकारक मछली को नष्ट कर परिस्थिति संतुलन बनाया रखने में मगर सहायता करते हैं।

## भारतीय कृषि कांग्रेस

***736. श्री राम सहाय पांडे:** +
**श्री वाई० ईश्वर रेड्डी:**

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि कांग्रेस ने राष्ट्रीय कृषि संघ स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) कांग्रेस में अन्य किन बातों पर चर्चा हुई ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे):** (क) सूचना मिली है कि दिनांक 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 1976 तक नई दिल्ली में आयोजीत भारतीय कृषि कांग्रेस ने भारत में एक राष्ट्रीय कृषि संघ गठित करने के संबंध में एक संकल्प पास किया है। परन्तु, कांग्रेस ने जो संकल्प पास किया है अथवा जो सिफारिशें की हैं उनकी सूचना सरकार को नहीं भेजी है।

(ख) जैसा उपर्युक्त (क) में उल्लेख किया गया है, कांग्रेस ने जिन विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया है, उनके संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री राम सहाय पांडे :** श्रीमन्, मंत्रि महोदय ने बताया कि दिल्ली में हुई भारतीय कृषि कांग्रेस ने मंत्रालय के पास ये सफ़ारिशें नहीं भेजी हैं। परन्तु प्रश्न यह नहीं है। इतना महत्वपूर्ण सम्मेलन यहां हुआ और उसमें स्वयं हमारे प्रधान मंत्री ने भाग लिया। प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने प्रथम भारतीय कृषि कांग्रेस के उद्घाटन भाषण में कहा कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के आव्रजन को रोकने के लिए ग्रामों का पुनर्निर्माण करना आवश्यक है। अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वयं प्रधान मंत्री ने अनेक सुझाव दिये हैं। तत्पश्चात् भारतीय कृषि कांग्रेस ने सरकार से यह सफ़ारिश की कि स्वैछिक संगठन के रूप में राष्ट्रीय कृषि संघ स्थापित किया जाये जो खाद्यान्नों की कमी के स्थानों में अधिक उत्पादन के लिए जनता के वास्तविक योगदान का देश में वातावरण तैयार करे। क्या इस संगठन द्वारा उनका ध्यान या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह कृषि का या कृषकों का राष्ट्रीय संघ है ?

**श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे :** उन्होंने यह सुझाव दिया है कि विभिन्न कृषि संगठनों को एक स्थान पर संगठित किया जाये। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा सिफारिशों के बारे में उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, हम इन सिफारिशों की प्रतीक्षा में हैं और हमें पता लगा है कि इस संगठन ने इन सिफारिशों को अभीतक अंतिम रूप नहीं दिया है। इन सिफ़ारिशों के मिलते ही हम उनकी छानबीन करेंगे। दूसरे हम स्वैच्छिक संगठन को प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि हम विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए केवल अफसरशाही पर निर्भर नहीं रह सकते।

**श्री राम सहाय पांडे:** क्या इस संगठन ने यह भी सिफ़ारिश की है कि किसान को 'प्रोत्साहन बोनस दिया जाये और भारत सरकार की इस बारे में क्या विचार है ?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय ने कहा है कि इन सिफ़ारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

**श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संगठनकर्ता की हैसियत से मुझे ज्ञात है कि यह सम्मेलन इस देश में सभी कृषि यूनियनों को एक स्थानपर संगठित कर प्रोत्साहित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया गयाथा। उसका कार्यवाही वृत्तांत अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है और उन्होंने इस सम्बन्ध में सरकार को एक पत्र लिखा है। क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है ?

**श्री अण्णासाहेब पी० शिदे:** जी हां, हमें मालूम है।

## खेलकूद की सुविधायें

*737. **श्री के० मालन्ना : क्या शिक्षा, समाज-कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खेलकूद की सुविधाओं में सुधार सम्बन्धी किन्हीं योजनाओं को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार खिलाड़ियों को क्या सुविधायें देने जा रही है जिससे कि वे ओलम्पिक खेलों में प्रतियोगिता कर सकें ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

### विवरण

सरकार ने एक ओर सामूहिक शारीरिक और खेल सम्बन्धी कार्यकलापों के व्यापक और पूरक स्वरूप को और दूसरी ओर खेलों में उत्तम कोटि की निपुणता प्राप्त करने के उद्देश्यों से प्रतियोगी खेलों को ध्यान में रखते हुए, देश में खेलकूद की प्रोन्नति तथा शारीरिक विकास के लिए कुछेक कदम उठाए हैं ।

नवम्बर, 1974 को हुई राज्य खेल मंत्रियों, राज्य खेल परिषदों के अध्यक्षों तथा अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष/सदस्यों की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि प्रत्येक राज्य सरकार/राज्य खेल परिषद को हर एक ब्लाक में लगभग 1500 युवकों द्वारा सक्रिय खेलों में भाग लेने के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक लगभग 80 लाख युवा पुरूष और महिलाएं उनमें भाग लें । जुलाई, 1975 में मंत्रालय द्वारा देश में खेलकूद और शारीरिक व्यायाम सम्बन्धी कार्यकलापों के विकास के लिए तैयार की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं में इस बात पर बल दिया गया है कि खेलों में सामूहिक प्रवृत्ति को उत्पन्न करने सम्बन्धी कार्यक्रम में खेलों के प्रतियोगी पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं में अन्य बातों के साथ साथ प्रत्येक पंचायत में एक युवक क्लब स्थापित करने की परिकल्पना है जो भारतीय और उस क्षेत्र में प्रचलित अन्य खेलों में खलकूद सम्बन्धी कार्यकलापों को नियमति और सतत आधार पर आयोजित करेगा । इन मार्ग दर्शी रुपरेखाओं को राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है और उनसे खेलों के प्रवर्धन के लिए अपनी-अपनी योचनाओं में इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देने के लिए अनुरोध किया गया है ।

1970-71 से ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चालू है और इस सम्बन्ध में ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं । ये प्रतियोगिताएं ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित की जाती हैं और इसमें अधिक संख्या में ग्रामीण और जन जातीय युवक भाग लेते हैं । 1975–76 के दौरान इसमें लगभग 7 लाख लड़कों और लड़कियों ने भाग लिया ।

ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूदों का विकास करना भी नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग है । इन केन्द्रों में इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की व्यवस्था की गई है । ये केन्द्र युवक क्लबों की स्थापना करने की भी प्रात्साहित करते हैं ताकि अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रुप से विकास करने के लिए ग्रामीण युवक विभिन्न कार्यकलापों में भाग लें ।

युवा आयु में खेल प्रतिभा का पता लगाने तथा इस प्रतिभा का उचित रुप से विकास-करने की दृष्टि से खेल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष स्कूल और विश्वविद्यालय के उन छात्रों को, जो खेलकूद में विशिष्टता दिखाते है तथा योग्य और होनहार ग्रामीण और जन जातीय लड़कों और लड़कियों को ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं में उनके निष्पादन के आधार पर 1,300 नवीन छात्रवृत्तियां दी जाती है।

राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों को, जैसी भी स्थिति हो, स्टेडियमों, तरणतालों के निर्माण, स्टेडियमों के पुंज प्रकाश प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, खेल ऊपस्कर खरीदने, ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं म शारीरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। उक्त प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा दिये जा सकने वाले अनुदानों की सीमा को हाल ही में बढ़ा दिया गया है।

खेल के मैदानों के विकास के लिए वित्तीय सहायता राज्य सरकारों/राज्य खेल परिषदों तथा स्थानीय निकायों को उपलब्ध की जाती है जबकि विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिए शारीरिक सुविधाओं और प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता शिविरों के आयोजन के लिए सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के माध्यम से दी जाती है।

खिलाड़ियों तथा महिलाओं और प्रशिक्षकों के अपने लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रो मे उपलब्ध की गई है। दक्षिण भारत में उन्नत सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए संस्थान की एक दक्षिण शाखा बंगलौर में स्थापित की गई है।

राष्ट्रीय टीमों का प्रशिक्षण, अनुबंधन तथा शारीरिक स्वस्थता सुधार का प्रबन्ध नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के माध्यम से मुफ्त किया गया है।

राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने, अंतराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने, उपस्कर खरीदने तथा राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों/संघों को अनुदान उपलब्ध किए जाते हैं।

टीमें, खिलाड़ी और महिलाएं, जो ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा उनको विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और प्रशिक्षण शिविरों के दौरान उनके आवास तथा भोजन का खर्च सरकार वहन करता है। ओलिम्पिक खेलों में भाग लने वाली भारतीय टीमों के यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

देश में खेल तथा शारीरिक प्रदर्शन सम्बन्धी संस्कृति की प्रोन्नति के लिए शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने हाथ में ली गई योजनाओं और कार्यक्रमों के ब्यौरे मंत्रालय की 1975–76 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ट 76–85 में दिए गए हैं जो हाल ही में सभा पटल पर रखी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि पांचवी पंच वर्षीय योजना में खेल तथा शारीरिक प्रदर्शन सम्बन्धी संस्कृति की प्रोन्नति के लिए 1,370 लाख रुपयों की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है जबकि इस प्रयोजन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 304 लाख रुपये खर्च किये गए थे।

**श्री के० मालन्ना** : क्या ग्रामीण युवक वर्ग और जनजातियों के योगदान के लिए कोई विशिष्ट गतिविधियां चल रही है? यदि हां तो, वे क्या हैं?

**श्री अरविन्द नेताम** : भारत सरकार ने ग्रामीण खेलकूदों की यह योजना 1970–71 में आरम्भ की थी जो तभी से चली आ रही है। इस योजना के अन्तर्गत हम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों को ले आये हैं और उनमें स्थानीय लोकप्रिय. खेलकूद भी शामिल किये है। 1975–76 में हमने इस योजना के अन्तर्गत लगभग 7 लाख लड़के-लड़कियों का योगदान प्राप्त किया।

**श्री के० मालन्ना** : क्या माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि खेलकूदों में सक्रियता लाने के लिए ग्रामीण युवजनों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

**श्री अरविन्द नेताम** : ग्रामीण खेलकूद योजना के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना 40 लाख रुपये और चालू वर्ष के दौरान 9 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं।

**Shri Bibhuti Mishra** : May I know whether the Central Government propose to give a Central University status to the Patna University and bring all the students of the eastern zone here for giving them training in sports as well as education? **(Interruption)**

**Mr. Speaker** It is your suggestion which will be considered.

**Shri Bibhuti Mishra** : I have asked whether Government is considering this question. It is not a suggestion.

**Prof. Nurul Hussan** : No.

**श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी** : शिक्षा मंत्रालय, विशेष रुपसे हमारे युवा मंत्री श्री अरविन्द नेताम ने खेलकूदों के बारे म कदम उठाकर जो रुचि दिखाई है उसके लिए मैं उन्ह बधाई देता हूं । हमारे यहां खिलाड़ियों में शारीरिक क्षमता की कमी है। क्या इसे ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार शारीरिक प्रशिक्षण को स्कूलों में अनिवार्य करने का है ताकि इस दिशा में हम उन्हें सक्रिय रख सकें? दूसरे फुटबाल और क्रिकेट विशेषज्ञों नें यह टिप्पणी की है कि तेज बाउलरों और फुटबाल खिलाड़ियों की समस्या को तब हल किया जा सकता है जब हम नागालैंड और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के नौवजानों को शामलि करें। क्या सरकार का विचार इन प्रदेशों से कुछ खिलाड़ियों को शामिल कर उन्हें तेज बाउलरों और अन्य सम्भाावित खिलाड़ियों के रूप में प्रशिक्षित करने का है ?

**श्री अरविन्द नेताम** : जहां तक शारीरिक प्रशिक्षण और शारीरिक क्षमता का सम्बन्ध है, हमने राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान में ऐसे लोग शामिल किये हैं जो उन्हें इन राष्ट्रीय टीमों के लिए प्रशिक्षण देते हैं। नवम्बर, 1974 में हमने राज्यों के खेलकूद मंत्रियों और खेलकूद परिषदों के अध्यक्ष का एक सम्मेलन आयोजित किया था । वे सिद्धान्ततः इस बात पर सहमत हो गये कि शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के बजाये उसे पाठ्यक्रम का एक अंग बनाने की योजना तैयार करने का प्रयास किया जाये। जहां तक फुटबाल का सम्बन्ध है, मैं भारतीय फुटबाल फैडरशन से इस बार में बातचीत कर रहा हूं कि इस खेल को विशेष-कर जनजाति क्षेत्रों में कैसे प्रोन्तत किया जाय। तेज बाउलरो के बारे में मैं क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड क अध्यक्ष श्री मेहरा से बातचीत चला रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने शारीरिक क्षमता सुधारने की बात कही है।

**श्री अरविंद नेताम** : इस बारे में कहना कठिन है। परन्तु हम शारीरिक शिक्षा की व्यापक आधार वाली योजना तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।

**श्री एम०एस० संजीवीराव :** मुझे विश्वास है कि पचास करौड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश की खेलकूद के बारे में बुरी स्थिति है। मैंने हाल ही में समाचारपत्रों में पढ़ा है कि हम मान्ट्रियल आलम्पिक के लिए खिलाड़ियों की केवल एक बहुत छोटी टीम भेज रहे हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम खिलाडियों के बजाय हमेशा प्रेक्षकों, अधिकारियों या दर्शकों पर अधिक खर्च करते हैं। अतः क्या वह इस ओर ध्यान देंगे कि मान्ट्रियल आलम्पिक खेलों के लिए अधिक खिलाड़ी भेजे जायें ताकि वह हमारे देश के लिए कम से कम कुछ तो पुरस्कार जीत सकें।

**श्री अरविन्द नेताम :** आलम्पिक खेलों में भाग लेने से इस देश में खेलकूदों को प्रोन्नत करने में कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। परन्तु भारतीय आलम्पिक एसोसियेशन ने मान्ट्रियल आलम्पिक खेलों में भेजे जाने के लिए टीमों का चयन करने की कुछ कसौटी बनायी है। यह 1972 के म्यूनिख आलम्पिक खेलों में छटा या उससे उंचा स्थान है। परन्तु हमारे पास भारतीय आलम्पिक एसोसियेशन से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है कि कुल कितने खिलाड़ी भेजे जायें। ऐसा प्रस्ताव मिलने पर हम विचार करेंगे।

## मछली का उत्पादन

***738. श्री शंकर नारायणसिंह देव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में होने वाले मछली के उत्पादन की तुलना में पांचवीं योजना के अन्त में मछली के उत्पादन का राज्यवार लक्ष्य क्या है; और

(ख) इन लक्ष्यों को राज्यवार प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :** (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 10818/76.]**

**श्री शंकर नारायण सिंह देव :** भारत की समुद्रतट रेखा 5500 किलोमीटर लम्बी है तथा यहां मछली बहुतायत में मिलती है। यहां पर मछली पालन के लिए पानी के भी बहुत साधन हैं। इसमें भी सन्देह नहीं कि मंत्री महोदय ने विवरण में सभी राज्यों के लिए राज्यवार योजनाबद्ध कार्यक्रम का वर्णन किया है। इससे निस्सन्देह पता चलता है कि मछली का उत्पादन बढ़ेगा। कुछ योजनायें तो पहले ही आरम्भ हो चुकी है। अब मैं जानना चाहता हूं कि पांचवीं योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त योजनाओं की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है तथा (क) राज्यों में मछली फार्म अभिकरण स्थापित करने में तथा मछिमारों को मछली पकड़ने के आधुनिक तरीके सिखाने और मछली उद्योग को ऋण देने में कितनी प्रगति हुई है और (ख) मच्छुवा-नाव विकास निधि स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

**श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे :** मैं ने जो विवरण सभा पटल पर रखा है उसमें हर चीज का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। कार्यक्रम अधिकतर अच्छी तरह से चल रहे हैं चाहे छोटा मछली फार्म हो या बड़ा। इस समय ये लगभग आठ या नौ राज्यों में स्थापित हो चुके हैं। किन्तु मेरे पास बिल्कुल सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। देश में मत्स्य की और पत्तन विकास के लिए विवरण में सभी ब्योरे दे दिए गए है और यदि माननीय सदस्य चाहते है तो मैं उन्हें और जानकारी विस्तारपूर्वक दे सकता हूं।

**श्री शंकर नारायण सिंह देव** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं हमारे देश एक लम्बी समुद्रतट रेखा है तथा यह बताया जाता है कि इसमें मछली के बहुत साधन है किन्तु अभी तक मछली के साधनों का प्रयोग करने के लिए दक्षिण-पश्चिम तट के कुछ क्षेत्रों के अलावा कोई योजनाबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है। पांचवीं योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या कोई सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम है.............

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपने विवरण को पढ़ा है ?

**श्री शंकर नारायण सिंह देव** : जी, नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : यही कारण है कि आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको पहले विवरण पढ़ना चाहिए।

**श्री शंकर नारायण सिंह देव** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र सहायता से या विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कोई सर्वेक्षण किया जाने वाला है ?

**श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे** : यह कहना सही न होगा कि सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं। इस बारे में तो प्रश्न किया जा सकता है कि सर्वेक्षण व्यापक थे या नहीं। अन्य सर्वेक्षण करने के लिए विचार किया जा रहा है।

**श्री शक्तिकुमार सरकार** : आपको तो पता ही है कि बंगाल कितनी मछली चाहता है। जो आंकड़े विवरण में दिये गए हैं वे सही नहीं हैं। ये कुछ बढ़ा चढ़ा कर बता गए हैं। क्या मंत्री महोदय ताजे पानी, खारे पानी और समुद्री पानी की मछलियों तथा मिली जुली मछलियों जिनके बारे में उन्होंने इतनी वकालत की थी, के पृथक पृथक् आंकड़े देंगे। क्या मछली पालन के लिए बजट में पूंजी व्यय सम्बन्धित अधिकारियों के वेतनों पर किए गए व्यय के बराबर है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कलकत्ता में प्रान मछली 45-55 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है जिसे आम लोग नहीं खरीद सकते। क्या मंत्री महोदय इस बात पर कुछ विचार करेंगे कि इस मछली का निर्यात करने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाए।

**श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे** : मैं समझता हूं कि जो जानकारी माननीय सदस्य चाहते है वह राज्य सरकार के पास है मेरे पास नहीं है और यदि मनानीय सदस्य चाहते हैं तो मैं राज्य सरकार से यह कह दूंगा कि वह उन्हें जानकारी भेज दें। झींगा मछली से हमें बहुत मूल्यवान विदेशी मुद्रा मिलती है। 23 लाख टन कुल मछली से झींगा मछली लगभग 40,000 टन ही होती है। अपने देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हमें झींगा मछली का निर्यात करने देना चाहिए तथा हम देश में उपलब्ध अन्य मछलियाँ खा कर गुजारा कर सकते हैं।

**Shri K. M. 'Madhukar'**: It has been mentioned in the Statement that a provision of Rs. 250 lakhs has been made for fisheries development in Bihar during fifth Plan. Dharbanga and Champaran districts of Bihar are famous for Rohu fish. May I know whether any arrangements have been made to check that the scheme chalked out for fisheries development is implemented in full. Generally it is observed that the amount earmarked for fisheries development is spent on the salaries etc. of the workers. That is why I want to know whether this amount will be spent on fisheries development so that fish production is augmented.

**श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे** : योजना परिव्यय आयोजित करने के बारे में कोई कठिनाई नहीं है। बिहार में मुख्य कठिनाई यह है कि मछुओं को जो ऋण दिया जाता है वह लम्बी

अवधि के लिए नहीं दिया जाता । इस कारण विकास कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता हमने बिहार सरकार को सलाह दी है कि वह मच्छुआ सहकारी समितियों को लम्बी अवधि पर ऋण देने के मामले में प्राथमिकता दें ।

## दिल्ली में स्कूल खोलना

*741. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में और स्कूल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो खोले जाने वाले उच्चतर, माध्यमिक और मिडिल स्कूलों की संख्या कितनी है और उनका इलाकावार ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

दिल्ली प्रशासन का चालू वर्ष में 15 उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा 10 मिडिल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। उन 13 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा 9 मिडिल स्कूलों के नाम तथा स्थान नीचे दिए गए है जिन्हें 1-5-1976 से खोल दिया गया है।

**उच्चतर माध्यमिक स्कूल :**

1. राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जे० जे० कालोनी, टैगोर गार्डन।
2. राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, चांद नगर।
3. राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, सी० ब्लाक, जनकपुरी।
4. राजकीय सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ख्याला।
5. राजकीय सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्कूल, आनन्दवास, शकरपुर।
6. राजकीय सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्कूल, गोपाल पार्क।
7. राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, शंकर नगर।
8. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, शंकर नगर।
9. राजकीय सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्कूल, नन्द नगरी।
10. राजकीय सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्कूल, विश्वास नगर।
11. राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, शकरपुर।
12. राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ए० ब्लाक, लारंस रोड।
13. राजकीय (सह-शिक्षा) उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कल्याणपुरी।

**मिडिल स्कूल :**

1. राजकीय (सह-शिक्षा) मिडिल स्कूल, फेज-1, अशोक विहार।
2. राजकीय सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, पश्चिमपुरी।



2—1 LSS/ND/76

**विवरण—जारी**

3. राजकीय सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, जयदेव पार्क ।
4. राजकीय सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, अमलवास, नांगलोई ।
5. राजकीय सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, सीलमपुर (जे० जे० कलोनी)
6. राजकीय बालिका मिडिल स्कूल, भोलानाथ नगर ।
7. राजकीय सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, नई सीलमपुरी ।
8. राजकीय सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, त्रिलोकपुरी ।
9. राजकीय सह-शिक्षा मिडिल स्कूल, डी० डी० ए० कालोनी, फैज-2 कालकाजी ।

शेष दो उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और एक मिडिल स्कूल के स्थान दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

**श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या राजधानी में नये स्कूल खोलने के मामले में दो स्कूलों के बीच की दूरी के बारे में कोई सिद्धान्त है ? क्या दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलने के बारे में भी कोई सिद्धांत निर्धारित किया गया है ।

**श्री डी० पी० यादव** : श्रीमन् नये स्कूल खोलने का सिद्धान्त तो बस्ती की आवश्यकता ही है । यही सिद्धान्त होना चाहिये और इसे ही अपनाया जा रहा है । दूसरी कसौटी भूमि और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता है ।

**श्री प्रबोधचन्द्र** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ नये स्कूल केवल एक मील या इससे थोड़ी अधिक पूरी पर खोले जा रहे है और ये ऐसे स्थानों पर खोले जा रहे है जहां पहले ही स्कूल विद्यमान है जब कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, जो राजधानी से थोड़ा दूर हैं, स्कूल इतनी कम दूरी पर नहीं हैं ? उनके बीच की दूरी 6, 7 मील है । मैं माध्यमिक स्कूलोंके बारे में नहीं बल्कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के बारे में कह रहा हूं । ऐसे स्थानों पर, जहां के लोगों का रसूख और अधिक प्रभाव है, अधिक स्कूल क्यों है ?

**श्री डी० पी० यादव** : नये स्कूल खोलने के बारे में जो सिद्धान्त अपनाया जाता है वह मैं पहले ही बता चुका हूं । कहीं कहीं कोई असंगति हो सकती है । यदि माननीय सदस्य ऐसी किसी बात की ओर ध्यान दिलायेंगे तो हम उसकी जांच करेंगे । तथापि दिल्ली प्रशासन इस मामले में युक्तियुक्त ढंग अपनाने का प्रयन्न करेगा ।

**श्री प्रबोध चन्द्र** : मेरा प्रश्न यह था कि कि क्या नये स्कूल ऐसे स्थानों पर खोले जा रहे है जहां पहले ही स्कूल हैं जब कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां स्कूल नहीं है..........

**अध्यक्ष महोदय** : आप उस विशिष्ट मामले का उल्लेख कीजिये जिस के बारे में दिल्ली प्रशासन से विचार-विमर्श किया जा सके ।

**श्री प्रबोध चन्द्र** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा नियम है जिसके अन्तर्गत ऐसे स्थानों पर स्कूल न खोले जायें जहां दो, तीन मील की दूरी पर पहले ही स्कूल खुले हुए हों ।

**श्री डी० पी० यादव** : मैं माननीय सदस्य से इस बारे में कोई सुझाव देने के लिये कहूंगा जिसे दिल्ली प्रशासन के पास भेजा जा सके ।

**श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या कोई ऐसा नियम है जिस के अन्तर्गत ऐसे स्थानों पर स्कूल नहीं खोले जायेंगे जहां दो, तीन मील की दूरी पर पहले ही स्कूल विद्यमान हों ।

**श्री डी० पी० यादव :** मैंने उनके प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है। यह बस्ती की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

### Setting up of Factory of Modern Bakeries in Bihar

***742. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether a factory of Modern Bakeries has been under construction in Ranchi city in Bihar for the last many years;

(b) if so, reasons for delay in starting it and the time by which Government propose to start it;

(c) whether the Government of Bihar have submitted a proposal to set up factories of Modern Bakeries in Patna and Muzaffarpur; and

(d) if so, reaction of Government thereon?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :** (क) बिहार के रांची शहर में मार्डर्न बेकरीज का एक यूनिट लगभग दो वर्ष से निर्माणाधीन है।

(ख) विदेश से संयंत्र तथा उपकरण प्राप्त होने तथा सिविल निर्माण कार्य पूरा होने में देरी होने के कारण इस यूनिट के पूरा होने में कुछ विलम्ब हुआ है। आशा है कि यह यूनिट जून, 1976 में परीक्षण के तौर पर उत्पादन शुरू कर देगा।

(ग) बिहार सरकार ने कम्पनी के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि पटना में एक यूनिट स्थापित किया जाए।

(घ) कम्पनी ने यह महसूस किया कि फिलहाल रांची स्थित यूनिट पटना की डबल रोटी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होगा और पटना में अतिरिक्त यूनिट स्थापित करने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जाए।

**Shri Ramavatar Shastri:** In reply to past (c) of my main question, the hon. Minister has referred only to Patna whereas he is silent about Muzaffarpur. The Minister of Industries of Bihar has recently stated in a meeting with the Members of Parliament from Bihar that they had proposed setting up factories of Modern Bakaries both at Patna and Muzaffarpur. May I know the reason for such an evasive reply?

May I also know the per day capacity of the unit being set up at Ranchi as well as the names of cities and the member of people to whom bread is to be supplied from this unit?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** यह एक मानक संयंत्र है और इस में प्रति दिन 40,000 रोटियां तैयार होंगी। ये वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त होंगी क्योंकि इसकी मांग के बढ़ने में भी कुछ समय लगेगा। परन्तु चाहे यह पटना हो या उत्तरी बिहार हो, हमने अभी इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

**Shri Ramavatar Shastri:** In view of the fact that besides Jamshedpur and Dhanbad, there are other towns also around Ranchi, may I know whether it would be possible for this unit to supply bread to Patna also and whether anv market survey has been made in this regard and if so with what result?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** आरम्भ में मध्यम आकार का संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया था परन्तु बाजार का सर्वेक्षण करने के पश्चात् एक बड़ा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया था।

**श्री नवल किशोर सिंह :** मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार एक यूनिट रांची में और फिर एक पटना में स्थापित किया जायेगा। यह दोनों क्षेत्र गंगा के दक्षिण में हैं। गंगा के उत्तर में मुजफ्फरपुर को एक स्थान है जहां एक यूनिट स्थापित किया जा सकता है। क्या मंत्री महोदय बिहार सरकार को सुझाव देंगे कि एक यूनिट मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जाये ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

**श्री भागवत झा आजाद :** रांची और इसके आसपास के शहरों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये बाज़ार का हाल ही में जो सर्वेक्षण किया गया था उसका क्या परिणाम निकला है और 40,000 रोटियां कब तक तैयार होने लगेंगी तथा रोटी रांची से पटना कैसे पहुंचाई जायेगी ? क्या इसे विमान द्वारा ले जाया जायेगा ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** अन्य शहरों में हमारा सामान्य अनुभव यह रहा है कि यदि हम अधिक क्षमता वाले संयंत्र स्थापित करते हैं तो पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। यह बाजार में अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि चावल उपलब्ध है . . .

**श्री भागवत झा आजाद :** मैं लम्बा भाषण नहीं बल्कि केवल यह जानना चाहता हूं कि बाजार का जो सर्वेक्षण हुआ है उसका क्या परिणाम निकला है, अधिकतम उत्पादन कबसे आरम्भ हो जायेगा और रोटी रांची से पटना कैसे पहुंचाई जायेगी ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** आरम्भ में 15,000 से 20,000 रोटियों की क्षमता वाला छोटा संयंत्र स्थापित करने का विचार था। परन्तु बाजार के सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि 40,000 रोटियो की क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जा सकता है और इसी लिये एक बड़ा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यदि बिक्री हो सकेगी, तो यह संयंत्र तुरन्त पूरा क्षमता से काम करने लगेगा।

### गन्ने की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का बंद होना

***743. श्री के० एम० मधुकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलें गन्ने की कमी के कारण बन्द हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो गन्ने की कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) चीनी मिलों के बन्द होने से चीनी के उत्पादन में अनुमानतः कितनी कमी होगी ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां):** (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलो ने इस पिराई मौसम में आशा से पहले पिराई कार्य बन्द कर दिया है। इसका मुख्य कारण गन्ने के क्षेत्र में कमी होने से गन्ने की कमी होना, मानसून के अधिक समय तक रहने से गन्ने की प्रति एकड़ औसत उपज में गिरावट आना, पानी भर जाना तथा सर्दी की पर्याप्त वर्षा न होना और अधिक मात्रा में गन्ना गुड़ और खंडसारी यूनिटों में प्रयुक्त होना है।

(ग) 1974-75 मौसम की तुलना में लगभग 2.65 लाख मीटरी टन कम उत्पादन होगा।

**Shri K. M. Madhukar :** The hon. Minister has himself admitted in his reply that the sugar mills in Uttar Pradesh have stopped crushing earlier than expected. Similar situation prevails in Bihar also. May I know the factors responsible for reduction in cane area? Whether it is not a fact that the cane growers had demanded an increase in sugarcane price and the Government did not concede that as a result of which they reduced the area of cane cultivation? May I know the steps now being taken or proposed to be taken by the Government to give incentive to cane growers in order to increase the yield of sugarcane?

**Shri Shah Nawaj Khan :** This is State Government's responsibility to increase the production of sugarcane and see that the benefits of research reach the cane-growers. These Schemes are being implemented by the State Government as well as in the Central Sector.

**Shri K. M. Madhukar :** May I know the quantity of Sugar which Bihar produced last year as also the estimated production in the State this year when the Sugar mills there have already stopped crushing?

**Shri Shah Nawaz Khan :** The main question is about U. P. and he is asking supplementary about Bihar.

**Shri K. M. Madhukar :** Then the hon. Minister may tell us about U.P.

**Shri Shah Nawaz Khan :** The total production of Sugar in U.P. is expected to be 11.6 lakh tonnes this year whereas it was a bit more than 14 lakh tonnes last year.

**श्री विश्वनाथ राय :** सरकार के विचार में गन्ने का चीनी कारखानों के बदले खांडसारी एककों में प्रयुक्त किये जाने के क्या कारण हो सकते हैं ?

**श्री शाहनवाज खां :** इसका मुख्य कारण यह है कि गन्ना पेलकों (क्रशर्स) ने चीनी कारखानों की तुलना में अधिक मूल्य दिया है।

## चावल की देसी किस्मों में सुधार

***745. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में केन्द्रीय चावल अनुसंधान प्रयोगशाला में किये गये अनुसंधान से यह सिद्ध हुआ है कि चावल की देसी किस्में जो सदियों तक सभी प्रकार की जलवायु और प्राकृतिक प्रकोपों को सहन कर चुकी आयातित किस्मों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो चावल की पुरानी किस्मों को सुधारने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :** इन प्रश्नों के उत्तर से संबंधित एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) हमारे यहां धान विविध परिस्थितियों और विभिन्न मौसमों में उगाया जाता है। पुरानी किस्मों की तुलना में धान की नयी बौनी किस्मों से रबी और गर्मी के मौसमों में अच्छी उपज मिली है। इसी प्रकार पंजाब व हरियाणा जैसे पानी के अच्छे निकासी वाले क्षेत्रों से भी ये किस्में अच्छी सिद्ध हुई हैं। नयी बौनी किस्मों की तुलना से धान की लम्बी देसी किस्में, जिनकी

खेती एक मौसम विशेष में ही की जाती है, दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान और जल-प्रबन्ध की समस्या वाली मिट्टियों से अधिक पैदावार मिली है। लेकिन धान की कुछ नयी किस्में जैसे 'जगन्नाथ' और 'पंकज' जैसी कुछ नई किस्मो से दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान पूर्वी-तटवर्ती क्षेत्रों में काफी अच्छी पैदावार दी है।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित धान सुधार प्रायोजना पर आयोजित हाल ही की एक विचार गोष्ठी में पुरानी किस्मो के सुधार पर विचार किया। अखिल भारतीय समन्वित धान सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत पुरानी किस्मों का उपयोग प्रजनन कार्यक्रम में और आगे सुधार के लिए आधार के रूप में किया जाता है।

**Shri Nitiraj Singh Chaudhary:** May I know whether attention of the Government has been drawn to a statement made by Dr. Radhelal Richharia who was in charge of the Katak Research Institute till recent past in which he stated that there were various varieties of rice in Chhatisgarh which fared well as compared to those imported from outside and there were immune from germs and disease which the imported ones carry with them and if so, the steps being taken by the Government in this regard?

**Shri Shah Nawaz Khan:** It is true that there are many high yielding varieties of rice in our country. In areas having well drained soils and having intensive rainfall, the indigenous and traditional varieties have fared better than new varieties. We are collecting their germs plasm and our Scientists are using it in hybridisation and cross breeding.

**Mr. Speaker** : In Chhatisgarh also ?

**Shri Shah Nawaz Khan** : Yes, Sir. Not in Chhatisgarh only but in Ranchi and Assam also.

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय

*731. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के इस समय धीरे धीरे गिरते हुये मूल्यों को बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने कृषि कांग्रेस के संयोजकों को आश्वासन दिया है कि खाद्यान्नों के मूल्यो में वृद्धि की जायेगी ; और

(घ) इससे छोटे किसानो को कहां तक सहायता मिलेगी ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) तथा (ख) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## विवरण

कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना सरकार की नीति रही है। इस उद्देश्य के लिए प्रमुख खाद्यान्नों के लिए वसूली मूल्य और कपास तथा पटसन के लिए न्यूनतम साहाय्य मूल्य निर्धारित किये जाते है। गन्ना के लिए चीनी की फैक्टरियों द्वारा अदा किए जाने वाले न्यूनतम मूल्य घोषित किए जाते हैं। पिछले लगभग एक व र्ष के दौरान कृषि उत्पादों के बाजार मूल्यों में गिरावट आने के बावजूद भी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का तथा रागी के वसूली मूल्य पिछले वर्ष के स्तर पर ही बनाये रखे गये। इसके अलावा, 1976-77 के विपणन मौसम के दौरान जौ तथा चना के लिये साहाय्य मूल्य भी निर्धारित किए गए हैं। कपास तथा पटसन के लिए न्यूनतम साहाय्य मूल्य बढ़ाए गये हैं। गन्ना के लिए चीनी के कारखानों द्वारा अदा किये जाने वाले न्यूनतम मूल्य भी पिछले वर्ष के स्तर पर बनाये रखे गये।

## किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम

*740. **श्री चिरंजीव झा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्र प्रायोजित किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार के किन किन जिलों को चुना गया है;

(ख) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम पर कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जिलावार कितने किसानों को लाभ पहुंचा है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) बिहार में चौथी योजना के दौरान स्थापित किए गए छः कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा, पांचवीं योजना के दौरान एक कृषक शिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए अलाट किया गया है। राज्य सरकार ने नए जिले का चुनाव करना है तथा इस सम्बंध में सूचना की प्रतीक्षा है।

(ख) इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से बिहार सरकार को कुल 33,41,077 रु० की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

| (ग) ज़िले का नाम | लाभ प्राप्त किसानों की संख्या |
|---|---|
| शाहाबाद | 43,989 |
| समस्तीपुर | 20,171 |
| पूर्णिया | 18,343 |
| रांची | 12,416 |
| चम्पारन | 6,632 |
| संथाल परगना | 8,996 |
| योग | 1,10,547 |

## दालों और जौ के मूल्यों में वृद्धि

*744. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों और जौ के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) हाल में मूंग तथा उड़द का थोक मूल्य सूचकांक बढ़ा है, परन्तु सामूहिक रूप से दालों के थोक मूल्य के सूचकांक में गिरावट आई है। जौ के मूल्य सूचकांक में 3 अप्रैल, 1976 तक लगातार गिरावट आई, परन्तु बाद के सप्ताहों में इनमें वृद्धि हुई।

(ख) मूंग तथा उड़द के मूल्यों में वृद्धि होना एक मौसमी परिस्थिति है, जबकि जौ के मूल्य सरकार द्वारा साहाय्य मूल्य की घोषणा करने के बाद बढ़े हैं।

## मद्रास नगर-विकास परियोजना

*746. श्री एम० कतामुतु : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास नगर-विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक दिए जाने की संभावना है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) :** (क) मद्रास महानगरीय क्षेत्र की नगर-विकास आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

## दिल्ली में मिशनरियों द्वारा चलाये जाने वाले पब्लिक स्कूल/अंग्रेजी माध्यम के स्कूल

*747. श्री आर० एन० बर्मन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मिशनरियों द्वारा चलाये जाने वाले ऐसे बहुत से पब्लिक स्कूल अथवा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है जो अधिक स्कूल फीस ले रहे हैं हालांकि इन स्कूलों का समस्त स्टाफ उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं है और उन्हें दिल्ली प्रशासन ने काफी रियायती दर पर भूमि आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फीस सम्बन्धी ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का है और यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)**
(क) और (ख) दिल्ली में तीन ऐसे स्कूल हैं जो भारतीय पब्लिक स्कूल कांफ्रेंस के सदस्य है और अंग्रेजी माध्यम के 21 उच्चतर माध्यमिक तथा मिडिल स्कूल मिशनरी संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। ये सभी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, सहायता-प्राप्त स्कूलों में छात्रों द्वारा दी जाने वाली फीस निर्धारित होती है, जब कि गैर-सहायता-प्राप्त मान्यता-प्राप्त स्कूलों के मामले में, ऐसे स्कूलों का प्रबन्धक, प्रत्येक शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पहले, आगामी वर्ष के दौरान, ऐसे स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीसों का पूरा विवरण निदेशक को प्रस्तुत करेगा, तथा निदेशक की पूर्वानुमति के बिना, कोई भी स्कूल उस शैक्षिक सत्र के दौरान, उसके प्रबन्धक द्वारा उक्त विवरण में उल्लिखित फीस से अधिक फीस नहीं लेगा।

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम में, मान्यता-प्राप्त प्राइवेट स्कूलों तथा गैर-सहायता-प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों दोनों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताओं को निर्धारित करने की व्यवस्था है। जब कभी भी दिल्ली प्रशासन को ऐसे अध्यापकों के मामलों का पता चलता है जो निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी नहीं करते, तो इस बारे में उनके द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

गैर-सहायता-प्राप्त स्कूलों को रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाती है क्योंकि वे भी अन्य सहायता-प्राप्त स्कूलों जैसा उद्देश्य पूरा करते हैं।

## मत्स्य विकास के लिए तमिलनाडु को केन्द्रीय सहायता

*748. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने मत्स्य विकास के लिए वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) और (ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना में मात्स्यकी के विकास के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 90.91 करोड़ रुपये की व्यवस्था में से तमिलनाडु के लिए 18.80 करोड़ रुपये का अधिकतम परिव्यय निर्धारित किया गया था। तमिलनाडु में मात्स्यकी विकास के लिए 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के लिए क्रमश: 150 लाख, 170 लाख और 262 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। यह स्मरण रहे कि तमिलनाडु का 1976-77 के लिए 262 लाख रुपये के परिव्यय का अनुरोध पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया था। राज्य योजना की स्कीमों के अंतर्गत सहायता के अलावा, तमिलनाडु को केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मात्स्यकी विकास के लिए सहायता दी जाती रही है। मछली पालन विकास एजंसियों की स्थापना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत थंजाबूर जिले में एक एजेंसी की स्थापना के लिए अनुमोदन दे दिया गया है और 4.5 लाख रु० की धनराशि पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी है।

राज्य को नार्वे की सहायता से 1973-74 के दौरान कुल 2.74 लाख रु० के उपकरण मिले है। तथापि, प्रमुख केन्द्रीय सहायता मत्स्यन बन्दरगाहों के क्षेत्र में दी गई है। अगस्त 1973 में 668 लाख रु० की अनुमानित लागत से मद्रास में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के एक बंदरगाह की मंजूरी दी गई थी। 1973–74 में 38 लाख रु०, 1974-75 में 140

लाख रु०, और 1975-76 में 85 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता इन वर्षों के दौरान अनुमानित खर्च के आधार पर दी गई है।

इसके अलावा केन्द्र ने तूतीकोरीन (210 लाख रु०) मल्लीपटनम (10.6 लाख रु०) और कोदयकराय (14.40 लाख रु०) में मध्यम आकार के मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों के निर्माण के लिए भी परिव्यय की मंजूरी दी है। तूतीकोरीन का बन्दरगाह पहले ही पूरा हो गया है, जबकि मल्लीपटनम और कोदयकराय दोनों स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है।

### महाराष्ट्र में मत्स्य पत्तनों के लिए केन्द्रीय सहायता

***749. श्री शंकर राव सावंत :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन बड़े तथा छोटे मत्स्य पत्तनों के नाम क्या है जिनके लिए केन्द्र द्वारा सहायता दी जा रही है ; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी सहायता दी गई है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) तथा (ख) सासून गोदी पर प्रमुख मत्स्यन बंदरगाह संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। रत्नागिरी और अगरदंडा दो अन्य प्रमुख बंदरगाहों की निवेश-पूर्ण सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

निम्नलिखित छोटे बंदरगाहों की मंजूरी दी गई है :—

| | |
|---|---|
| 1. करंजा . . | 11.46 लाख रुपए |
| 2. दतिवाड़ा . . | 3.04 लाख रुपए |
| 3. उत्तम . . . | 4.63 लाख रुपए |
| 4. थाल . . | 2.20 लाख रुपए |
| 5. मुलगांव–कोलीवाड़ा | 1.87 लाख रुपए |

### महिलाओं में निरक्षरता

***750. श्री एस०एम० बनर्जी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में निरक्षर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 से 1975 तक की अवधि में उनकी कितनी प्रतिशतता थी; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** (क) 1971 की जनगणना से उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार चार राज्यों में तथा पूरे देश में महिलाओं में निरक्षरता की प्रतिशतता इस प्रकार है ;

| राज्य | आयुवर्ग | | |
|---|---|---|---|
| | 15–24 | 25–34 | 35+ |
| राजस्थान . . . | 85.5 | 92.1 | 96.1 |
| बिहार . . . . | 85.1 | 91.1 | 95.6 |
| उत्तर प्रदेश . . . | 81.8 | 90.6 | 95.0 |
| मध्य प्रदेश . . . | 78.8 | 89.3 | 94.7 |
| अखिल भारत . . . | 67.5 | 81.3 | 89.6 |

(ख) 1972 से 1975 तक की अवधि की सूचना उपलब्ध नहीं है क्यों कि निरक्षरता के आंकड़े हर दशवार्षिक जनगणना के समय ही एकत्र किए जाते हैं।

(ग) औपचारिक तथा अनौपचारिक, दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर निरक्षर महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे है। उन उपायों में छात्रवृत्तियां, फीस माफी, पुस्तके तथा वर्दी अनुदान, छात्रावास, मध्यान्ह भोजन, कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम, 15–25 आयु वर्ग के छात्रों आदि के लिए गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम जैसे प्रोत्साहन सम्मिलित है। 6–11 और 11–14 आयु वर्ग की लड़कियों के दाखिलों में वृद्धि करने के विशेष प्रयासों की योजना बनाई गई है।

आशा है कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों तथा विभिन्न स्वैच्छिक एजेन्सियों के प्रयत्नों के साथ-साथ ये उपाय भी देश में महिलाओं के निरक्षरता की सीमा को कम करेंगे।

## राजकीय प्रौढ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बदरपुर, दिल्ली के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों द्वारा अभ्यावेदन

3599. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री राजकीय प्रौढ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बदरपुर, दिल्ली के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के अभ्यावेदन के बारे में 28 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**Production of Protein-Rich Food at Dalda Factory, Mamsi, Ujjain (M.P.)**

**3600. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether protein-rich foods and beverages are being produced by the Centre at the Dalda Factory, Mamsi Road, Ujjain (M.P.) and if so, particulars of production for the years 1972-73, 1973-74 and 1974-75; and

(b) other items being produced at the above factory, stocks available with it at present and profits earned or the losses suffered during the above years year-wise ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) & (b) The Food Corporation of India has set up a Solvent Extraction Plant at Ujjain for production of solvent extracted groundnut edible flour, which is a rich source of protein.

The various products and the quantities produced at the Plant during 1972-73. 1973-74 and 1974-75 and the closing stocks as on 31st March, 1976 in respect of each product are indicated below :—

| Typ of products | Quantity produced (in tonnes) | | | Closing stocks as on 31-3-76 |
|---|---|---|---|---|
| | 1972–73 | 1973–74 | 1974–75 | |
| 1. Solvent extracted groundnut edible flour | Nil | 113 | 669 | 761 |
| 2. Groundnut extractions | 3224 | 4521 | 3542 | 18 |
| 3. Rice Bran extractions | 717 | 1288 | 841 | 1 |
| 4. Groundnut expeller oil | 1648 | 1386 | 3380 | 581 |
| 5. Groundnut solvent extract oil | 287 | 335 | 390 | 98 |
| 6. Rice Bran solvent extracted oil | 121 | 207 | 140 | 84 |

The profits earned by the Corporation during these three years were as under :—

| | (Amount Rs. in lakhs) |
|---|---|
| 1972-73 | 70.99 |
| 1973-74 | 81.65 |
| 1974-75 | 261.11 |

The profits earned by the Corporation are not segregated and exhibited separately for processing units.

**Housing Facilities for Landless Industrial Workers and other Landless Persons**

**3601. Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed any target or formulated any scheme for housing facilities to the landless industrial workers and other landless persons as has been done in the case of landless agricultural labourer; and

(b) if so, particulars of steps taken in this regard ?

**The Minister of Works and Housing (Shri K. Raghuramaiah):** (a) & (b) As regards landless persons in rural areas other than landless agricultural labourers, the scheme which was initially formulated for allotment of house-sites to landless agricultural workers has been extended to bonafide village artisans such as potters, carpenters, blacksmiths, and fishermen, etc.

No separate scheme for landless industrial workers has been formulated. Nor has any target been fixed for housing facilities to the landless industrial workers. However, there is a scheme in the State Sector of the Plan called integrated Subsidised Housing Scheme for industrial workers and economically weaker sections of the community. Under the scheme subsidised rental houses are constructed for the low paid industrial workers and other economically weaker sections of the community, with an income not exceeding Rs. 500/- per month, but only after satisfying the requirements of persons with income upto Rs. 350/- per month, whose house rent is also subsidised to the extent of 50% of the approved cost of construction of a house. But, in cases of allotment to persons within the income limit of Rs. 351/- to Rs. 500/- per month, additional charges equivalent to 50% of the interest charges on the subsidy for the house, over and above the subsidised rent, are recovered from the allottees.

## ग्रामीण ऋण की समाप्ति के लिए ऋण का वितरण

3602. श्री समर गुह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के बाद सरकार द्वारा घोषित निति के अनुसार ग्रामीण ऋण को समाप्त करने हेतु अप्रैल, 1976 तक ऋण के वितरण के बारे में नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) 1976-77 के लिए ऐसे ऋण देने के लिए किए गए प्रस्ताओं सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से लघु तथा सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों हेतु ऋणों की व्यवस्था करने के लिए 1975-76 के लिए निर्धारित लक्ष्य और 1974-75 में दिए गए ऋणों बारे में सूचना भेजने तथा ऋण की आवश्यकता के बार में वांच्छित मूल्यांकन करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारत सरकार द्वारा श्री पी० शिवरामन की अध्यक्षता में नियुक्त कमेटी ने इन श्रेणियों के व्यक्तियों की उपभोग ऋण आवश्यकता के प्रश्न पर विचार किया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बैंकिंग विभाग को प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है ।

## केले का उत्पादन

3603. श्री बसन्त साठे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में केले का राज्य वार अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) इसके उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) :

(क)

| राज्य | उत्पादन (हज़ार मीटरी टनों में) | | |
|---|---|---|---|
| | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आन्ध्र प्रदेश | 169.7 | 113.9 | 149.7 |
| असम | 242.7 | 255.8 | 268.6 |
| बिहार | 39.0 | 35.8 | 43.6 |
| गुजरात | 353.4 | 252.4 | 252.4 |
| कर्नाटक | 143.2 | 101.8 | 91.7 |
| केरल | 362.3 | 357.9 | 353.6 |
| मध्य प्रदेश | 35.2 | 52.9 | 25.3 |
| महाराष्ट्र | 795.6 | 603.1 | 714.0 |
| मेघालय | 30.4 | 32.9 | 36.1 |
| उड़ीसा | 107.6 | 107.6 | 110.0 |
| तमिलनाडु | 1062.6 | 1051.9 | 1058.6 |
| त्रिपुरा | 17.8 | 17.5 | 17.5 |
| उत्तर प्रदेश | 9.4 | 9.7 | 7.6 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2.7 | 2.0 | 2.4 |
| मिज़ोरम | 2.5 | 4.5 | 11.3 |
| **योग अखिल भारत** | 3374.1 | 2999.7 | 3142.4 |

(ख) (1) भारत सरकार निर्यात करने योग्य किस्मों के केले का उत्पादन बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु गोवा और मध्य प्रदेश के राज्यों में केले का एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित पेकेज कार्यक्रम कियान्वित कर रही है।

(2) राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र की योजना में केले का उत्पादन बढ़ाने के लिए विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित कर रही है।

**Charter of Demands Submitted to Narmada Tribunal**

†3604. **Shri Martand Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Narmada Tribunal recently toured the eastern region of Madhya Pradesh also ;

(b) whether people's representatives also submitted a charter of demands to the Tribunal in regard to supply of water to three districts of Rewa Division from 'Bargi' Project on Narmada; and

(c) if so, reaction of Government thereon?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh):** (a) Narmada Water Disputes Tribunal visited the areas near Rewa during their tour of Madhya Pradesh in October-November, 1975.

(b) Yes, Sir.

(c) It is for the Government of Madhya Pradesh, who is a party to the dispute, to present its case before the Tribunal who will give its decision after taking into consideration all aspects of the case and the various contentions and submissions of the parties to the disputes.

## Jute Production

**3605. Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether jute is grown in a limited area at present and whether a scheme is being formulated for increasing its production;

(b) areas selected for increasing jute production; and

(c) parts of the country where there is good production of jute at present?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel):** (a) & (b) The area under jute production during 1975-76 was 5.87 lakh hectares. In order to increase its production a Centrally Sponsored Scheme of Intensive Jute District Programme is being implemented since 1972-73. This scheme is being implemented in the selected districts of Nadia, Murshidabad and Cooch Behar in West Bengal, Purnea and Katihar in Bihar, Nowgong and Goalpara in Assam, Cuttack in Orissa, Lakhimpur—Kheri, Sitapur and Bahraich in Uttar Pradesh and Srikakulum and Visakhapatnam in Andhra Pradesh (for mesta production only).

(c) The main jute producing districts which account for 70% of raw jute production in India are Murshidabad, Nadia, Cooch-Behar, 24 Paraganas and Hoogly in West Bengal, Purnea in Bihar, Nowgong Goalpara and Kamrup in Assam and Cuttack in Orissa.

## Allocations to Madhya Pradesh for Housing Schemes

**3606. Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) total amounts allocated to Madhya Pradesh for housing schemes during 1974-75 and 1975-76; separately;

(b) whether separate allocations were made for rural and urban housing schemes; and

(c) if so, amounts thereof?

**The Minister of Works and Housing (Shri K. Raghuramaiah):** (a) For the years 1974-75 to 1975-76, the Plan outlays for Madhya Pradesh for housing were Rs. 263 lakhs and Rs. 312 lakhs, respectively. These outlays include Rs. 50 lakhs for 1974-75 and Rs. 45 lakhs for 1975-76 for providing house-sites to landless workers in Rural Areas under the Minimum Needs Programme.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

## गृह निर्माण ऋण

3607. सरदार मोहिन्दर सिंह गिल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निम्न तथा मध्य आय के लोगों को बढ़ी हुई सीमा के अनुसार गृह निर्माण ऋण भी दिये जा रहे हैं ?

**निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : निम्न आय तथा मध्यम आय वर्गों के कर्मचारियों सहित सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के 75 महीने के वेतन के बराबर या 70,000 रुपये इनमें से जो भी कम हो, देय है बशर्ते की वे अग्रिम को वापस भुगतान करने की क्षमता रखते हों।

### दिल्ली के चिड़ियाघर को पानी की सप्लाई

3608. **सरदार स्वर्णसिंह सोखी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के चिड़िया घर को पन्द्रह दिन 17 अप्रैल 1976 तक 10,000 गैलन की दैनिक जरूरत का पानी नहीं मिल सका ;

(ख) क्या 240 एकड़ क्षेत्र में फैले इस चिड़िया घर में 2 किलोमीटर से अधिक लम्बी फैली हुई खाई सूख गई है ;

(ग) यदि हां, तो अधिकांशतः जल से ही जीवित रहने वाले जीवों की बचाने के लिए सरकार का इस बारे में क्या तात्कालिक कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या दिल्ली के चिड़ियाघर को कुछ समय के लिए दर्शकों के लिए बन्द कर दिये जाने की सम्भावना है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) इर्विन अस्पताल के पास बिना साफ किये जल की लाइन की मरम्मत के कारण दिल्ली चिड़ियाघर में 2-4-76 से 15-4-76 तक ऐसे जल की सप्लाई बन्द की गई थी। इसके फलस्वरूम दिल्ली चिड़ियाघर के सभी पशुओं के बाड़ों के गिर्द उन्हें बाहर जाने से रोकने के लिए जो नालियां और खाइयां खोदी हुई हैं, उनमें पानी सूखना शुरू हो गया और खाइयों के पानी के स्तर में कमी होने के कारण, पशुओं के बाहर जाने का खतरा पैदा हो गया था। परन्तु चिड़ियाघर में एक नल कूप भी है जो कि खाइयों में जल की सप्लाई के लिए वैकल्पिक स्रोत है। इससे स्थिति का सामना किया गया और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ऐसे जल की सप्लाई लगभग 15 दिनों में फिर से शुरू हो गई। तथापि चिड़िया घर में शुद्ध जल की सप्लाई में कोई बाधा नहीं पड़ी। अब स्थिति सामान्य है।

(ख) जी नहीं। यद्यपि खाइयों के अशुद्ध जल के स्तर में काफी कमी हो गई थी, परन्तु वे पूरी तरह से सूखी नहीं थी।

(ग) जरूरी नहीं है, क्योंकि अब स्थिति सामान्य हो गई है।

(घ) जी नहीं। अब स्थिति सामान्य है।

### दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि०, दिल्ली

3609. **श्री गजाधर मांझी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि० दिल्ली की वर्तमान प्रबन्ध समिति में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके विरुद्ध सोसाइटी के लाखों रुपयों के आपराधिक दुर्विनियोजन और गबन के अथवा सोसाइटी के कार्यों में धोकाधड़ी के आरोप लगाये गए हैं ;

(ख) क्या सोसाइटी के एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने विकास कार्यों के लिए सोसाइटी के ठेकेदार को कुछ वर्ष पूर्व चार लाख रुपयों की राशि दी थी जिन कार्यों को ठेकेदार ने कभी आरम्भ ही नहीं किया ; और

(ग) क्या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ऐसे पदाधिकारी/पदाधिकारियों को सोसाइटी से निकालने के लिए कार्यवाही करने के बारे में तथा उसके/उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के बारे में विचार कर रहा है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरमैया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल को नुकसान

3610. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हाल में हुई असामयिक वर्षा और ओलो से खाद्यान्न फसल को कितना नुकसान होने का अनुमान है ; और

(ख) उन राज्यों में उसका वसूली पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल)** : (क) हरियाण सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कुरुक्षेत्र, करनाल और अम्बाला जिलों में ओलों के कारण फसलों को 5.14 करोड़ रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है । असमायिक वर्षा के कारण फसलों को कोई क्षति नहीं पहुंची । उत्तर प्रदेश सरकार से अभी तक इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है और यह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) इन राज्यों में रबी के अनाज की वसूली पर इसका कोई खास असर पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

### Excess Payment Made to Contractors by D.D.A.

3611. **Kumari Kamla Kumari** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether D.D.A. has paid an amount in excess of the amount prescribed to contractors for development projects ;

(b) if so, names of such contractors and excess amounts paid together with the dates on which paid to them ;

(c) persons responsible for making the excess payments ; and

(d) action taken by the Department to recover the excess amounts as also the action taken against the concerned employees ?

**The Miniser of Works and Housing (Shri K. Raghuramaiah)** : (a) It has not so far been established that any overpayments have been made to the contractors by the D.D.A.

(b) to (d) The question dose not arise.

## Damage to Crop due to Wild Animals

3612. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether killing and hunting of all types of wild animals has been totally banned ;

(b) if so, whether Government are aware that a large quantity of crops is damaged by the boars and their killing is in the interest of protecting the crops ; and

(c) whether Government propose to relax the ban on killing of such animals who damage the crops ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) :** No, Sir. Certain species of animals are permitted to be hunted with license obtained from the Chief Wild Life Warden of the concerned State or any other Officer duly authorised by the State Government.

(b) No instances of boars damaging crops have come to the notice of the Government. The population of boars has depleted to an extent that their killing will not be in the interest of Wild Life in the country.

(c) Does not arise.

## हिमालय की नदियों का उपयोग

3613. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री बहुत उद्देश्यीय परियोजनाओं से हिमालय की नदियों पर नियंत्रण करने के बारे में 12 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमालय की नदियों के उपयोग के बारे में नेपाल सरकार के साथ बात-चीत के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** भारत सरकार के उच्च स्तरीय दल ने मार्च, 1976 में नेपाल का दौरा किया और उक्त दल ने शारदा नदी (जिसे महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है) पर पंचेश्वर बान्ध घाघरा नदी (जिसे नेपाल में करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है) पर करनाली परियोजना तथा राप्ती पर जल संचय बान्ध का संयुक्त अन्वेषण करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने हेतु विचार विमर्श किया जिससे दोनों देशों को आपसी लाभ होगा ।

## डा० श्रीकिशन सिंह विज्ञान संग्रहालय को अपने नियंत्रण में लेना

3614. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री विज्ञान संग्रहालय को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में 26 अप्रैल, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2563 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में पटना स्थित डा० श्रीकिशन सिंह विज्ञान संग्रहालय को अपने नियंत्रण में लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) और (ख) एक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना के लिए पटना के श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर के साथ बातचीत की जा रही है । शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कृष्ण ज्ञान मंदिर के ट्रस्टियों से बातचीत कर रहे हैं ।

**उड़ीसा में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए मकानों के निर्माणहेतु केन्द्रीय सहायता**

3615. **श्री डी० के० पण्डा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सरकार ने निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु गत तीन वर्षों में कितनी सहायता दी है ;

(ख) उड़ीसा में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंग के रूप में लोगों को कितने आवास स्थलोंका वितरण किया गया ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने कार्यक्रम के इस विशेष पहलू की क्रियान्विति में तेजी लाने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) वर्ष 1973 से 1975 तक उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसुचित जन जाति के व्यक्तियों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया गया है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरमैय्या)** : (क) निम्न आय वर्ग आवास योजना राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों का एक अंग है । चौथी पंचवर्षीय योजना ने प्रारम्भ से अर्थात 1-4-1969 से सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों (आवास) समेत के लिए केन्द्रीय सहायता "समेकित ऋणों" तथा "समेकित अनुदानों" में दी जाती है । यह समेकित केन्द्रीय सहायता किसी योजना परि-योजना अथवा विकास शीर्ष विशेष से सम्बन्धित नहीं है । राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों का नियतन करने तथा कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों को चुनने में स्वतन्त्र हैं ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने 31-3-1976 तक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहिन मजदूरों को 15,652 आवास स्थल बाटें है ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहिन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना जो कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों में से एक है पर दिल्ली में 5 तथा 6 मार्च 1976 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था । इस योजना के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया था ।

(घ) इस मंत्रालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए मकान बनाने की कोई पृथक योजना नहीं बनाई है । किन्तु-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ये व्यक्ति निर्माण और आवास मंत्रालय की वर्तमान आवास योजनाओं से लाभ उठा सकते है जो कि किसी जाति, धर्म अथवा सम्प्रदाय विशेष के लिए न होकर समस्त जनता के लिए बनाई गई हैं ।

**राजस्थान में अभावग्रस्त क्षेत्र**

3616. **श्री राम भगत पासवान : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राजस्थान राज्य के कुछ क्षेत्रों को हाल ही में अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या है और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लिए आवास योजनाओं के लिए वार्षिक बजट**

3617. श्री रानेन सेन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का निम्न आय वर्ग. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों तथा मध्यम आय वर्ग के लिए आवास योजनाओं हेतु कोई वार्षिक बजट है ;

(ख) यदि हां तो 1973–74 से 1975–76 तक इन योजनाओं पर कितनी धनराशियां खर्च की गई ; और

(ग) पश्चिम बंगाल बिहार और आसाम में उक्त अवधि में उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने मकान बनाये गए ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरामैया): (क) तथा (ख) केन्द्रीय क्षेत्र में केवल एक ही आवास योजना है. अर्थात बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना जिसके लिए केन्द्रीय क्षेत्र में व्यवस्था की जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान उनको निम्नलिखित राशियां दी गई थी :—

| वर्ष | दी गई राशि (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| 1973–74 . . . | 50.30 |
| 1974–75 . . . | 80.00 |
| 1975–76 . . . | 80.00 |

निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा आरम्भ की गई अन्य सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में है। सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों जिनमें आवास शामिल है. के लिए केन्द्रीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को "समेकित ऋणों" तथा "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं. जिनमें आवास शामिल है, के लिए निधियों का नियतन उन द्वारा निर्धारित की गई अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार करने में स्वतन्त्र है।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों पर आधारित एक विवरण संलग्न है जिसमें निम्न आय वर्ग आवास योजना, मध्यम आय वर्ग आवास योजना तथा बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अधीन असम. बिहार तथा पश्चिम बंगाल में बनाए गए मकानों की संख्या दी गई है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई अलग आवास योजना नहीं है।

विवरण

**निम्न आय वर्ग आवास योजना, मध्यम आय वर्ग आवास योजना तथा बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अधीन 1973-74 से 1974-75 तक के अवधि के दौरान बनाए गए मकानों की संख्या का विवरण**

| क्रम सं. | राज्य का नाम | के अधीन बनाए गए मकानों की संख्या | | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| | | निम्न आय वर्ग आवास योजना | मध्यम आय वर्ग आवास योजना | बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना | |
| 1 | असम . . | 24 | 15 | 2397 | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 164 मकान बनाए गए हैं। |
| 2 | बिहार . . | 1134 | 242 | योजना का कार्यन्वयन नहीं कर रहे हैं। | विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अधीन निर्मित मकानों का 15 प्र० श० अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। |
| 3 | पश्चिम बंगाल . | 1077 | 320 | 1047 | विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अधीन निर्मित मकानों का 5 प्र० श० अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। |

**मत्स्य पालक विकास एजेन्सी**

3618. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**

**श्री दटुना उरांव :**

**श्री शंकर नारायण सिंह देव :**

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य पालक विकास एजेन्सी के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में क्या काम हुआ है, वे कहां स्थित हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, और वर्तमान मत्स्य पालक विकास एजेन्सी द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति कहां तक की गई है ;

(ख) क्या एजेन्सियों की स्थापना करने के लिए प्रशासकीय मंजूरी के बावजूद अनेक राज्यों ने आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों के प्रमुख उद्देश्य ये हैं कि तालाबों और जलाशयों से समेकित ढ़ंग से मछलियों का उत्पादन बढ़ाया जाए और मत्स्य पालन सम्बन्धी क्रियाकलापों एवं विपणन कार्यों को प्रशिक्षण एवं विनियोजन के साथ जोड़ा जाए।

अब तक निम्नलिखित मत्स्य पालक विकास एजेन्सियां स्थापित की गई है :—

| राज्य | जिला | स्थिति |
|---|---|---|
| 1. पश्चिम बंगाल | बुर्दवान | बुर्दवान |
| 2. पं० बंगाल | पश्चिमी दीनाजपुर | पश्चिमी दीनाजपूर |
| 3. बिहार | चम्पारण | मौती हारी |
| 4. मध्य प्रदेश | रायपुर | धमतरी |
| 5. कर्नाटक | मैसूर | मैसूर |
| 6. उत्तर प्रदेश | जोनपुर | जोनपुर |
| 7. उड़ीसा | गंजम | बेहरामपुर |
| 8. राजस्थान | मोलवाड़ा | मोलवाड़ा |
| 9. गुजरात | सूरत | सूरत |
| 10. पंजाब | गुरदासपुर | गुरदासपुर |
| 11. हरियाणा | करनाल | करनाल |
| 12. केरल | पालघाट | पालघाट |
| 13. तामिलनाडु | थंजाबूर | थंजाबूर |
| 14. त्रिपुरा | दक्षिण त्रिपुरा | उदयपुर |

कुछ और प्रस्ताओं पर विचार किया जा रहा है।

ये एजेन्सियों मछुओं के प्रशिक्षण और मत्स्य पालक कार्य कलापों के लिए आबंटित किए गए जल क्षेत्रों के विकास में लगी हुई हैं। जब कभी आवश्यकता होती है तो जल क्षेत्रों का सुधार करने के लिए बैंकों से ऋणों की व्यवस्था की जाती है।

(ख) अब राज्य सरकारों ने आवश्यक शर्तें पूरी कर ली है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Recruitment of Youth Coordinators for Nehru Youth Centres**

3620. **Shrimati Savitri Shyam:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) when the recruitment to the posts of Youth Coordinators for Nehru Youth Centres will be made and the recruitment rules framed;

(b) number of the Youth Co-ordinators appointed in Bihar so far and the criteria on which appointments were made; and

(c) number of posts of the Youth Co-ordinators created for Bihar and Uttar Pradesh in 1975 and number of candidates called for interview for making appointments against these posts?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav):** (a) Recruitment Rules are under consideration; meanwhile ad-hoc appointments in the posts of Youth Coordinators are being made.

(b) 9 Youth Coordinators have so far been appointed in Bihar on ad-hoc basis. The appointments have been made on the recommendations of the Selection Committee appointed by the Central Government from amongst the candidates suggested by the State Government. The main criteria for the appointments have been—

(i) candidates should be between the age of 25 and 35; there is, however, no age limit for Government Officers appointed on deputation.

(ii) be at least graduates;

(iii) should have a minimum of five years experience of teaching and/or physical education, educational administration or equivalent as social service organiser;

(iv) should also have experience in youth work, sports, social service, etc.;

(v) should have an understanding of the ideals and objectives for which the Nehru Yuvak Kendras have been established; and

(vi) capacity to mobilise youth for the programme of the Kendras.

(c) 6 posts of Youth Coordinators created in Bihar and 11 in Uttar Pradesh during 1975, 4 candidates recommended by Bihar Government and 3 by Uttar Pradesh Government were called for interview.

**गरीब लोगों के लिए मकान बनाने हेतु केन्द्रीय सहायता**

3621. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75, में गरीब लोगों के लिए मकान बनाने हेतु कितनी धनराशि दी है ;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में इन वर्षों में कितने मकान बनाये गये; और

(ग) उत्तर प्रदेश में आपात स्थिति के बाद कितने लोगों को मकानों के लिए भूमि दी गई ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) :** (क) बागान कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र सहायता प्राप्त आवास योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहिन मज़दूरों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को निम्नलिखित राशि दी गई:—

(लाख रुपयों में)

| वर्ष | के अन्तर्गत दी गई राशि | |
|---|---|---|
| | बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना | ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहिन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना |
| 1972–73 . | 49.74 | 438.97 |
| 1973–74 . | 50.30 | 290.99 |
| 1974–75 . | 80.00 | यह योजना 1 अप्रैल, 1974 स राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गई हैं। |

निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई सभी अन्य सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता जिस में आवास शामिल हैं, राज्य सरकारों को "समेकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों" के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा दी जाती है। राज्य सरकारें उन के द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिये जिस में आवास शामिल है निधियों का नियतन करने में स्वतंत्र है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उनके द्वारा इन वर्षों के दौरान विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत 8.337 मकानों का निर्माण किया।

(ग) आपात कालीन स्थिति की घोषणा के बाद, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को 2,02,741 आवास स्थल दिये गये।

**स्कूलों में छात्राओं के लि अनिवार्य खेलकूद**

3622. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी स्कूलों में छात्राओं के लिए खेलकूद अनिवार्य करने हेतु इस वर्ष में कदम उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) स्कूल शिक्षा राज्य का विषय है। इस शैक्षिक वर्ष से राज्य सरकारे सभी स्कूलों में लडकियों के लिए खेलों को अनिवार्य करने के संबंध में निर्णय ले सकती है। तथापि वर्तनाम स्थिति यह है कि शारिरीक शिक्षा स्कूल पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग है और प्रत्येक कक्षा की समय सारिणी में इसकी व्यवस्था है, भले ही यह परीक्षा का विषय न हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### थार मरुस्थल में जल का अभाव

3623. चौधरी नीतिराज सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या थार मरूस्थल में जल के अभाव को दूर करने के लिए वहां परमाणु विस्फोट करके भूमिगत जलाशय बनाये जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अभी यह मंत्रालय इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

### Non-payment of salary in time to teachers in Delhi

†3624. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether teachers in Delhi do not get their pay in time and if so, reasons therefor;

(b) whether many teachers have not been paid arrears of their dues for the last three years; and

(c) if so, steps proposed to be taken by Government in the matter?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav):** (a) to (c) According to the information furnished by Delhi Administration, Municipal Corporation of Delhi and New Delhi Municipal Committee, teachers working in Government and aided schools are paid their salaries generally in time. The arrears of their dues have also been paid in most of the cases. Only in some cases, on account of delay in the fixation of pay, payment of arrears has not been made. Every effort is being made by the Delhi Administration to clear these cases as early as possible.

### नेहरू युवक केन्द्रों के कार्य तथा प्रगति का मूल्यांकन

3625. श्री वयालार रवि : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेहरु युवक केन्द्रों के कार्य तथा प्रगति का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग म उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) और (ख) नेहरु युवक केन्द्र सहित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के अपने-अपने गुणाव गुणों का मूल्यांकन करने तथा इन कार्यक्रमों के समेकित और समन्वित कार्यान्वियन के उपायों की सिफारिश करने के लिए ले० कर्नल कैंड़ेथ की अध्यक्षता में एक अनौपचारिक दल की स्थापना की गई थी। दल ने नेहरु युवक केन्द्रों के कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया, किन्तु साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि उसके कार्यकरण का मूल्यांकन करने का अभी समय नहीं आया है।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के लेखों की जांच

3626. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रानेन सेन :
श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारतीय प्रबन्ध संस्थान को दिये गये अनुदानों की वार्षिक राशि कितनी है;

(ख) क्या संस्थान के वर्ष 1973-74 के लेखों की जांच से लेखों में हेराफेरी, अप्राधिकृत भत्ते, लेने, बिना लेखाबद्ध की गई नकद राशि, विशिष्ट ठेकों के लिये न्यूनतम दर के निविदाओं की उपेक्षा, नकारे गये बैंक चैक आदि बहुत सी अनियमितताओं का पता चला है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :** (क) संस्थान को दिए गए अनुदानों की राशि वर्ष प्रति वर्ष भिन्नभिन्न है, जो संस्थान की आवश्यकताओं तथा केन्द्रीय निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। वर्ष 1975-76 के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने संस्थान को 56.26 लाख रुपये दिए थे, जिनमें से 11.63 लाख रुपये अनावर्ती व्यय तथा 44.63 लाख रुपये आवर्ती व्यय के लिए थे।

(ख) और ग) महालेखापाल, केन्द्रीय कलकत्ता द्वारा वर्ष 1973-74 के लिए किए गए विशेष निरीक्षण की रिपोर्ट में, जो सितम्बर, 1975 में प्राप्त हुई थी ऐसी बहुत सी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है, जो पिछले वर्षों में भी दर्शाई गई थी। शासी निकाय ने फरवरी 1974 में हुई अपनी बैठक में इन अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की और केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा पूर्ण जांच तथा तहकीकात शुरु करने तथा लेखा और रोकड़ तथा प्रशासन के सम्पूर्ण विभाग को सरल और कारगार बनाने का निर्णय किया था। तहकीकात के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने तात्कालिक सहायक लेखापाल तथा रोकडिया पर मुकदमा चलाने का निर्णय किया। सहायक लेखापाल अब संस्थान की सर्विस में नहीं है किन्तु रोकडिया को निलंबित कर दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने उन दोनों पर मुकदमा दायर किर दिया है। मुकदमा चल रहा है।

वित्तीय तथा प्रशासन की प्रणालियों को सरल और कारगर बनाने के लिए, उक्त संस्था के प्रशासन और लेखा पद्धति की जांच करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की। उप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसपर 6 मई, 1976 को हुई अपनी बैठक में शासी निकाय द्वारा विचार किया गया था और बोर्ड ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यह इच्छा व्यक्त की है कि सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक नियतकालिक कार्यक्रम तैयार किया जाए और समय-समय पर उसकी प्रगति रिपोर्ट दी जाए।

## जनकपुरी, दिल्ली में सीवर लाइनों का बिछाया जाना

3627. **श्री शशि भूषण : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, दिल्ली में सीवर लाइनों के निर्माण पर भारी धनराशि का दुर्विनियोग और दुरुपयोग किया गया था ;

(ख) क्या उक्त सीवर लाइनें स्वीकृत नक्शों के अनुसार नहीं बिछाई गई थीं अथवा गलत बिछाई गई थीं ;

(ग) क्या सरकार ने जांच एजेन्सियों से इस बारे में जांच करने का अनुरोध किया है; और

(घ) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) :** (क) जी नहीं।

(ख) तकनीकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए गए नक्शों के अनुसार सीवर लाइनें बिछाई गई थीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## जौ तथा चने का निर्यात

3628. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौ तथा चने का निर्यात करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है जिनके लिए विदेशों में मांग है और वे स्थानीय आवश्यकता से अधिक माला में उपलब्ध हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** लाइसेंसिंग अवधि अप्रेल, 1976 से मार्च, 1977 के दौरान जौ के निर्यात के लिए 25,000 मीटरी टन का कोटा निर्धारित किया गया है। उसी अवधि के दौरान चने की केवल एक किस्म अर्थात् गुलाबी चना के साँथ दालों की अन्य कुछेक विशिष्ट किस्मों के निर्यात की इजाजत दी जाती है जिसकी कुल उच्चतम सीमा 5,000 मीटरी टन है।

## केरल में "काफ" राजसहायता योजना

3629. **श्री एन० श्रीकान्त नायर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य भर में "काफ" राजसहायता योजना क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) और (ख) त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम के जिलों में 'काफ' राजसहायता योजना के प्रस्तावों को जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, स्वीकृत कर लिया गया है। राज्य के शेष जिलों में योजना को बढ़ाने के लिए विस्तृत प्रस्तावों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

### शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति

3630. **श्री चन्द्र भाल मनी तिवारी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में कुछ प्रिंसिपलों की शिक्षा अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति की गई है ;

(ख) क्या किसी महिला प्रिंसिपल की पदोन्नति नहीं की गई जबकि वे पदोन्नति किये गये कुछ पुरुष प्रिंसिपल से वरिष्ठ थीं और उनमें राज्य द्वारा पुरस्कार प्राप्त महिला प्रिंसिपल भी थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) जी हां।

(ख) चार महिला प्रिंसिपल की पदोन्नति की गई थी जिनमें से दो राज्य द्वारा पुरस्कृत थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### क्षेत्रवासी डी० ए० वी० कालेज, निराकारपुर [illegible]रा प्रस्तुत योजनाएं

3631. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उड़ीसा में उत्कल विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्षेत्रावासी डी० ए० वी० कालेज, निराकारपुर द्वारा प्रस्तुत विभिन्न योजनाओं का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन परियोजनाओं के लिये धन दे दिया गया है; और

(ग) अनुमोदित योजनाओं के नाम क्या हैं?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) :** (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डी० ए० वी० कालेज, निराकारपुर (उत्कल विश्वविद्यालय) को चौथी योजना के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के लिये विकास अनुदान स्वीकृत किये तथा दिये हैं।

| क्रम संख्या | परियोजना/उद्देश्य | स्वीकृत अनुदान | दिया गया अनुदान |
|---|---|---|---|
| 1 | पुस्तक अनुदान (1970–69) . . | 3,000 | 3,000 |
| 2 | पुस्तक अनुदान (1970–72) . . | 4,500 | 4,500 |
| 3 | पाठयपुस्तक पुस्तकालय . . | 4,000 | 4,000 |
| 4 | पुस्तकालय की पुस्तकों के लिये मूल अनुदान | 3,000 | 3,000 |
| 5 | प्रयोगशाला उपस्कर . . | 15,000 | 15,000 |
| 6 | छात्रकल्याण कार्यक्रम . . | 2,000 | 2,000 |
| 7 | गैर आवासी छात्र केन्द्र . . | 29,426 | 23,000 |

इसके अलावा कालेज आयोग से छात्र सहायक निधि की स्थापना के लिये सहायता प्राप्त कर रहा है। कालेज को चाल योजना की अवधि के दौरान छात्र सहायता निधि तथा पुस्तक बैंकों के अंतर्गत देय अनुदान भी दिये गये हैं। गैर आवासी छात्र कन्द्र के लिये शेष अनुदान समापन दस्तावेज प्राप्त होने पर दिया जायेगा और कालेज से इसे शीघ्र भेजने के लिये अनुरोध किया गया है।

तथापि आयोग द्वारा पांचवीं योजना अवधि के लिये कालेज के विकास प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जा सके क्योंकि कालेज की डिग्री कक्षाओं मे छात्रों की अपेक्षित संख्या नहीं है। कालेज को यह सलाह दी जा रही है कि वह तब आवेदन करे जब दाखिले तथा संकाय कर्मचारियों से संबंधित वे अपेक्षित शर्तें पुरी हों जाएं जिनका उल्लेख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी रुपरेखाओं में किया गया है।

## काजू उत्पादन में आत्मनिर्भरता

3632. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी चार पांच वर्षों में कच्चे काजू के उत्पादन में देश आत्म निर्भर हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य क्या हैं?

**कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल)** : (क) जी नहीं।

(ख) पांचवीं योजना के अंत तक कच्ची काजू गिरी की प्रक्षिप्त मांग 3,20,000 मीटरी टन की है। इसके विपरित पांचवी योजना के आरम्भ में 1,40,000 मीटरी टन देशी उत्पादन का अनुमान था। कच्ची गिरी के देशी उत्पादन को बढ़ाने के लिये यद्यपी सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। फीर भी पांचवी योंजना के अंत तक मांग और सप्लाई में अंतर होना संभव है।

## केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण इंजीनियरी संगठन द्वारा स्वीकृत जल प्रदाय तथा सफाई कार्यक्रम

3633. **चौधरी रामप्रकाश** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण इंजीनियरी संगठन ने बहुत से जल प्रदाय तथा सफाई कार्यक्रमों पर तकनीकी स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओ के स्थल कौन–कौन से हैं तथा अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की जा चुकी है?

**निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी; हां।

(ख) राष्ट्रीय जलपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम को 1954 में आरम्भ करने से लेकर मार्च, 1976 तक इस संगठन ने विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों की

775 करोड़ रुप की लागत तथा ग्रामीण क्षेत्रों की 392 करोड़ रुपये की लागत की योजनाएं तकनीकी तौर पर अनुमोदित की है।

**ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रिसर्च कौंसिल सूसेक्स द्वारा नाइट्रोजन उर्वरकों का कम लागत पर उत्पादन**

3634. **श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रिसर्च कौंसिल सूसेक्स यूनिट के वैज्ञानिकों ने कम लागत पर नाइट्रोजन उर्वरक बनाए है और उन्हें बनाने की सम्भावनायें पैदा कर दी हैं;

(ख) क्या इस प्रक्रिया का विकास करते हुए उनका यह दावा सही हैं कि उन्होने पहली बार नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में "फिक्स" किये है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या ह, और इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) से (ग) जी हां, ब्रिटेन का कृषि अनुसंधान परिषद, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यूनिट ससेक्स विश्वविद्यालय में काम करने वाले प्रो० जे० चैट और उनके सहयोगी कार्यकर्ताओ द्वारा सक्ष्मजीवों की प्रयोगशाला से नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के सफलतापूर्वक अनुरुपण की घोषणा की सरकार की जानकारी है। ब्रिटेन की साप्ताहिक पत्रिका "नेचर के 3 जनवरी, 1975 के अंक में इस विषय पर इन वैज्ञानिको का एक पत्र भी प्रकाशित हुआ है।

ससेक्स विश्वविद्यालय की उपयुक्त अनुसंधान यूनिट नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंधित मूल अनुसंधान का काम करती है। इसके अन्तर्गत वायुमण्डल की प्रारंभिक नाइट्रोजन की अमोनिया या उसके अन्य रूपों से परिवर्तित किया जाता है—ताकि पौधे इसे आसानी से ग्रहण कर सकें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विभिन्न पहलुओ अर्थात शुद्ध रसायन शास्त्र से सूक्ष्मजीव आनुवंशिकी तक पर अध्ययन चल रहे हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित प्रकृति से होने वाली जैसी प्रतिक्रियाओ का पता लगाने के उद्देश्य से रसायन शास्त्री नाइट्रोजन अणु की प्रतिक्रियाओ का अध्ययन कर रहे हैं। ब्रिटेन में ससेक्स विश्वविद्यालय के नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कृषि अनुसंधान परिषद की इकाई के वैज्ञानिकों से सूक्ष्मजीवो द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सफलतापूर्वक अनुरुपण का दावा किया है। अनेक इलैक्ट्रोनोयुक्त तथा प्रयोगशाला में तैयार किये गये योगिक में मोलिब्डेनम के परमाणु के साथ नाइट्रोजन के अणु को संबद्ध किया गया। मेथाइल अल्कोहल पानी के समान एक प्रोटिक घालेक है। यह यौगिक सल्फूयूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया के अंतर्गत अपने इलेक्ट्रोनोयुक्त को नाइट्रोजन के अणु में हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार नाइट्रोजन का अणु अमोनिया में बदल जाता है जिसके अमोनिया के उत्पादन से 30–40 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इसी प्रकार टंगस्टन यौगिक इससे भी अधिक कारगर ढंग से कार्य करता है जिससे 90 प्रतिशत अमोनिया का उत्पादन होता है। लेकिन मोलिब्डेनम और टंगस्तन दोनों ही योगिक अमोनिया बनाने के सिलसिले में सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से नष्ट हो जाते हैं। अतः जब तक कि इस प्रतिक्रिया को उत्प्रेरक नहीं बनाया जाता, इस अनुसंधान–परिणाम का व्यावसायिक उपयोग फिलाल संभव नहीं लगता।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रख कर इस प्रक्रिया का व्यावहारिक अथवा बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग करने के लिए अभी कोई कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के खजान्चियों को विशेष वेतन

3635. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न डिवीजनों में प्रतिमास सात हजार से अधिक पये का लेन देन करनेवाले खजान्चियों को 30 रुपये प्रतिमास विशेष वेतन देने की अनुमति है जब कि भारत सरकार के आदेशानुसार वे 40 पये विशेष वेतन पाने के अधिकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उनके द्वारा की जाने वाली नकद के लेन देन के अनुसार उन्हें विशेष वेतन देने के बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार खजांचियो द्वारा जमानत दिये जाने की शर्त पर, वे 30 रुप प्रतिमास लेनेके पात्र हैं यदि वे प्रति मास 20,001 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की औसतन राशी का वितरण करते हों और 40 रुपये प्रतिमास यदि प्रति माह वितरण राशि 50,001 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच हो। इन आदेशों का अनुपालन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भी किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

**To be answered on the 10th May, 1976**
**Tobacco Production and Export**

3636. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) Production of different varieties of tobacco in Andhra Pradesh, Gujarat and Tamilnadu, States during 1975-76;

(b) quantity of each variety of tobacco exported;

(c) amount earned from the export;

(d) measures being taken to boost production of different varieties of exportable tobacco in the said States?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel):** (a) The estimates of production of Tobacco for 1975-76 from different States including Andhra Pradesh, Gujarat and Tamilnadu are due to become available some time by the end of August, 1976. However, variety-wise area and production of Tobacco in respect of Andhra Pradesh, Gujarat and Tamilnadu for the year 1974-75 are indicated below:—

Area: In 1000 hectare.
Production: In 1000 tonnes

| State | Variety | Area | Production |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Nicotiana Tobacum | | |
| | i) Virginia | 124.1 | 111.6 |
| | ii) Others | 71.1 | 70.1 |
| Gujarat | Nicotiana Tobacum | 88.5 | 127.4 |
| Tamil Nadu | Nicotiana Tobacum (Stalks and Stems along with leaf) | 11.3 | 10.6(0.6) |

(b) & (c) The provisional export of unmanufactured tobacco during the period April, 1975 to February, 1976 are estimated at 65.7 million Kgs. valued at Rs. 85.31 crores. A statement indicating variety wise figures of exports and its value for the period April, 1975 to November, 1975 is enclosed.

(d) In order to boost up production of exportable types of tobacco besides State Sector efforts a Centrally Sponsored Scheme for the expansion of cultivation in the selected light soil areas is being implemented since 1966-67 and is continuing during 1976-77.

**Statement**

**Available varietywise figures of Exports for the period from April, 1975 to November, 1975**

| Variety | Quantity (1000 kgs.) | Value (Rs. 1000) |
|---|---|---|
| For manufacture of Bidi | 2,424 | 16,038 |
| For manufacture of Chewing Tobacco | 413 | 2,563 |
| Sun cured Natu country | 508 | 5,453 |
| Virginia flue cured | 55,957 | 777,284 |
| Virginia sun cured | 2,763 | 18,179 |
| Burley Tobacco | 99 | 898 |
| Hookah Tobacco | 11 | 67 |
| Others | 193 | 1,079 |
| Total | 62,368 | 817,555 |

**कलकत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट**

3637. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1976 में कलकत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो कितने देशों ने उसमें भाग लेना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन का विचार अन्तर्राष्ट्रीय ऑलम्पिक कमेटी से यह अनुरोध करने का है कि कबड्डी को ओलम्पिक खेलो में सम्मिलित किया जाये?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) से (ग) भारतीय अव्यवसायी कबड्डी संगठन द्वारा यह सूचित किया गया है कि उसने पश्चिम बंगाल कबड्डी संघ को नवम्बर, 1976 में कलकत्ता में एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए प्राधिकृत किया है। पश्चिम बंगाल कबड्डी संघ ने उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये नेपाल, श्रीलंका, बंगला देश और मारिशस की कबड्डी टीमों को आमंत्रित किया है। पश्चिम बंगाल कबड्डी संघ द्वारा उक्त प्रतियोगि में भाग लेने से संबंधित सम्पुष्टि नेपाल, श्रीलंका तथा बंगला देश की तथाकथित कबड्डी टीमों स प्राप्त हो चुकी है।

भारतीय ओलम्पिक संघ के अनुसार ओलम्पिक खेलों में कबड्डी को शामिल किये जाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से पत्रव्यवहार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय का कलकत्ता से दिल्ली में अन्तरण**

3638. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय का कलकत्ता से दिल्ली में अन्तरण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**गेहूं के खुले बाजार के मूल्य तथा निर्गम मूल्य के अन्तर के बारे में उत्तर प्रदेश फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ज्ञापन**

3639. **श्री वसत सा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सरकार को गेहूं के खुले बाजार के मूल्य तथा निर्गम मूल्य में अन्तर के बारे में सरकार को एक ज्ञापन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन के मुद्दे क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) से (ग) उत्तर प्रदेश रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन ने क ज्ञापन दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गेहूं के निर्गम मूल्य में कमी करने, पड़ौसी राज्यों को मैदा का निर्यात करने के लिए अनुमति देने और गेहूं से बने पदार्थों आदि की निस्सारण-प्रतिशतता में भिन्नता के लिए स्वतंत्रता देने के लिए अनुरोध किया गया है। देश के अन्य भागों के रोलर फ्लोवर मिलों/एसोसिएशनों से भी इसी प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश रोलर फ्लोअर मिलर्स एसोसिएशन ने जिन मुद्दों को उठाया है वे सरकार के विचाराधीन है।

**Central Grants to State Sports Councils**

†3640. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture be pleased to state:**

(a) whether Government have decided to double the Central grants to States' Sports Councils;

(b) if so, the items for which this grant is proposed to be given mainly; and

(c) amounts of grants being given at present and the grants proposed to be given to Madhya Pradesh and Rajasthan?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam):** (a) & (b) Government of India have decided to enhance the ceilings of its grants, given on a matching basis, to State Sports Councils or State Governments, as the case may be, for the purposes indicated in the attached statement, during the remainder of the Fifth Plan period.

(c) Grants are given, under the scheme, to State Governments/State Sports Councils on requests received from them which are duly considered. During the first two years of the current Plan period grants totalling Rs. 1,92,775/- and Rs. 1,10,714/-

were sanctioned to Madhya Pradesh and Rajasthan respectively. Future grants will be depend on proposals, as may be received.

**Statement**

**Central scheme of grants to State Governments/State Sports Councils for promotion of sports, games and Physical education**

| S. No. | Item | Ceiling of Central assistance as in force upto 31-3-76 | Revised ceiling of Central assistance from 1-4-76 to end of V Plan period |
|---|---|---|---|
| 1. | Construction of Utility Stadia, Swimming Pools and Indoor Stadia. | Rs. 50,000 or 50% of the cost whichever is less. | Rs. 1 lakh or 50% of the cost whichever is less. |
| 2. | Floodlighting of playgrounds | Rs. 10,000 or 50% of the expenditure whichever is less. | Rs. 25,000 or 50% of the expenditure whichever is less. |
| 3. | Holding of annual coaching camps. | Rs. 25,000 or 50% whichever is less, for States and Rs. 10,000 or 50% whichever is less for Union Territories. | Rs. 50,000 or 50% whichever is less for States and Rs. 20,000 or 50% whichever is less for Union Territories. |
| 4. | Purchase of Sports equipment | Rs. 25,000 to meet 75% of the cost in the entire Plan period. | Rs. 35,000 to meet 75% of the cost in the entire Plan period. |
| 5. | Establishment of Rural Sports Centres. | Rs. 220 per annum per Centre for the first year and Rs. 170 for each subsequent year, subject to the State Government contributing matching share. | Rs. 380 per annum for the first year and Rs. 80 for each subsequent Plan year, subject to the State Government contributing matching share. |
| 6. | Construction of Composite Stadia/Sports Complexes. | No provision. | Rs. 5 lakhs or 25% of the cost of the Project whichever is less. |
| 7. | Development of facilities in Physical Education Training Institutions. | | |
| | (a) Construction of Gymnasium Hall. | Rs. 50,000 or 50% of the cost, whichever is less. | Rs. 1 lakh or 50% of the cost whichever is less |
| | (b) Costruction of Swimming Pool. | Do. | Do. |
| | (c) Development of grounds. | Rs. 20,000 or 50% of the cost, whichever is less. | Rs. 20,000 or 50% of the cost, whichever is less. |
| | (d) Purchase of sports equipment and books for library. | Rs. 10,000 or 50% of the cost, whichever is less. | Rs. 15,000 or 50% of the cost, whichever is less. |

**Setting up of Sugar Mill in U.P. for Manufacturing Sugar from Beet**

3641. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether a scheme has been formulated for setting up a sugar mill in Uttar Pradesh for manufacturing sugar from beet and whether this scheme has since been approved by Central Government; and

(b) Comparative percentage of sucrose contents in beet and sugarcane?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) An application for the grant of industrial licence for setting up a sugar factory in the cooperative sector at Pantnagar, utilizing both sugarcane and sugar beet, was received. A decision on it would be taken after receipt of the project feasibility report from the Govt. of Uttar Pradesh.

(b) Sucrose content ranges from 15 to 17 per cent in beet and from 12 to 13 per cent in suger cane, in Uttar Pradesh.

**Financial Assistance for Promotion of Mechanised Farming**

3642. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) names of the States for which financial assistance or schemes have been approved by the Agricultural Refinance Corporation for promoting mechanised farming;

(b) names of the agencies through which loans are to be given for the implementation of the schemes;

(c) amount earmarked therefor; and

(d) acreage of land to be brought under mechanised or intensive cultivation under these schemes?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) to (d) Agricultural Refinance and Development Corporation have sanctioned 393 schemes of Farm Mechanisation in the states of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Haryana, Gujarat, Kerala, Punjab, Maharashtra, Karnataka, Orissa, Tamil-Nadu, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and West Bengal and Union Territories of Delhi etc. involving a financial assistance of Rs. 136.02 crores, out of which ARDC's commitment will be Rs. 104.87 crores upto 29th February, 1976. These schemes are being financed by the financing institutions like State Land Development Banks, Scheduled Commercial Banks and the State Cooperative Banks.

These schemes which are economically viable and technically feasible have been sanctioned by A.R.D.C.

**F.C.I. Sales Depot in M.P.**

3643. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Food Corporation of India has opened its sales depot in Madhya Pradesh;

(b) if so, whether the consumers have benefited from it in every respect particularly in regard to availability and prices of consumer goods; and

(c) if so, salient features in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Sinde):** (a) to (c) The sale depots opened by the Food Corporation of India in Madhya Pradesh issue foodgrains and sugar to the fair-price shops against allocations by the State Government. Direct sales to the consumers are not made from these depots. The consumers are benefited by these depots only in the sense that fair-price shops can draw their requirements easily from these depots.

### Area under Wheat Cultivation in M.P.

**3644. Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the area under wheat cultivation in rabi season this year in Madhya Pradesh is more than that of the last year; and

(b) if so, reasons therefor?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel):** (a) & (b) According to the all-India first estimate of Wheat for 1975-76 released recently, the area under wheat in Madhya Pradesh has shown an increase over the corresponding estimate for 1974-75. It may be mentioned that area during 1974-75 had declined due to adverse weather conditions. During 1975-76 with favourable weather and increased irrigation facilities, area under wheat has recovered to the normal level.

### New Sugar Mills in M.P.

**3645. Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) number of new Sugar Mills set up by Government in Madhya Pradesh; and

(b) number of mills which have started production?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) None.

(b) Does not arise.

### शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अधिकारी

3646. **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के कितने अधिकारी हैं;

(ख) उपरोक्त अधिकारियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कितने अधिकारी हैं; और

(ग) यदि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित प्रतिशतता से कम रही है तो इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने क्या कदम उठाये है?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

### Licences for Deep Sea Fishing

**3647. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether licences for deep sea fishing have been granted to some big firms during the period from 1972 to 1975 as a result of which the business of small fishermen is almost coming to a stand still;

(b) if so, number of licences granted each year indicating names of those granted licences; and

(c) whether Government have received some complaints from these small fishermen and their organisations and societies and if so, action taken so far by Government thereon?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel):** (a) & (b) Deep Sea Fishing is not a licenceable industry at present. However, big firms are required to get letters of intent for setting up shore facilities for fish processing. Import licences for the import of trawlers for deep sea fishing have been given during the period 1972 to 1975 to the following firms:

| | | |
|---|---|---|
| 1972 | —— | Nil |
| 1973 | —— | Nil |
| 1974 | —— | M/s I.T.C. Ltd. for 2 trawlers. |
| | —— | M/s Britania Biscuits Co. Ltd. for 2 trawlers. |
| | —— | M/s E.I.D. Parry Ltd. for 2 trawlers. |
| 1975 | —— | Nil |

The trawlers are yet to arrive. The policy of the Government is to encourage all sectors — big, small, medium, cooperatives, public and private sectors in deep sea fishing, as it is a capital intensive industry. The huge potential in marine fisheries is untapped and rapid development of deep sea fishing industry is necessary.

Small fishermen operate only in the inshore waters and not in the deep sea. However, six small parties have been granted loans from the Shipping Development Fund for the acquisition of trawlers.

(c) The matter was raised in the last meeting of the Central Board of Fisheries and the question of appointing a Committee to go into this question is under consideration.

### Scheme to Settle Persons Belonging to S.C./S.T. in Delhi

**3648. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Government have prepared a scheme to settle persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are poor and homeless in Delhi in pursuance of the 20-Point programme; and

(b) if so, outline thereof?

**The Minister of Works and Housing (Shri K. Raghuramaiah):** (a) & (b) The Delhi Administration has no separate scheme to settle the persons belonging to S.C. and S.T. in Delhi in pursuance of the 20-point Programme. However, there is a plan scheme known as the Scheme for Provision of House-sites for Landless Workers in rural areas, which is being implemented in 17 States and 6 Union Territories including Delhi with great vigour after its inclusion in the 20-point Programme of the Prime Minister. The houseless persons belonging to S.C./S.T. are also covered under the Scheme. Moreover, the Scheme provides for giving priority to those Blocks in the District, which have a sizeable concentration of landless rural labourers belonging to S.C./S.T. After the declaration of the 20-point Economic Programme, 4485 house-sites have been allotted in the Union Territory of Delhi, out of which 2353 have been allotted to Harijans.

The Delhi Development Authority has also launched housing and resettlement schemes in the true spirit of the 20-point Economic Programme of the Prime Minister. In the housing schemes of the Authority 25 per cent of the houses and also 25 per cent of residential plots have been earmarked for persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, while in the resettlement schemes of the Authority a large number of such persons have been resettled.

### फुहा-मोकामा-बड़लिया टाल के लिए पानी की निकासी सह-सिंचाई योजना

3649. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री बिहार में बाढ़ नियंत्रण और कृषि उत्पादन में वृद्धि संबंधी परियोजनाओं के बारे में 3 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न सं० 193 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फतुहा-मोकामा-बड़लिया टाल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार का विचार परियोजनाओं को कब तक क्रियान्वित करने का है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** पुनपुन तटबंध स्कीम को 77 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर कार्यान्वियन के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है । राज्य सरकार ने सूचित किया कि इस तटबंध स्कीम पर निर्माण कार्य बहुत शीघ्र आरंभ किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने अब एक जल–निकास स्कीम तैयार की है जिसमें 214 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें पुलियों और पुलों में बाढ़–रोधी स्लुसों तथा गंगा नदी के दक्षिण तट पर मर्जिनल तटबंध को व्यवस्था करना शामिल है। इस स्कीम की अभी गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में जांच की जा रही है। इस स्कीम का क्रियान्वयन योजना आयोग द्वारा इस स्कीम की स्वीकृति पर और साथ ही इस स्कीम के लिए राज्य योजना में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

### बिहार में बाढ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजनाएं

3650. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री बिहार में नियंत्रण एवं सिंचाई योजनाओं के बारे में 29 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1531 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या नेपाल के क्षेत्र में नाउथा में बागमती नदी पर एक बराज बनाये जा और किसी पृथक बाढ़ नियंत्रण योजना के स्थान पर अधवाड़ा ग्रुप की नदियों पर एक समेकित बाढ़ नियंत्रण ए सिंचाई परियोजना क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ?

**कृषि और सिचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** (क) और (ख) जैसाकि 29 मार्च, 1976 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1531 के भाग (क) के उत्तर में बताया गया था, राज्य सरकार ने अधवारा समूह की नदियों से सिंचाई के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। बहरहाल, बागमती नदी की बाढ़ों से क्षेत्र की सुरक्षा करने के पश्चात् राज्य सरकार सिंचाई के लिए बागमती पर रामनगर (भारत) में क बराज के निर्माण का प्रस्ताव रखती है ।

### कमला नदी पर तट ंधों के बारे में भारत नेपाल समझौता

3651. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री कमला नदी पर तटबंधों के बारे में भारत–नेपाल समझौते के बारे में 29 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न सं० 1530 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयनगर से परे नेपाल में मिरछैया तक कमला नदी पर तटबंध बढ़ाने के बारे में बिहार सरकार ने इस बीच परियोजना प्रतिवेदन पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा कार्य-सम्पादन के लिए निर्धारित समय क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि नेपाल में कमला पर बाढ़ तटबंधों के विस्तार के लिए परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है। प्रस्ताव में बताए गए निर्माणपूर्व विस्तृत सर्वेक्षणों और स्कीम के क्रियान्वयन के लिए नेपाल सरकार के साथ समझौता करना अपेक्षित होगा ।

### Repairs of Qutab Minar

+3652. **Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether stairs of Qutab Minar are becoming slippery on account of their not being repaired for years together; and

(b) if so, reasons for not making arrangements to repair them?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan):** (a) & (b) Some steps of the stairs of the Qutab Minar have become worn-out due to constant use by visitors. The Survey is already seized of the problem and the matter has been discussed with the experts. Necessary repairs will be undertaken during this year.

### संसाधन जुटाने की योजनाएं

3653. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्रामीण ऋणग्रस्तता के परिसमापन के संद में गांव के निर्धन व्यक्तियों तथा दस्तकारों को ग्राम्य ऋण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने हेतु केरल के गांवों में सहका ी समितियों के माध्यम से 20 करोड़ रुपए इकट्ठे करके संसाधन जुटाने की एक अनू ी योजना की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) क्या हमारे देश में ग्राम्य ऋण सम्बधी वैकल्पिक सुविधायें बहुत कम हैं; ध्यान में रखते हुए केन्द्र द्वारा अन्य राज्यों में संसाधन जुटाने संबंधी ऐसी योजनाओं की सिफारिश किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) ोजना की मुख्य-मुख्य बातें अनुबंध में दी गई हैं।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

विवरण

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के परिसमापन के संदर्भ में गरीब ग्रामीणों तथा कारीगरों को ग्रामीण ऋण देने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए 20 करोड़ रुपये बढ़ाने के लिए केरल में सहकारी सोसायटियों के माध्यम से संसाधन जुटाने की योजना की मुख्य-मुख्य बातें।

इस योजना में अप्रैल, 1976 के अंत तक ऋण संस्थाओं के माध्यम से 20 करोड रुपये की जमा राशियां जुटाने की परिकल्पना की गई थी। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कार्यवाहि की परिकल्पना की गई:

1. ग्राम स्तर, तालुका, स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर जमा राशि एकत्रीकरण योजना के प्रचार के लिए विभिन्न समितियां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था जिससे कि राज्य सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम में अपेक्षित उपायों के कार्यान्वियन से उत्पन्न हुए ऋण अंतर को पूरा किया जा सके।

2. दिन-प्रतिदिन के आधार पर अभियान को आगे बढ़ाने तथा साप्ताहिक आधार पर इसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक लघु संचालन समिति गठित किए जाने का प्रस्ताव था जिसमें केरल राज्य सरकार सहकारी बैंक लि० के अध्यक्ष, राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष, सरकार के योजना विभाग के सचिव, सहकारी सोसायटियों के पंजीयक तथा केरल राज्य सहकारी बैंक के सचिव शामिल होंगे।

3. महीने के समाप्त होने के तुरन्त बाद 31 मार्च, 1976 को प्रत्येक संस्था में जमा राशियों की स्थिति तथा उसके बाद प्रत्येक सप्ताह जमा राशियां एकत्र करने में हुई प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करने का प्रस्ताव था। इससे बैंक तथा राज्य सरकार समय-समय पर अभियान की प्रगति के बारे में उपयुक्त प्रैस विज्ञप्ति जारी करने के योग्य बन जायेंगे।

4. राज्य सहकारी बैंकों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों के परामर्श से संचालन समितियों की सहायता से वित्त दिए जाने के प्रयोजनों, ऋण की मात्रा, प्रत्याभूति ब्याज प्रलेखन आदि जैसे सभी पहलुओं पर विचारते हुए उधार देने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने थे।

इस योजना के अन्तर्गत केरल राज्य सहकारी बैंक, 11 जिला सहकारी बैंकों तथा उनको 119 शाखाओं, 41 शहरी सहकारी बैंकों तथा उनकी 18 शाखाओं और 1731 सोसायटियों में से 1000 चुनी प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायटियों द्वारा भरसक प्रयास किया गया। सोसायटियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों, राजनैतिक दलों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से अभियान चलाया गया था और इसका घर-घर प्रचार किया गया। प्रत्येक सोसायटी और प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य निश्चित किए गए। ये लक्ष्य 28 अप्रैल, 1976 तक आगे बढ़ गए थे।

उत्तर प्रदेश में गरीब भूमि अलाटियों के लिए केन्द्रीय सहायता

3654. श्री के० एम० मधुकर : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गरीब भूमि अलाटियों के लिये लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम की शर्तों के समान शर्तों पर केन्द्रीय सहायता मांगी गई है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) तथा (ख) जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन से एकत्र की गई अधिशेष भूमि के अलाटियों को लघुकालीन तथा दीर्घकालीन सहायता देने की दृष्टि से पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरु की गई है। प्रथम दो कृषि मौसमों के लिए अलाटियों को प्रत्येक मौसम में दी जाने वाली अल्पकालिन सहायता प्रति हैक्टार 250 रु० है। कृषि संबंधी आदानों के साथ साथ उन्हें खपत की अन्य सामग्री भी देने का विचार है। खेती के अंतर्गत लाने से पहले नियतन की गई भूमिका वकास करना होता है।

इस उद्देश्य के लिए पात्र अलाटियों को 500 रु० प्रति हेक्टार की दर पर दीर्घकालिन सहायता दी जाती है। यह सहायता आधी अनुदान के रूप में और आधी ऋण के रूप में दी जाती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सहायता मांगी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को अब तक 942000 रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है।

## निम्न आय वर्ग के लिए मकान बनाने हेतु राज्यवार केन्द्रीय सहायता

3655. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने हेतु प्रत्येक राज्य को वर्ष 1972-73, 1974-75 और 1975-76 में अब तक कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए उक्त अवधि में कितने मकान बनाये गये ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) निम्न आय वर्ग आवास योजना राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों का एक भाग है। चौथी पंच वर्षीय योजना के आरम्भ से अर्थात 1-4-69 से सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिये जिस में आवास शामिल है, राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता "समेकित ऋणों" और "समुकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है। यह समेकित केन्द्रीय सहायता किसी व्यक्तिगत योजना, परियोजना या विकास शीर्ष से, संबंधित नहीं है। राज्य सरकारें, उन के द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार, राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिये, कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रम निर्धारित करने और निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं।

(ख) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों पर आधारित अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निर्माण और आवास मंत्रालय

1972-73, 1974-75 और 1975-76 के दौरान बनाये गये मकानों की संख्या का विवरण

| क्रम० सं० | राज्य का नाम | 1972-73 | 1974-75 | 1975-76 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आन्ध्र प्रदेश . | 163 | रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई | रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई |
| 2 | असम . . | 121 | कुछ नहीं | 7 |
| 3 | बिहार . . | 129 | 150 | रिपोर्ट प्राप्त नही हुई |
| 4 | गुजरात . . | रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई | रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई | रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई |
| 5 | हरियाणा . . | वहीं | 133 | वही |
| 6 | हिमाचल प्रदेश . | वही | 139 | 811 |
| 7 | जम्मू तथा कश्मीर | 190 | 254 | 126 |
| 8 | केरल . . | 572 | 235 | 223 |
| 9 | मध्य प्रदेश . | 644 | 669 | 394 |
| 10 | महाराष्ट्र . . | 16,055 | रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई | रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई |
| 11 | मनीपुर . . | रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई | * | 55* |
| 12 | मेघालय . . | कुछ नहीं | 11 | 18 |
| 13 | कर्नाटक . . | 747 | 102 | 94 |
| 14 | नागालैण्ड . . | 229 | 252 | 80 |
| 15 | उड़ीसा . . | 70 | 27 | रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई |
| 16 | पंजाब . . | रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई | 484 | 583 |
| 17 | राजस्थान . . | 530 | 80 | रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई |
| 18 | तमिल नाडु . | 240 | 294 | 1,380 |
| 19 | उत्तर प्रदेश . | 209 | 1,439 | 99 |
| 20 | पश्चिम बंगाल . | 230 | 348 | 5 |
| 21 | त्रिपुरा . . | 12 | 2 | 5 |

*ये आंकड़े 1-1-1974 से 30-9-75 तक की अवधि के हैं।

## जल विकास निगम

3656. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने सार्वजनिक नलकूपों के निर्माण, रखरखाव और चालन के लिये राज्य जल विकास निगम अथवा इसी प्रकार के संगठन स्थापित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार अन्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को भी उस प्रकार के संगठन स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित कर रही है; और

(ग) क्या इस संगठन को प्रोन्साहन देने के लिये केन्द्र सरकार का विचार संबद्ध सरकारों को अनुदान देने का है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हाँ। पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के सार्वजनिक नलकूपों के निर्माण, रख-रखाव तथा संचालन के लिए निगमें स्थापित की हैं। इनमें से कुछ निगमें सार्वजनिक उठाऊ सिंचाई की परियोजनाओं तथा नहरों के कमांड में पानी की नालियों को पक्का बनाने संबंधी काम भी करती है।

(ख) जी हां। कृषि मंत्रालय ऐसी निगमें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देता रहा है ताकि ये निगमें इन योजनाओं को वाणिज्यिक आधार पर चला सकें और नई परियोजनायें शुरु करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों और कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम आदि से संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकें।

(ग) जी नहीं। इन निगमों को संस्थागत स्रोतों से दिए गए ऋण के अलावा, राज्य सरकारों द्वारा राज्य की योजनाओं में किए गए उपबंध से वित्तीय सहायता दी जानी है।

तथापि, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अतर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरु की गई चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं में सतही और भूमिगत जल के साथ साथ इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए कमांड क्षेत्र विकास के अनुदान से भूमिगत जल के विकास का काम करने वाली राज्य निगमों की साम्य पुंजी में अंशदान के रूप में या भूमिगत जल की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपकरणों की खरीद हेतु ऋण की सहायता के रूप में केन्द्रीय सहायता देने के लिए हाल में फैसला किया गया है। यह सहायता एक ही किस्म की होगी न कि दोनों किस्म की।

## बन्दोबस्त संगठन में फील्ड इंसपैक्टरों के वेतनमान

3657. **श्री राजदेव सिंह** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री बन्दोबस्त संगठनों में फील्ड इन्सपेक्टरों के वेतनमानों के बारे में 29 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1518 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फील्ड इन्सपक्टरों को, जिन्हें तीन भिन्न वेतनमान दिये गये, एक ही प्रकार के कार्य करने पड़ते है ;

(ख) यदि हां, तो इन फील्ड इन्सपैक्टरों को तीन अलग-अलग वेतनमान दिये जाने के क्या कारण है ;

(ग) क्या एक अवसर पर सरकार ने इन फील्ड इन्स्पेक्टरों को एक एकीकृत तनमान देने का निर्णय किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में पहले के निर्णय को बदलने के क्या कारण है ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी)** : (क) जी, हां। जैसा कि 20 दिसम्बर, 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5698 के सन्दर्भ में पहले ही उत्तर दे दिया जा चुका है।

(ख) शुरू में, ये पद अलग अलग संगठनों में बनाए गए थे अर्थात् विभिन्न स्थानों में अभिरक्षक संगठन तथा बन्दोबस्त संगठन, इसलिए इनके लिए अलग-अलग वेतनमान बनाए गए थे।

(ग) जी, नहीं। सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## 'कल्चरल प्रापर्टी' के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला

3658. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "कल्चरल प्रापर्टी" के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोग शाला की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) और (ख) सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिये संशोधित पद्धतियों को सोच निकालने में बुनियादी वैज्ञानिक खोज करने की दृष्टि से सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण की राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोग शाला की स्थापना करने के लिये प्रारंभिक कदम उठाए जा चुके हैं। और आगे भी कदम उठाए जा रहे हैं। जिससे प्रयोगशाला चल सके। प्रयोग शाला के अनुसंधान कार्य में पुरातत्वीय वस्तुओं का काल निर्धारण भौतिक तथा रासायनिक तरीकों से उनका तकनीकी अध्ययन और संरक्षण पद्धतियां शामिल होंगी। प्रयोगशाला प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करेगी।

## रीजनल इंजिनियरिंग कालेज, राउरकेला में खनन इंजीनियरिंग और व्यवहारिक भू-विज्ञान की कक्षाएं खोलना

3659. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्र से रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला में खनन इंजीनियरिंग और व्यावहारिक भू-विज्ञान के लिये कक्षायें खोलने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) :** (क) तथा (ख) उड़ीसा राज्य सरकार से, रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला में (i) बी० स० सी० (इंजीनियरी) खनन (5 वर्षीय), (ii) बी० एस० सी० (आनर्स) प्रयुक्त भू-विज्ञान (3 वर्षीय) तथा (iii) एम० एस० सी० प्रयुक्त भू-विज्ञान (2 वर्षीय) में पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) 1968 के दौरान खनन इंजीनियरी स्नातकों की बेरोजगारी की गम्भीर स्थिति के कारण, डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिला 305 की मूल भर्ती से कम कर के 80 कर दिया गया था। रोजगार स्थिति में कुछ कुछ सुधार को देखते हुए, खनन इंजीनियरी शिक्षा तथा प्रशिक्षण संयुक्त बोर्ड ने 1974 में इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया तथा यह सलाह दी कि भर्ती 260 तक बढ़ा दिया जाए, हालांकि विद्यमान संस्थाओं में 305 स्थानों के दाखिले के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। खनन इंजीनिय ी शिक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न पर पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के मध्यावधि मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के परामर्श से पुनर्विचार किया जा रहा है।

## गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, रिंग रोड, नई दिल्ली में साम्प्रदायिक रोस्टर रखा जाना

**3660. श्री अर्जुन सेठी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, रिंग रोड, नई दिल्ली मे गृह मंत्रालय के निदेशानुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिये साम्प्रदायिक रोस्टर नहीं रखा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सके क्या विशिष्ट कारण

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पदोन्नत किये गये ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ;

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे कर्मचारियो की संख्या कितनी है जिनकी परख अवधि को बढ़ाया गया है; और

(ङ) इसके विशिष्ट कारण क्या है ?

**निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :** (क) भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली में काम्युनल रोस्टर रखा जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 31-3-1976 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान पदोन्नत किए गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

| श्रेणी | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
|---|---|---|
| 1. सहायक निरिक्षक (नियंत्रण) . . | 1 | |
| 2. उच्च श्रेणी लिपिक . | 5 | 2 |
| 3. दफ्तरी . . . | 2 | |
| 4. सेनिटरी जमादार . . | 1 | |
| 5. हेड रीडर . . | 1 | .. |
| 6. मशिनमैन ग्रेड III . . . . | 1 | 1 |
| 7. मैकनिक (लाइनो) . . . . | 1 | |
| 8. मशिन इंकर . . . . . | 2 | .. |
| 9. प्रूफ प्रैसमैन ग्रेड II . . . . | 1 | |
| 10. सेक्शन होल्डर (केस) . . . . | 1 | .. |
| जोड़ . . | 16 | 3 |

(घ) तथा (ङ) अनुसूचित जातियों के 20 कर्मचारियों तथा अनुसूचित जनजातियों के 5 कर्मचारियों की परिवीक्षावधि बढ़ा दी गई है क्योंकि परिवीक्षावधि के दौरान उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया था ।

**भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड, नई दिल्ली में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए विशेष सेल**

3661. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार प्रैस, रिंग रोड, नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के निदेशानुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितों की देखभाल के लिए एक विशेष सेल बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, नहीं। प्रत्येक मुद्रणालय में ऐसे विशेष सेल खोलने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Grants to Institutions by Central Social Welfare Board**

**3662. Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) break-up, district-wise, of the grants given to various institutions in Bihar by the Central Social Welfare Board during the years 1974-75 and 1975-76; and

(b) amounts of grants given to the institutions in Saharsa district, institution-wise?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam):** (a) and (b) The requisite information is furnished in the statements at Annexures I and II. **[Placed in Library. See No. L.T.—10819/76]**

**Pay Scales of Teachers in Various Kendriya Sanskrit Vidyapeeths**

**3663. Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether there is disparity in the pay scales of lecturers, readers and professors of the various Kendriya Sanskrit Vidyapeeths in the country;

(b) if so, reasons therefor; and

(c) the pay scales prevailing in each Sanskrit Vidyapeeth at present?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav):** (a) Yes, Sir.

(b) while in two Vidyapeeths the revised UGC scales have been applied to the teaching staff, the question of application of such scales in other Vidyapeeths is under consideration.

(c) A statement is attached.

**Statement Referred to in Reply to Part (c) of the Unstarred Question No. 3663 by Shri Chiranjib Jha, in the Lok Sabha on 10th May, 1976**

The scales of pay prevailing in the five Vidyapeethas are given below :—

*Kendriya Sanskrit Vidyapeethas of Delhi and Allahabad:*

| | |
|---|---|
| Lecturer/Sr. Lecturer | Rs. 700-40-1100-50-1300-Assessment-50-1600. |
| Reader . . . | Rs. 1200-50-1300-60-1900. |
| Professor/Principal | Rs. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500 |

*Kendriya Sanskrit Vidyapeethas of Jammu, Tirupati and Puri:*

| | |
|---|---|
| Lecturer . . . | Rs. 400-30-640-40-800. |
| Reader/Sr. Lecturer . | Rs. 700-40-1100. |
| Professor/Principal. . | Rs. 1000-100-1500. |

**उच्च संस्थानों में प्रवेश के लिये मानदंड**

3664. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं वर्गों के विद्यार्थियों के लिये तकनीकी अध्ययन के संस्थानों में प्रवेश के लिये निर्धारित मानदण्ड अन्य के लिये निर्धारित मानदण्ड से पर्याप्त भिन्न हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या डिग्रियाँ देने में भी इसी प्रकार की रियायत बरती जाती है और यदि हाँ तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार के डिग्रीधारी समुदाय के लिये कैसे उपयोगी हों ?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस०नूरुल हसन) :** (क) जी, हाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित छात्रों को दाखिले के लिए अपेक्षित अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता में कुछ रियायतें दी जाती हैं। तथापि, जहाँ तक दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हक परीक्षा का सम्बन्ध है, उसके लिए कोई छूट नहीं दी जाती है।

अन्य पिछड़े वर्गों को प्रदत्त रियायत के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## दिल्ली दुग्ध योजना की बोतलों के दूध में मिलावट

3665. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना संगठन में, प्रातः और सायं के दूध के डिपुओं में कार्य करने वाले अनेक कर्मचारियों द्वारा दूध की अनधिकृत बिक्री तथा बोतलों के ढक्कन उतार कर दूध में पानी मिलाकर ढक्कन फिर से लगा देने की जांच करने के लिये कोई प्रभावी व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

**कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) :** (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा चलाए जा रहे दुग्ध डिपुओं की कार्य विधि का 23 फील्ड अधिकार निरीक्षण और निगरानी करते है। ये अधिकारी नियमित निरीक्षण के अलावा कदाचारों का पता लगाने के उद्देश्य से आकस्मिक जांच भी करते हैं। निरीक्षण करनेवाले स्टाफ के प्रयासों में सहायता करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना में टोकनधारियों से भी सहयोग मांगा था ताकि दूध के डिपुओं पर दूध का तेज़ी से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली दुग्ध योजना ने 205 डिपो सलाहकार समितियां संगठित करके उन्हें पंजीकृत कर दिया है, जब कि 936 डिपुओं पर दूध का तर्कसंगत वितरण हो रहा है। इससे डिपो स्टाफ द्वारा दूध की अनधिकृत बिक्री जैसे कदाचार समाप्त करने में बहुत ज्यादा सहायता मिली है। दूध के टोकनों की राशन कार्डों और अन्य प्रामाणिक दस्तावेजों से जांच करने से अनधिकृत टोकन समाप्त करने में सहायता मिली है। लगभग 31,000 अनधिकृत टोकन जब्त करके रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली दुग्ध योजना में भी एक शिकायत सेल है जो चौबीसों घंटे काम करता है। टेलीफोन पर या लिखित रूप में की गई सभी शिकायतों की तेजी से जांच पड़ताल की जाती है और आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कार्यवाई की जाती है। दोषी डिपो एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।

जहां तक दूध में मिलावट करने के बारे में शिकायतों का संबंध है, दिल्ली दुग्ध योजना को 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान छः शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन में से एक शिकायत डिपो स्टाफ से संबंधित थी और शेष 5 शिकायतों का संबंध "होम डिलीवरी" एजेंटो से था जो कि दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारी नहीं हैं। जिन मामलो में होम डिलीवरी एजेंट शामिल थे, उनमें दिल्ली दुग्ध योजना ने टोकन धारियों को दिल्ली दुग्ध योजना के और दुग्ध केन्द्रो से दूध एकत्र करने के लिए दूसरे एजेंट नियुक्त करने की सलाह दी थी ।

## महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजना

**3666. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक कितनी सिंचाई परियोजनाएं अभी पूरी की जानी है ; और

(ख) कितनी अन्य परियोजनाए 1974–75 तक पूरी हो गई ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** (क) एक बृहत सिंचाई परियोजना दूसरी योजना से तीसरी पंच वर्षीय योजना में लायी गई। महाराष्ट्र राज्य में तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान 3 वार्षिक योजनाए और चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में 13 बृहत तथा 39 मध्यम परियोजनाए हाथ में ली गई थीं। इसी अवधि के दौरान 2 बृहत (इसमें दूसरी योजना से लाई गई बृहत स्कीम शामिल है) और 31 मध्यम परियोजनाए पूर्ण ी गई और शेष 11 बृहत तथा 8 मध्यम स्कीमों को पांचवीं योजना में ले जाया गया।

(ख) 1974–75 के दौरान 33 नयी मध्यम परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया। इस वर्ष के दौरान चल रहीं स्कीमों में 2 बृहत तथा 2 मध्यम स्कीमों को काफ़ी हद तक पूरा कर लिया गया।

## कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करना

**3667. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन फारम एजकेशन फाउण्डेशन के समक्ष भाषण देते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था कि खाद्यान्न के अधिक मूल्यों का विपरित प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादों, विशेषकर गेहू, धान और दालों के मूल्य निर्धारित करने में इसका कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :** (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने कहा था कि कमी की अवधि में कृषि-उत्पादों के जो मूल्य ऊंचे चले गये थे उन्हें उस स्तर पर नहीं रखा जा सकता है और खाद्यान्नों के मूल्यों में यदि कोई अनुचित वृद्धि होती है तो उसका सामान्य मूल्य-स्तर पर मुद्रास्फीती संबंधी प्रभाव पड़ता है जिससे किसानों को लाभ नहीं होता है। गेहूं, धान और चने के अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखा गया है ताकि वे किसान के लिए लाभकारी हों और बहुत अधिक न हों जिससे कि सामान्य मूल्य-स्तर पर मुद्रास्फीती संबंधी प्रभाव न पड़े।



5—1LLS(ND)76

## दिल्ली के लिए एकसमान भवन निर्माण सम्बन्धी उपनियम

3668. श्री नवल किशोर सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए एक समान भवन निर्माण सम्बन्धी उपनियम बनाने के लिए भारतीय मानक संस्थान के तत्वावधान में कोई समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) उक्त समिति का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और जब तक उच्च समिति अपनी सिफारिश दे तब तक दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नयी दिल्ली नगरपालिका और छावनी बोर्ड जैसी विभिन्न संस्थाओं के अधीन रिहायशी मकानों के निर्माण को सरकार का किस प्रकार से विनियमित करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) तथा (ख) संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक समान भवन उपनियम बनाने के लिए भारतीय मानक संस्था के तत्वाधान में 19 नवम्बर, 1975 को एक समिति का गठन किया गया था। समिति का गठन अनुलग्नक "क" में दिया गया है ।

(ग) समिति ने अपना कार्य पूरा करके प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया है जिसे सम्बन्धित अधिकरणों को अपनाने के लिए भेजा जा चुका है। जब तक कि ये एक समान उपनियम अधिसूचित नहीं किए जाते तब तक स्थानीय निकायों के अपने अपने वर्तमान उपनियम लागू रहेंगे ।

### विवरण

निम्नलिखित सदस्यता से समिति का गठन किया गया था :

| | |
|---|---|
| 1. मेजर जनरल, हरकीरत सिंह–(अध्यक्ष) | राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के लिए निदेशन समिति का प्रतिनिधि । |
| 2. श्री जे० आर० भल्ला | इण्डियन इंस्टीटयूट आफ आर्कीटेक्टस । |
| 3. श्री एच० यू० बिजलानी<br>श्री जी० आर० अम्ववानी<br>श्री आर० पी० पांडे | दिल्ली नगर निगम |
| 4. श्री वी० वी० बोडस<br>श्री ए० के० करमरकर | दिल्ली विकास प्राधिकरण |
| 5. श्री बी० पी० चेतान<br>श्री वी० एन० वासुदेव<br>श्री आर० सी० समरवाल | नई दिल्ली नगरपालिका |
| 6. श्री पी० बी० राय | नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन |
| 7. श्री आर० एस० सुन्दरम<br>श्री एस० पी० बला | दिल्ली अग्निशमन सेवा |

| | |
|---|---|
| 8. डा० एच० सी० विश्वेश्वरैया | इन्स्टीटयूट आफ इंजीनियर्स (इंडिया) |
| 9. श्री डी० अजिथा सिम्हा<br>श्री वी० सुरेश | भारतीय मानक संस्थान |

## कोसी बोर्ड ऑफ कन्सलटेंट्स द्वारा दिया गया प्रतिवेदन

3669. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा गठित कोसी बोर्ड आफ कन्सलटैन्टस ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 4 सितम्बर, 1974 के नोट के साथ प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उक्त बोर्ड के सुझावों को क्रियान्वित करने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सुझाव दिया गया है कि कोसी नदी पर बाराहक्षेत्र में एक उच्च बांध का निर्माण करने हेतु परियोजना को अद्यतन बनाने के लिए उसके आवश्यक सर्वेक्षण और अन्वेषण कराए जाएं।

प्रस्तावित बांध स्थल नेपाल क्षेत्र में पडता है और आवश्यक सर्वेक्षणों को करने से पूर्व महामहिम नेपाल सरकार की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा। महामहिम नेपाल सरकार के साथ इस मामले को उठाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

## पूरे वर्ष के लिये खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर रखना

3670. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी अभिकरणों द्वारा वसूल किए गए धान, गेहूं तथा अन्य महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के बारे में राज्यवार नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) खाद्यान्नों के मूल्य वर्ष भर वर्तमान स्तर पर बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, ताकि जरूरतमन्द किसान, जिन्हें विवश होकर अपना माल बेचना पड़ रहा है, बाद में उपभोक्ता के रूप में ठगे न जायें ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर करने के लिए सरकार ने खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण-कार्य में तेजी लाने, जमा स्टाक को बाहर निकलवाने और सामान्य वित्तीय तथा आर्थिक अनुशासन लागू करने जैसे अनेक पग पहले ही उठाए हैं। इसके अलावा, खाद्यान्नों का पर्याप्त बफर स्टाक रखा जा रहा है ताकि कठिन अवधि के दौरान भी मूल्य स्थिर रखना सुनिश्चित किया जा सके।

## विवरण

### वर्ष 1975-76 के फसल से राज्यवार खाद्यान्नों की वसूली

(7 मई, 1976 तक प्रतिवेदित रूप में)

('000 टनों में आंकड़े)

| राज्य | चावल (धान, समेत) | मक्का | ज्वार | बाजरा | गेहूं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश . . | 898 | 2 | .. | | .. |
| 2. आसाम . . . | 224 | .. | .. | .. | नगण्य |
| 3. बिहार . . . | 59 | .. | .. | .. | 10 |
| 4. गुजरात . . . | 26 | .. | .. | .. | 59 |
| 5. हरयाणा . . . | 473 | 1 | .. | नगण्य | 210 |
| 6. जम्मू और कश्मीर . . | 41 | .. | .. | .. | नगण्य |
| 7. कर्नाटक . . . | 146 | नगण्य | 11 | .. | .. |
| 8. केरल . . . | 25 | .. | .. | .. | .. |
| 9. मध्य प्रदेश . . | 264 | 1 | नगण्य | .. | 24 |
| 10. महाराष्ट्र . . | 50 | .. | 220 | 16 | 8 |
| 11. उड़ीसा . . . | 160 | .. | .. | .. | .. |
| 12. पंजाब . . . | 1176 | 20 | .. | नगण्य | 342 |
| 13. राजस्थान . . . | 26 | 1 | .. | .. | 16 |
| 14. तमिलनाडु . . | 840 | .. | | .. | .. |
| 15. उत्तर प्रदेश . . | 710 | 2 | .. | .. | 289 |
| 16. पश्चिम बंगाल . . | 246 | .. | .. | .. | 17 |
| 17. अन्य . . | 22 | 10 | .. | .. | नगण्य |
| कुल योग . | 5386 | 37 | 231 | 16 | 985 |

**दिल्ली में अंग्रेजी माध्यम वाले प्राथमिक स्कूलों में वृद्धि**

3671. **श्री आर० एम० बर्मन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अंग्रेजी माध्यम वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ रही है और शिक्षकों की अर्हता उनकी परिलब्धियों और पाठ्यचर्या पर जिसका वे अनुसरण करते हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रणाली सुव्यवस्थित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री० डी० पी० यादव) :** (क) और (ख) प्राइवेट प्रबन्धकों द्वारा चलाये जा रहे मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों को, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के उपबन्धों तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत दोनों अध्यापकों की योग्यताओं और अध्ययन के पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। अल्प संख्यक स्कूलों के अलावा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते भी उक्त अधिनियम के उपबन्धों द्वारा विनियमित किये जाते हैं। गैर-मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत नहीं आते, क्योंकि इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु-वर्ग के सभी बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है और दिल्ली प्रशासन ने इस प्रकार के सभी बच्चों के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किया हुआ है।

**हरिजनों तथा आदिवासियों के पुनर्वास के लिये राष्ट्रीय योजना**

3672. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से उन हरिजनों तथा आदिवासियों के पुनर्वास हेतु एक राष्ट्रीय योजना बनाने का अनुरोध किया गया है जिनको 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अलाट की गई है; और

ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) तथा (ख) जोत की अधिकतम सीमा पर राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर फालतू भूमि वितरण करने के लिए कहा गया है। उनके आधीन बनाए गए सभी कानून और नियम जो कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हैं, फालतू भूमि के वितरण में इन दो वर्गों के व्यक्तियों को अधिक प्राथमिकता प्रदान करते हैं। केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत फालतू भूमि के आबंटियों को अल्पावधि और दीर्घावधि के लिए जो सहायता दी जा रही है, उसका काफी बड़ा हिस्सा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को दिया जा रहा है। इस वर्ष मार्च में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकारें वाणिज्यिक बैंक और अन्य ऋण देने वाले संस्थान भी फालतू भूमि के आबंटियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करते हुए इस प्रयास में सहायता करें।

**दक्षिणी पठार में भूमिगत जल का निकाला जाना**

3673. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार गर्मियों के दौरान, जबकि दक्षिणी पठार और प्रायद्वीप को मौसमी नदियां सूख जाती हैं और वहां पानी की भारी कमी हो जाती है, भूमिगत जल निकालने के उद्देश्य से मानसून के दौरान, "एक्वाफर रि-चार्जिंग" के लिये सैकड़ों चिमनियों की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :** दक्षिणी पठार और प्रायद्वीप के पहाड़ी क्षेत्रों में जल प्रणाली के रिचार्ज की उपयुक्त पद्धतियां विकसित करने के प्रश्न पर भारत सरकार ने विचार किया है और भूमिगत जल संसाधनों के परिमाण, सतही जल और भूमिगत जल संसाधनों के गुण के आधार पर उपयोग के साथ-साथ रिचार्ज की विधि के प्रश्न पर विचार करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में भीमा नदी बेसिन के सिना और मान उप बेसिनों में तथा कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में वेदावती नदी बेसिन के प्रमुख क्षेत्रों में दो विशेष परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। तमिलनाडु और केरल में नोयिल-अमरावती-पोन्नामी बेसिन भू-गत जल परियोजना में जो केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा प्रारम्भ की गई है, एकत्र किए जाने वाले आंकड़ों से भी रिचार्ज के प्रश्न पर प्रकाश पड़ने की संभावना है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत अन्वेषण पूरे होने के बाद रिचार्ज कुओं अथवा अन्य किसी समुचित उपाय से रिचार्ज की संभाव्यता का पता चल सकेगा।

**भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा रायगढ़ और पाचाड़ में हो रहे कार्य पर व्यय**

3674. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा महाराष्ट्र में रायगढ़ और पचाल में गत तीन के दौरान कितनी धन राशि व्यय की गई;

(ख) पूरे किये गये कार्यों तथा अभी चल रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण क्या है; और

(ग) वर्ष 1976–77 के दौरान इन पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :** (क) रायगढ़ और पाचाड़ में गत तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई धनराशि निम्न प्रकार से है :–

| | रायगढ़ रुपए | पाचाड़ रुपए |
|---|---|---|
| 1973-74 . . . | 62,185 | कुछ नहीं |
| 1974-75 . . . | 1,57,672 | 2,395 |
| 1975-76 . . . | 97,681 | 29,342 |

(ख) रायगढ़ में अष्ट प्रधान वाड़े के पांच महलों के वाड़ों और रानीवास के सामने की दीवार के मरम्मत कार्य पूरे हो गये हैं। महलों के वाड़ों से कूड़े-कचरे और जंगली पेड-पौधों की भी सफाई की जा चुकी है। पेय जल के संग्रह के लिये चार शैल सरोवरों की कीचड़ मिट्टी साफ कर दी गई है। जगदीश्वर मंदिर की दीवारें टीप कर के मजबूत कर दी गई हैं।

बाजार पेठ की इमारतों का मरम्मत कार्य और जगदीश्वर मंदिर की दीवारों के सिरे से रिसने वाले पानी को बन्द करने का काम जारी है।

पाचड़ में किले बन्दी की दीवारों में पड़ी दरारों की मरम्मत और उन के सिरों से रिसने वाले पानी को बन्द करने का काम तथा पेड़-पौधों और कूड़े कचरे की सफाई का काम प्रगति पर हैं।

(ग) वर्ष 1976-77 के दौरान व्यय करने के लिये प्रस्तावित धनराशि निम्न प्रकार से है :—

(1) रायगढ़—रुपए 1,00,000/–

(2) पाचड़—रुपए 60,000/–

## स्वदेशी उर्वरकों को हुई क्षति

3675. **श्री शंकर राव सावन्त : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के दौरान स्वदेशी उर्वरकों के गलत ढंग से भंडारण तथा इनका समय पर उपयोग न करने के कारण, राज्यवार, उनकी कितनी मात्रा में क्षति हुई है ;

(ख) क्या इस क्षति का दायित्व निर्धारित करने का प्रदर्शन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

**कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) से (ग) उर्वरक तथा रासायनिक मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

3676. **श्री शंकर राव सावंत : क्या कृषी और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) कार्यक्रम को किन क्षेत्रों पर लागू किया गया है; और

(ग) कार्यक्रम की गत दो वर्षों की उपलब्धियां क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां)** :(क) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के समन्वित क्षेत्र विकास की संकल्पना पर आधारित है इस कार्यक्रम के मूल उद्देश्य ये हैं (1) इन क्षेत्रों के भूमि, जल, मानव तथा पशुधन संसाधनों के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये आधारभूत तथा आन-फार्म विकास गतिविधियों के पैकेज के माध्यम से इन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना (2) समाज के कमजोर वर्गों

अर्थात् लघु तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों का विकास (3) विकास के माध्यम से प्रत्यक्ष मजदूरी रोजगार तथा अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों रोजगार की व्यवस्था ।

कार्यक्रम आयोजना के लिए मूल इकाई जल विभाजक होगी । विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम घटक एक दूसरे से संबद्ध होंगे और क्षेत्र के संसाधनों के आधार पर तैयार किए जायेंगे । इसके लिए राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा 50 : 50 के आधार पर वित्त की व्यवस्था है ।

प्रयास का मुख्य बल इन क्षेत्रों में उचित परिस्थितिक संतुलन के पुर्ननियोजन की दिशा में होगा । महत्वपूर्ण घटकों में से कुछेक जो इस प्रकार के परिस्थिति संबंधी समन्वित विकास के लिए नीति का गठन कर सकते हैं, ये हैं :—

(1) सिंचाई संसाधनों का विकास तथा प्रबंध;

(2) भूमि तथा नमी संरक्षण तथा वनरोपण;

(3) फसल स्वरूप तथा चरागाह विकास का पुर्नविन्यास ;

(4) कृषि शास्त्रीय पद्धतियों में परिवर्तन;

(5) पशुधन विकास;

(6) लघु/सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों का विकास ।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रमों क्षेत्रों को सूची अनुबन्ध 1 पर दी गई है । [ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 10820/76 ।]

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम प्रगति रिपोर्टों पर आधारित वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान कार्यक्रम की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां (भौतिक दिसम्बर 1975 तक तथा वित्तीय फरवरी 76 तक) अनुबन्ध 2 और 3 पर दी गई हैं । [ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 10820/76 ।]

### आवास ऋणों को परिवार नियोजन योजना के साथ जोड़ा जाना

3677. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, क्या आवास ऋणों की योजना को परिवार नियोजन योजना के साथ जोड़ा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) तथा (ख) गृह निर्माण ऋणों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के साथ जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु कुछ राज्य सरकारों ने प्रोत्साहन देकर निरुत्साहित करने के तरीके अपनाकर परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये कदम उठाए हैं ।

### औद्योगिक श्रमिकों को मकानों के निर्माण के लिये ऋण

3678. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने वर्ष 1973-74, 1974–75 और 1975–76 में औद्योगिक श्रमिकों,

**बैंक कर्मचारियों, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा बागान मजदूरों को मकानों के निर्माण हेतु ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी ?**

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरामैया)** : केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक कर्मचारियों; बैंक के कर्मचारियों तथा बागान कर्मचारियों को सीधे ऋण नहीं दिया जाता है। तथापि औद्योगिक कर्मचारियों तथा बागान कर्मचारियों के लिए क्रमश: (i) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता-प्राप्त आवास योजना; तथा (ii) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता-प्राप्त आवास योजना के अधीन मकान बनाए जा सकते हैं। ये दोनों योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। पहली योजना राज्य क्षेत्र में है तथा यह राज्य सरकारों का काम है कि वे अपनी वार्षिक प्लान परिव्यय में से इस योजना के कार्यान्वयन के लिये उनके द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का नियतन करें। बागान कर्मचारियों के लिये सहायता-प्राप्त आवास योजना केन्द्रीय क्षेत्र में है और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित राज्य सरकारों कों निम्नलिखित निधियां दी गई थीं :—

| | |
|---|---|
| 1973–74 . . . | 50.30 लाख रुपए |
| 1974–75 . . . | 80.00 लाख रुपए |
| 1975–76 . . . | 80.00 लाख रुपए |

अन्य पात्र व्यक्तियों की भांति बैंक कर्मचारी भी मकान बनाने के लिये निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत ऋण-सहायता का लाभ उठा सकते हैं। ये योजनाएं भी राज्य सराकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का नियतन करने में स्वयं सक्षम हैं।

तथापि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधी ऋण सहायता दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिये उन्हें निम्नलिखित राशियां दी गई थीं :—

| | |
|---|---|
| 1973–74 . . . | 1044.00 लाख रुपए |
| 1974–75 . . . | 829.98 लाख रुपए |
| 1975–76 . . . | 1971.37 लाख रुपए |

**भारतीय सामाजिक कार्य संवर्ग**

3679. **श्री वसंत साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर ने भारतीय सामाजिक कार्य संवर्ग (केडर) बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम):** (क) और (ख) मद्रास विश्वविद्यालय के वाइस चांसिलर ने संघ और राज्य स्तरों पर एक

भारतीय सामाजिक कार्य संवर्ग की स्थापना की आवश्यकता के बारे में उस समय कहा था जब वे दिसम्बर, 1974 में मद्रास में सामाजिक कार्य शिक्षा और कमजोर वर्गों के विकास के बारे में हुए सेमिनार में उद्घाटन अभिभाषण कर रहे थे। उस समय वे मद्रास इंस्टीट्यूट आफ डिवलेपमेंट स्टडीज़, मद्रास के निदेशक थे।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**भारत सेवक समाज सम्बन्धी जांच समिति पर खर्च**

3680. **श्री वसन्त साठे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सेवक समाज के कार्यकरण सम्बन्धी जांच समिति पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है; और

(ख) उस पर अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) 31 मार्च 1975 तक 10,44,511 रुपए की धनराशि व्यय की गई थी।

(ख) रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां, सभा-पटल पर रखने के बाद, मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पैराग्राफों के आबंटन सहित, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को उनसे सम्बन्धित भागों पर टिप्पणी भेजने के लिये भेजी गई थी। उनसे वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, उपलब्ध सामग्री के आधार पर रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का एक ज्ञापन सभा-पटल पर रखने के लिये तैयार किया जा रहा है।

**स्वशासी निकायों के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण**

3681. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित मन्त्रालयों के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न स्वशासी निकायों के कर्मचारियों को उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्लाटों पर मकान बनाने के लिए गृह निर्माण ऋण नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) ये कर्मचारी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें आबंटित प्लाटों पर मकान बनाने के लिए अथवा नकद रकम या किराया-खरीद के आधार पर मकानों को खरीदने के लिए किन स्त्रोतों से ऋण ले सकते हैं ?

**निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) तथा तथा (ख) निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा प्रशाससित गृह निर्माण अग्रिम की योजना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तक सीमित हैं। चूंकि मंत्रालयों के प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रणाधीन विभिन्न स्वायत्त निकायों के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, अत: वे इस योजना के अधीन गृह निर्माण के अग्रिम लेने के पात्र नहीं है।

: (ग) ये कर्मचारी अपने नियोक्ताओं से गृह निर्माण के लिये अग्रिम ले सकते हैं, यदि नियोक्ताओं की अपनी ऐसी कोई योजना हो और अगर उस योजना में नकद अथवा किराया खरीद

आधार पर फ्लैट खरीदने के लिये अग्रिम देने की व्यवस्था हो। इसके विकल्प में, वे किसी अन्य स्त्रोत जो किसी गैर सरकारी नागरिक को उपलब्ध होता है अर्थात् जीवन बीमा निगम अथवा राज्य सरकारों से उनकी विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत मदद ले सकते हैं।

## दिल्ली के चिड़ियाघर में जानवरों की दशा

3682. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में जानवरों की दशा दिन प्रति दिन बिगड़ रही है;

(ख) विदेशों से प्राप्त नये पक्षियों के नाम और संख्या क्या हैं; और

(ग) क्या अन्य चिड़ियाघरों से भी जानवरों को दिल्ली चिड़ियाघर में लाया जा रहा है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) जी, नहीं। दिल्ली चिड़ियाघर में जानवरों के स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं आई है।

(ख) 1-4-74 से 31-3-76 तक की अवधि के दौरान विदेशों से निम्नलिखित पक्षी/जानवर प्राप्त हुए थे :—

| | संख्या |
|---|---|
| (1) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के औक्लोहामा चिड़ियाघर से शिकारी चीता। | 1 |
| (2) श्रीलंका से वेइसा ओराईस . . . . . | 2 |
| (3) लंदन (संयुक्त राज्य) गुआना को . . . | 1 |
| (4) हालैंड से | |
| पुमास . . . . . . . | 2 |
| कालाहंस . . . . . . . | 2 |
| (5) ईरान से | |
| डेरेदार मृग (गोइट्टर्थ गेजेल्वे) . . . | 7 |
| (6) बर्मा से | |
| पृषोदार मत्स्य पक्षी जलपक्षी (स्टोट बिल्ड पेलिकन) . . . | 2 |
| ग्रेटर हिल मैना . . . . . | 4 |

(ग) देश के सभी चिड़ियाघर अपने जानवरों और पक्षियों के संग्रह में वृद्धि करने के लिए आपस में पक्षियों और जानवरों का आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार दिल्ली चिड़ियाघर भी भारत के विभिन्न चिड़ियाघरों से पक्षियों और जानवरों का लगातार आदान-प्रदान करता रहता है। 2 वर्ष के दौरान अर्थात् 1-4-74 से 31-3-76 तक दिल्ली चिड़ियाघर और भारत के अन्य चिड़ियाघरों के मध्य पशु और पक्षियों की लगभग 12 दफा अदला-बदली हुई।

## ग्रामीण ऋण भार समाप्त करने विषयक विधान

3683. श्री सोमनाथ चटर्जी
श्री हुकुम चन्द कछवाय
श्री गदाधर साहा
} क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि श्रमिकों और छोटे एवं सीमांत किसानों का ऋणभार समाप्त करने के लिए कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ग्रामीण तथा व्यावसायिक साहूकारों द्वारा धन देने की पद्धति समाप्त होने के परिणाम-स्वरूप जो अन्तर अधिक बढ़ जायेगा उसे भरने के लिये यदि कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किए जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) व (ख) साहूकारी तथा साहूकार, कृषि ऋण ग्रस्तता से राहत विषय को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में मद 30 के रूप में शामिल किया गया है । बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनुसरण में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भूमिहीन श्रमिकों; ग्रामीण कारीगरों लघु तथा सीमान्त किसानों, की ओर बकाया ऋणों की वसूली पर ऋण-स्थगन लागू करने तथा सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों जिनकी पारिवारिक आय 2,400 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं है, के मामले में पूर्ण राहत हेतु वधानिक कार्यवाही करने के लिये विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं । लघु किसानों के ऋणों को कम करने के लिए भी वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है । उक्त उपायों का सम्बन्ध गैर-संस्थागत स्रोत से प्राप्त ऋणों से है ।

(ग) सहकारी ऋण संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैन्कों को इस अन्तर को पूरा करने के लिए आगे आना है । हाल ही में एक कमेटी ने विभिन्न ऋण राहत उपायों के संदर्भ में कमजोर वर्गों के लिए उपभोग ऋण के प्रावधान के प्रश्न पर विचार किया है । कमेटी ने लघु तथा सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों के लिए ऋण की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सिफारिशें की हैं ।

लघु तथा सीमान्त किसानों, ग्रामीण कारीगरों आदि के लिये विद्यमान ऋण सुविधाओं को बढ़ाने के विचार से वाणिज्यिक बैन्कों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैन्क स्थापित किए जा रहे हैं । इन बैन्कों का एक मुख्य उद्देश्य लघु तथा सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों के प्रभावी क्षेत्र को अपने अन्तर्गत लाने का प्रयत्न करना है ।

## उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

3684. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, उत्तर प्रदेश में इस समय निजी तथा सहकारी क्षेत्र के स्वामित्व तथा नियंत्रण में अलग-अलग कितनी चीनी मिलें हैं ?

**कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां)** : उत्तर प्रदेश में इस समय 77 चीनी फैक्टरियां स्थापित हैं । इन में से 52 चीनी फैक्टरियां निजी क्षेत्र के स्वामित्व

और नियंत्रण में हैं और 8 चीनी फैक्टरियां सहकारी क्षेत्र के स्वामित्व और नियंत्रण में है। शेष चीनी फैक्टरियां उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के स्वामित्व और/या नियन्त्रण में हैं। जह निगम राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है।

**Government Quarters in Delhi**

**3685. Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) total number of Government quarters in Delhi at present for Government employees;

(b) amount accruing therefrom by way of rent and also the total expenditure incurred on their maintenance annually; and

(c) rent receipts for the years 1974 and 1975 respectively as also the expenditure incurred on their maintenance and repairs during the same period?

**The Minister of Works and Housing (Shri K. Raghuramaiah):** (a) 42241 in general pool.

(b) & (c)

(i) The amount of licence fee accruing for the general pool quarters for the years 1974 75 and 1975-76 is as follows :—

| **1974-75** | **1975-76** |
|---|---|
| Rs. 325.48 lakhs | Rs. 340.13 lakhs |

(ii) The total expenditure incurred on the maintenance and repairs as follows :—

| **1974-75** | **1975-76** |
|---|---|
| Rs. 127.08 lakhs | Rs. 176.98 lakhs |

The above figures of expenditure include the expenditure on maintenance and repairs in respect of the houses which have been taken out from general pool and placed at the disposal of the Ministry of Defence and other Departments etc. and in respect of which recovery of licence fee is made by the Departments concerned.

**पांचवी योजना के दौरान नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना**

**3686. श्री बसंत साठे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चालू वर्ष के दौरान अधिक नेहरू युवक केन्द्र स्थापित करने क तथा पांचवी योजना के अन्त तक प्रत्येक जिले में केन्द्र खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिये तथा पांचवी योजना के लिये प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) केन्द्रों के वर्तमान कार्य तथा प्रस्तावित विस्तार/नवीकरण कार्यक्रम राज्यवार क्या है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 50 और केन्द्र स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। पांचवी योजना को अभी तक अन्तिम रूप दिया जा रहा है। ये नेहरू युवक केंद्र वही कार्यकलाप कार्यान्वित करेंगे जो कि इस समय विदयमान केन्द्र कर रहे हैं।

नेहरू युवक केन्द्र, गैर-औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेलकूद, संस्कृति, समाज सेवा तथा युवक शिबिरों के आयोजन के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यकलाप करते हैं। विद्यमान सभी केन्द्रों तथा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित केन्द्रों में इन कार्यकलापों का और अधिक विस्तार किया जायेगा।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के निर्माण के लिये मांगी गई धन राशि**

3687. **श्री शशि भूषण : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मकानों के निर्माण के लिये कितनी धनराशि की मांग की है;

(ख) क्या मांगी गई/स्वीकृत की गई राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया गया था जिस प्रयोजन के लिये धनराशि की मांग की गई थी अथवा उसकी मंजूरी दी गई थी;

(ग) निर्माण और वेतन के लिये कितनी कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(घ) कितनी राशि व्यपगत हो गई ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :** (क) सम्भवत: इस प्रश्न का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से गत तीन वर्षों के लिए दौरान मकानों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई मांगों से है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार से कोई राशि नहीं मांगी गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रक किराये पर लेना**

3688. **श्री शशि भूषण : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों में कितने ट्रक किराये पर लिये और यह किन-किन कम्पनियों/ऐजेंसियों से किराये पर ट्रक लेता रहा;

(ख) ट्रक मालिकों को अब तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ग) कम्पनीवार दरें क्या थीं; कितना भुगतान किया गया और प्रत्येक कम्पनी/ऐजेंसी को कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**पश्चिम जर्मनी से आयात किये गये उर्वरक का वितरण**

3689. **श्री शशि भूषण : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम जर्मनी से आयातित एक करोड़ रुपए की मूल्य का उर्वरक अवार्ड दिये गये थे;

(ख) यह उर्वरक वितरण एजेंसियों के माध्यम से किस प्रकार वितरित किया गया;

(ग) क्या उर्वरक वितरण के मामले में कोई घोटाला किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और ऐसी एजेंसियों के नाम क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) जी हां। ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की एसोसियेशन के माध्यम से बिहार के मुजफ़्फरपुर और मुंगेर जिलों के मुशारी और जमुई खंडों में ग्रामीण कार्यों और लघु सिंचाई कार्यक्रम पर परियोजना आरम्भ करने के लिये पश्चिमी जर्मनी की केन्द्रीय एजेंसी से 14885.750 मीटरी टन उर्वरक प्राप्त हुए थे। ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की एसोसिएशन को इस प्रकार का कोई उर्वरक निर्मुक्त नहीं किया गया था।

(ख) भारत सरकार के उर्वरक पूल को उर्वरक बेचा गया था और विक्रय से 1,09,55,653.95 रु० वसूल किए गए थे जो कि उर्वरक पूल द्वारा भारतीय विकास लोक कार्यक्रम (एक समिति जो कृषि विभाग के मार्ग निदशन में कार्य कर रही है) को दे दिया गया था। इसके अलावा, सामान्य बकिंग के माध्यम से केन्द्रीय एजेंसी, पश्चिमी जर्मनी से 13,44,029 रु० की नकद राशि प्राप्त हुई थी, इस प्रकार पश्चिमी जर्मनी से परियोजना के लिए प्राप्त कुल राशि 1,22,99,682.95 रु० हो गई थी। उपर्युक्त राशि में से 78,50,000 रु० की राशि भारतीय विकास लोक दल द्वारा ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की एसोसियेशन को अक्तूबर, 1972 से जुलाई, 1975 के बीच 13 किश्तों में निर्मुक्त की गई थी।

(ग) जैसा कि ऊपर भाग (क) और (ख) में कहा गया है, इस प्रकार का कोई उर्वरक परियोजना के क्रियान्वयन के लिये वितरित नहीं किया गया था।

(घ) यदि किसी अनियमितता का पता चला तो संबंधित ऐजेंसी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

### दिल्ली विकास प्राधिकरण के कच्चे माल और निर्माण सामग्री की चोरी

3690. **श्री शशि भूषण :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के तीन करोड़ से अधिक के कच्चे माल और निर्माण सामग्री की चोरी हुई;

(ख) उनमें से कितने मामले पुलिस को सौंपे गए और कितने मामलों में माल बरामद हुआ; और

(ग) बाकी मामलों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) :** (क) से (ग) जी नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वर्ष 1968–69 से से चालू वर्ष तक, 2,51,464 रुपए के माल की चोरी के 79 मामलों (छोटी चोरियों सहित) का पता लगा है। एक मामले के अलावा, जिसकी विभागीय जांच हो रही है, शेष अन्य सभी मामले जांच-पड़ताल तथा कानून के अधीन उपयुक्त कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिए गए थे।

## कृषि में परमाणु तकनीकों का प्रयोग

**3691. श्री पी० गंगादेव :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के परमाणु विज्ञान तथा टैक्नोलोजी द्वारा कृषि का आधुनिकीकरण करने के विषय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक कृषि संस्थानों तथा विश्वविदयालयों ने कृषि के क्षेत्र में परमाणु तकनीकों का प्रयोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :** (क) जी, हां। आधुनिक कृषि से परमाणु विज्ञान और टैक्नोलोजी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इह कार्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, दोनों का सहयोग प्राप्त है।

(ख) जी, हां। भारत से काई कृषि अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि में परमाणु तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) निम्नलिखित कार्यों में परमाणु तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है :—

(i) फसलों में उत्परिवर्तन विधि का प्रयोग, (ii) मिट्टी की उर्वरता और उर्वरक प्रयोग तथा फसलों व बागानी फसलों जैसे आम और अंगूर के पोषक तत्व, (iii) जल प्रयोग की उपयोगिता और सतही-जल पर अध्ययन; (iv) ट्रेसर तकनीकों के जरिये फसलों में कीटनाशकों तथा फफद नाशकों के अवशेषों का अनुमान लगाना (v) शरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव रासायनिक खोज संबंधी मूल अध्ययन।

पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी खोजों में भी परमाणु तकनीकों का प्रयोग किया गया है। इन खोजों के अन्तर्गत काश्मीर में भेड़ों के फेफड़ों में पड़े कीड़ों की रोकथाम हल्की वैक्सीन के उपयोग से की गई। भारतीय चिकित्स' अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान में दूध देने वाले पशुओं की पोषण सम्बन्धी समस्याओं के हल के लिये भी इनका उपयोग किया गया।

## श्रमजीवी महिलाओं के लिये होस्टेल

**3692. श्री भाऊसाहेब धामनकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय श्रमजीवी महिलाओं की रिहायश के लिये कितने होस्टल्स हैं;

(ख) क्या वर्ष 1976–77 में और अधिक ऐसे होस्टलों के निर्माण के लिये 'धनराशि/सहायक अनुदान की व्यवस्था करने की कोई योजनायें हैं; और यदि हां, तो कितनी और कितनी लागत पर तथा किन-किन स्थानों पर; और

(ग) समाज कल्याण क्षेत्र में इस समय कौन-कौन से ऐच्छिक संगठन उक्त सुविधाय प्रदान कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या पड़ताल की जाती है कि उक्त संगठन सहायक अनुदान राशि का उसी प्रयोजन के लिये प्रयोग करती है जिसके प्रयोजन के लिये यह दी जाती है।

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) देश में इस समय श्रमजीवी महिलाओं के लिये होस्टलों की वास्तविक संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । तो भी 31 मार्च, 1976 तक भारत सरकार ने 87 होस्टलों के निर्माण/विस्तार के लिये सहायता दी है । यह उस सहायता के अतिरिक्त है जो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने ऐसे ही 48 होस्टलों के अनुरक्षण के लिये दी हैं ।

(ख) वर्ष 1976-77 में इस प्रयोजन के लिये 60.00 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है । जिन नगरों की आबादी दो लाख और उससे अधिक है तथा जहां ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, उनमें ऐसी सहायता देने में विशेष प्राथमिकता दी जायेगी ।

(ग) एक विवरण पत्र संलग्न है, [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10821/76] जिसमें ऐसे संगठनों के नाम हैं, जिन्हें श्रमजीवी महिलाओं के लिये होस्टलों के निर्माण/विस्तार हेतु अनुदान दिये गये हैं ।

प्रत्येक किश्त के लिये चार्टर्ड लेखाकारों से खर्च के बारे में लेखा परीक्षा विवरण पत्र प्राप्त करने के बाद अनुदान को किश्तों में देकर संगठनों द्वारा निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है । उसके अतिरिक्त संगठनों को राज्य जन कार्य विभाग से 'कम्प्लीशन सर्टीफिकेट' लेकर भेजने होते हैं । राज्यों के समाज कल्याण विभागों के अधिकारियों तथा भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा होस्टलों का निरीक्षण किया जाता है ।

## नई दिल्ली में बहुमंजिली इमारतों का निर्माण

3693. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित इण्डिया गेट तथा कनॉट प्लेस क्षेत्रों में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में निर्मित बहुमंजिली इमारतों के मालिकों के क्या नाम है;

(ग) इन इमारतों के निर्माण के लिये मंजूरी किन प्राधिकारियों ने दी; और

(घ) प्रत्येक इमारत पर अनुमानतः कितनी लागत आई ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) गगन रेखा पर प्रतिबन्ध लगाने, अव्यवस्थित नगर विकास को रोकने तथा अवस्थापना संबंधी पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने विस्तृत पुनर्विकास प्रस्ताव बनाए जाने तक नवंबर 1971 में नई दिल्ली क्षेत्र में बहु-मंजिलभवनों (तीन मंजिल से अधिक) के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया ।

(ख) परिशिष्ट के अनुसार ।

(ग) बहु-मंजिले भवनों के नक्शों को स्थानीय निकाय के रूप में नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा तथा पट्टादाता के रूप में भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है । जबकि नई दिल्ली नगरपालिका ने सभी मामलों में भवनों के नक्शे स्वीकृत कर दिए हैं लेकिन भूमि तथा विकास कार्यालय ने पट्टधारी की शर्तों के अधीन कुछ मामलों में नक्शों को अनुमोदित नहीं किया है ।



6—1 L. S. S./ND/76

(घ) मालूम नहीं है ।

## विवरण

### बहुमंजिले वाणिज्यिक कार्यालय भवन

| क्रम सं० | परिसर संख्या | मालिक/प्रवर्तक का नाम |
|---|---|---|
| **बाराखम्बा रोड :** | | |
| 1 | 15 . . | मैसर्ज हंसालया प्रोपरटीज़ |
| 2 | 18 . . . (कंचनजुंगा) | मैसर्ज कैलाश नाथ एण्ड एसोसिएटस |
| 3 | 24 . . . | मैसर्ज राजेश्वर नाथ विश्वनाथ तथा अन्य |
| 4 | 26 . . . (निर्मल टावर) | मैसर्ज साइकिल इक्यूपमेंटस प्रा० लि० |
| 5 | 26-क . . . (आकाश दीप) | मैसर्ज चिरंजी लाल तथा अन्य |
| 6 | 27 . . . | मैसर्ज नई दिल्ली होटल्ज़ |
| **बाराखम्बा लेन :** | | |
| 7 | 7,8,9 . . . | भारतीय खाद्य निगम |
| **कस्तूरबा गांधी रोड :** | | |
| 8 | 16 . . . (अन्सल भवन) | मैसर्ज अन्सल और सैगल प्रोपरटीज़ |
| 9 | 18—20. . . (हिन्दुस्तान टाइम्ज़) | मैसर्ज हिन्दुस्तान टाईम्ज़ |
| 10 | 19 . . . (सूर्य किरण) | मैसर्ज अन्सल और सैगल प्रोपरटीज़ |
| 11 | 23 . . . (हिमालय हाऊस) | मैसर्ज लोकनाथ एण्ड कम्पनी |
| 12 | 24 . . . (यू० एस० आई० एस०) | अमरीकन एम्बेसी |
| 13 | 25 . . . (एल० आई० सी०) | जीवन बीमा निगम |
| 14 | 26 (कैलाश) | मैसर्ज अबास्कर कन्स्ट्रक्शन |
| 15 | एशिया हाऊस | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग |

| क्रम सं० | परिसर संख्या | | मालिक/प्रवर्तक का नाम |
|---|---|---|---|
| **पार्लियामेंट स्ट्रीट :** | | | |
| 16 | 4 | . . . | प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया |
| 17 | 11 | . . . | स्टेट बैंक आफ इण्डिया |
| 18 | 16 | . . . | बैंक आफ बड़ोदा |
| 19 | 118 (ससद् सचिवालय तथा एक्सटेंशन) | . . . | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग |
| **कनाट प्लेस (मिडिल सर्कल) :** | | | |
| 20 | एम० 4 और 5 | . . | मैसर्ज़ पुंज सन्स |
| 21 | ई०–13–29 | . . | मैसर्ज़ प्यारे लाल एण्ड सन्ज़ |
| 22 | 5-क 'एम०' (नैसल हाऊस) | . . | दी क्रिश्चियन सर्विस एजेंसी |
| 23 | एच०-11 | . . . | मैसर्ज़ मुखा मल एण्ड सन्ज़ |
| 24 | एफ-बलाक (नैशनल इण्डिया यूनिट) | . . | जीवन बीमा निगम |

## केरल में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र

3694. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पांचवीं योजनावधि के दौरान देश में स्थापित किये जाने वाले 50 नये कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों में से छः और केन्द्रों को केरल में स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

**कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) जी हां ।

(ख) चौथी योजना के दौरान केरल में 10 जिलों में से 4 जिलों में किसान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए थे । पांचवीं योजनावधि के दौरान, चार केन्द्रों के अलावा एक और स्थापित किया जाएगा । वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस योजनावधि के दौरान केरल में और अधिक किसान प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना सभव नहीं है ।

**केरल में गैर सरकारी काजू बागान**

**3695. श्री एन० श्रीकान्तन नायर :**

**श्री रामचन्द्रन कडन्नापल्लि :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के एक सदस्य के एक प्रतिवेदन में यह संकेत दिया गया है कि केरल में गैर सरकारी काजू बागान की अच्छी सम्भावनाएं है ;

(ख) क्या केरल राज्य सरकार ने इस प्रतिवेदन के आधार पर पांचवी पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों के दौरान गर सरकारी भूमि के 25,000 हैक्टारों में काजू बागान लगाने संबधी योजना प्रस्तुत की है ; और

(ग) केन्द्र सरकार दवारा इस योजना को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी देने हेतु क्या कार्य-वाही की गई है ?

**कृषि और सिचाई मन्त्रालय म उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

**नई दिल्ली स्थित कस्तुरबा गांधी पर कामकाजी लडकियों के लिये हौस्टल**

**3696. श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कस्तूरबा गांधी मार्ग (कर्जन रोड) नई दिल्ली पर स्थित कामकाजी लड़कियों के होस्टल में कितनी लड़कियां रह रही हैं ;

(ख) वहां विभिन्न श्रेणियों के कमरों के लिये किराया किस आधार पर निश्चित किया गया है ;

(ग) क्या हाल ही में किराये में संशोधन करके उसमें वृद्धि की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) :** (क) 123,

(ख) से (घ) : कामकाजी लड़कियों के होस्टल के विभिन्न कमरों का लाइसेन्स फीस 1-4-1975 के पूर्व तदर्थ तथा आर्थिक सहायता के आधार पर निम्नलिखित रूप से नियत किए गये थे :—

| | पात्र | | अपात्र |
|---|---|---|---|
| तीन सीटों वाला कमरा | 13.20 रुपये | . . | 79.20 रुपये |
| दो सीटों वाला कमरा | 8.80 रुपये | . . | 52.80 रुपये |

1-4-1975 से कामकाजी लड़कियो के होस्टल के जो कमरे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के दखल में हैं उनकी लाइसैन्स फीस मूल नियम 45-ए के अधीन पूलिस इकाई दर के आधार पर संशोधित करके 3 सीटों वाले कमरे के 31.00 रूपये और 2 सीटों वाले कमरे के लिए 27.00 रूपये कर दिया गया है । जो कमरे सरकारी उपक्रमों और प्राइवेट संगठनों आदि में काम करने वाली लड़कियों के दखल में हैं 1-2-1976 से उनकी लाइसेन्स फीस में भी संशोधन कर दिया गया है । यह संशोधन मूल नियम 45-बी० के उपबन्धों के मुताबिक इस प्रकार है :—

| | सरकारी उपक्रमों आदि में कार्य कर रही लड़कियां | प्राइवेट संगठनों आदि में काम कर रही लड़कियां |
|---|---|---|
| 3 सीटों वाला कमरा | 121.00 रुपये | 141.00 रुपये |
| 2 सीटों वाला कमरा | 104.00 रुपये | 121.00 रुपये |

**कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और खिचड़ीपुर कालोनियों के स्थानान्तरित लोगों को नागरिक सुविधाएं देना**

3697. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और खिचड़ीपुर में कितने परिवार कालौनी-वार स्थानान्तरित किये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक कालौनी में कितने नलकूप और शौचालय बनाये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अनेक नलकूप काम नहीं कर रहे और लोगों को पेय जल प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(घ) क्या सरकार को यह पता है कि कल्याणपुरी जैसी कालौनियों में वर्षा का पानी भर जाने का खतरा है क्योंकि वे निचले स्तर पर हैं और वर्षा का पानी निकालने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरामया) :** (क) त्रिलोक पुरी—लगभग 13,000 कल्याणपुरी तथा खिचड़ीपुर—लगभग 8,000;

(ख) ये तीनों कालोनियां पास-पास के क्षेत्रों में हैं पांच नलकूप निर्माणाधीन हैं तथा सारे क्षेत्र के लिए 5 और की योजना बनाई जा रही है । इन क्षेत्रों में 610 शौचालय बनाए गये हैं । 336 अतिरिक्त शौचालय निर्माणाधीन हैं ।

(ग) इन कालोनियों में फिलहाल हैण्ड पम्पों के जरिये पानी की व्यवस्था है और यह कहना ठीक नहीं है कि इन कालोनियों में पानी की कमी है ।

(घ) तथा (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनुरोध किया है कि शाहदरा का समस्त क्षेत्र निचले स्तर का है और इसमें बाढ़ आने की सम्भावना है । किन्तु इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सुचित प्रबन्ध किये जा रहे हैं कि इन पुनर्वसित कालोनियों में बाढ़ न आए ।

# सभा पटल पर रखे गए पत्र

# PAPERS LAID ON THE TABLE

## मदुरै सिटी म्युनिसिपल कार्पोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 1976

**निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :** मैं तमिलनाडु राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मदुरै सिटी म्युनिसिपल कारपोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 20) की एक प्रति, जो दिनांक 29 अप्रैल 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ; सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 10814/76]**

## लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) तामिलनाडु (संशोधन) अधिनियम 1976,

**कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां):** मैं तमिलनाडू राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम; 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) तमिलनाडु (संशोधन) अधिनियम;, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 14) की एक प्रति, जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । सभा पटल पर रखता हूं ।
**[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 10815/76**

## तामिलनाडू काश्तकार मुजायरे संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 1976

**कृषि और सिचाई मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** मैं तमिलनाडु राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु काश्तकार मुजायरे संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 18) की एक प्रति जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र, में प्रकाशित हुआ था । मैं सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 10816/76]**

## भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के वर्ष 1972-73 के प्रामाणिक लेखे तथा विलम्ब के विवरण

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** मैं (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के स्थापनापत्र तथा नियमों के नियम 44(ध) के अन्तर्गत भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के वर्ष 1972–73 के प्रमाणिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 10817/76]**

*अनुदानों की मांगें, 1976-77—जारी

DEMAND FOR GRANTS 1976-77—*Contd.*

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय**

**अध्यक्ष महोदय :** सभा में अब पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की मांग संख्या 89 से 92 पर चर्चा और मतदान होगा। इसके लिए चार घंटे नियत किए गए हैं।

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय**

**वर्ष 1976-77 के लिए पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की (निम्नलिखित) मांगें प्रस्तुत की गई :—**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व रुपये | पूंजी रुपये | राजस्व रुपये | पूंजी रुपये |
| 89 | पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय | 7,96.000 | | 39,78,000 | |
| 90 | मौसम विज्ञान | 1,87,89,000 | 33,87,000 | 9,39,43,000 | 1,69,33,000 |
| 91 | विमानन | 4,46,84,000 | 4,23,80,000 | 22,34,19,000 | 21,19,02,000 |
| 92 | पर्यटन | 64,32,000 | 71,23,000 | 3,21,57,000 | 3,56,17,000 |

**श्रीमति पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : इस मंत्रालय की मांगो पर बोलते हुए प्रथमतः मैं यह अवश्य कहना चाहूंगी कि निश्चय ही पर्यटन और नागर विमानन दोनों क्षेत्रो में कुछ प्रगति हुई है। परन्तु इस के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे हवाई अड्डे विश्व के हवाई अड्डों के समान आधुनिक नहीं हुए है। हम विश्व के हवाई अड्डों की तुलना में कम से कम दस वर्ष पीछे हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम ऐसे विशेषज्ञो को क्यो रखते हैं जो दूसरे देशों में 5 या 10 वर्ष पूर्व हुए अनुभवों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे देश में अधिक पर्यटक आए। इसके लिए हम आधुनिक विमान भी प्रयोग में लाना चाहते हैं परन्तु हमारे हवाई अड्डे आधुनिक विमानों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अतः हमें अपने देश में आधुनिकीकरण लाने के लिए विश्व के अनुभव से बहुत कुछ सीखना चाहिए।

इस तरह से हमारे देश में और कई कमियां हैं। मुझे पता चला है कि विश्व के बहुत से विकसित देशों में 80 प्रतिशत विमान-क्षेत्र मे पक्का बना होता है जबकि भारत में यह केवल 20 प्रतिशत ही है। हमें 80 प्रतिशत के बराबर पहुंचना चाहिए परन्तु हम देख रहे हैं कि गत वर्ष पालम हवाई अड्डे पर मोजेक के फर्श के स्थान पर कोटा का पत्थर

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत की गई।

Moved with the recommendations of the President.

[श्रीमती पार्वती कृष्णन]

लगाया गया है। हमें आपातकाल में क्या इस प्रकार से काम करना चाहिए, हमें तो हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने का प्रयास करना चाहिए।

जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है मुझे बताया गया है कि कुछ हवाई अड्डों पर 737 बोईंग के लिए आवश्यक फोम क्षमता के क्रैश टेंडर और पानी की व्यवस्था नहीं है। खाजूराहो जैसे महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र में आग बुझाने के लिए केवल दो जीपें ही हैं। यह सारी समस्या सी०एफ०टी०ज की खरीद से सम्बन्धित हैं। 1969 से इस मामले पर निर्णय नहीं किया गया है। जब चेकोस्लोवाकिया के टाटरा की ओर से टेंडर आ गया है तो फिर इस सम्बन्ध में देरी होने की बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हमें सुरक्षा की समस्या को तुरन्त हल करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनकी सप्लाई अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मानक के अनुसार की जाए।

हमने 8 फायर टेंडर कनाडा से खरीदे हैं जो प्रति घंटा 8 किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं। एक फायर टेंडर की कीमत 20 लाख पए है। इनका विश्व के किसी भी हवाई अड्डे पर प्रयोग नहीं होता। अतः हमें ऐसी चीजों पर विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी चाहिए। अब नागर विमानन मंत्रालय को सुरक्षा उपायों की समस्या का तुरन्त हल निकालना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मानक के अनुसार खरीद करनी चाहिए।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का सम्बन्ध है जब विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो डा० कर्ण सिंह ने यहां यह आश्वासन दिया था कि जब यह प्राधिकरण बन जाएगा तो नागर विमानन विभाग के ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति के नए अवसर दिए जाएंगे जो यातायात का नियंत्रण करने में कुशल होंगे। परन्तु अब यह हो रहा है कि इस संगठन में एक के बाद एक वायुसेना के लोगों को ही लिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप नागर विमानन विभाग के कर्मचारियों में हतोत्साह की भावना आ रही है। वायु सेना के लोगों को सिविलियन वायु यातायात नियंत्रण का अनुभव नहीं होता। मैं वायुसेना के लोगों के खिलाफ नहीं हूं। हमें उनपर गर्व है। परन्तु हमें उन्हें अधिक जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। जब हमारे पास विभागीय लोग हैं जो शुरू से ही यहां काम कर रहे हैं। और जो प्रति दिन अनुभव प्राप्त करते जा रहे हैं तब उन्हें जिम्मेदारी वाले पदों पर उन्नति क्यों न दी जाए यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सहायक हवाई अड्डा अधिकारी के पद विभागीय पदोन्नति से भरे जाने चाहिएं। परन्तु मुझे पता चला है कि एक टाटा समिति इस बारे में विचार कर रही है। जब सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तो फिर ऐसी समिति क्यों बनाई गई है यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

कर्मचारियों की काम करने की स्थिति में भी सुधार किया जाना चाहिए। जहां पर काम वे करते हैं वहां पर हर प्रकार की सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए इससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी।

जहां तक पर्यटन का सम्बन्ध है मैं मंत्रालय से प्रार्थना करूंगी कि वह हमें भ्रामक आंकड़े न दिया करे। 1971 को आधार वर्ष मानकर हमें पर्यटन में वृद्धि होने के आंकड़े दिए गए हैं। परन्तु यह वर्ष आधार वर्ष कैसे बनाया गया है। 1971 का वर्ष बहुत उथल पुथल

का वर्ष था। 1971 में बंगला देश आजाद हुआ था। स वर्ष पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। इसलिए इस वर्ष उतने पर्यटक भारत में नहीं आए जितने अन्यथा आते। उस वर्ष को आधार मान कर सरकार कहती है कि पर्यटकों में इतनी वृद्धि हुई है। यह सब भ्रामक है।

इस में सन्देह नहीं कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में सुधार हुआ है। उनमें से कुछ लाभ की स्थिति में आ गए हैं और प्रगति कर रहे हैं। परन्तु अभी भी कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच मतभेद है। मंत्रालय को इस मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आपात की स्थिति में सरकार के सभी विभागों में मतभेद दूर करने का प्रयत्न किया गया परन्तु इस विभाग में कुछ नहीं किया गया। विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई अनियमिताओं और भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में जांच आरम्भ की गई थी अब कर्मचारी जानना चाहते है कि आपात की स्थिति में उसका क्या हुआ है। जब तक सरकार इस सारे मामले पर ध्यान नहीं देगी और इन समस्याओं को हल नहीं करेगी तब तक यह मतभेद बना ही रहेगा।

सरकारी क्षेत्र के होटलों की अपेक्षा प्राइवेट क्षेत्र के होटलों का विकास तेजी से हो रहा है, प्राइवेट होटलों को अधिक ऋण दिया जा रहा है। यदि प्राइवेट क्षेत्र के होटलों को दिया गया कर्ज सरकारी क्षेत्र के होटलों में लगाया जाता तो हमें फायदा होता पर प्राइवेट क्षेत्र के होटल सरकार से ऋण लेते हैं होटल बनाते हैं तथा बहुत अधिक मुनाफा कमाते हैं। यह बात इन आंकड़ों से सिद्ध ो जाती है कि अशोक होटल एक दिन के लिये 175 रु० चार्ज करता है जबकि ओबराय होटल 275 रु चार्ज करता है। अतः सरकारी क्षेत्र के होटलों की स्थिति मजबूत की जाये और तत्सम्बन्धी सरकारी संगठन में सुधार किया जाये।

जहां तक पर्यटन प्रचार साहित्य के प्रकाशन का सम्बन्ध है, भारतीय पर्यटन विकास निगम जो साहित्य प्रकाशित कर रहा है वह अपर्याप्त दू। त और त्रुटिपूर्ण है। पर्यटन विभाग को 28 वर्ष का अनुभव है। इसलिए पर्यटन सम्बन्धी साहित्य पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

पर्यटन विभाग के महानिदेशक का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा से सम्बद्ध किया गया है। सरकार इस पद पर विभागीय पदोन्नति कर सकती है। उपनिदेशकों और सहायक निदेशकों को इस क्षेत्र का काफी अनुभव होता है। उन्हें इस पद पर पदोन्न किया जाना चाहिए। प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी समग्र मामलों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए तथा प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को वापस भेजा जाना चाहिए क्योंकि विभाग के पास अपने ही विशेषज्ञ काफी हैं। उन्हें पदोन्नति दी जानी चाहिए।

प्रति दिन पढ़ने से पता चलता है कि सरकार का पर्यटन के मामले में पश्चिमी देशों की ओर अधिक झुकाव है। पूर्वी देशों के साथ क्या हम अपने सम्बन्धों में सुधार नहीं करना चाहते? क्या सरकार नहीं चाहती कि वहां से पर्यटक भारत आयें केवल टोकियो, सिंगापुर और कुवैत में हमारे एक एक पर्यटन कार्यालय है। खाड़ी देशों से हमारा सम्पर्क बढ़ रहा है और साथ ही हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध भी बढ़ रहे हैं। इस का क्या कारण है कि हमारा केवल कुवैत में ही एक पर्यटन कार्यालय है? इस पर विचार किया जाना चाहिये। इसी प्रकार बुलगारिया और युगोस्लाविया के भी हमारे साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। इन

[श्रीमती पार्वती कृष्णन]

देशों में पर्यटन का लिय खोलना हमारे देश के लिए लाभकारी होगा। देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। हाल ही में स्वाधीन हुए आफ्रीकी, मध्य एशियाई और एशियाई देशों में पर्यटन कार्यालय स्थापित किये जाने चाहिए।

समुद्र पारीय देशों में जो नियुक्ति की जाती है वह तदर्थ आधार पर की जाती है। इस नियुक्ति का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि वहां उन्हीं लोगों की नियुक्ति होनी चाहिएं जिन्हें अनुभव हो और जो उन देशों की जनता में भारत के प्रति आकर्षण जागृत कर सकें। इस प्रकार के अधिकारियों का चयन करने के लिए एक चयन समिति है। जब तक आप इस समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक स विषय में न्याय नहीं होगा। पर्यटन विकास सम्बन्धी नीति के साथ न्याय नहीं होगा। हमारा श विशाल है; इसका अपना इतिहास है संस्कृति है भूगोल है। आप विदेशो में एसे अधिकारी भेजे जो भारत की इन सम्पदाओं से भली भांति परीचित हों।

इन्फार्मेशन सहायकों के 80 प्रतिशत पद खुली प्रतियोगिता से भरे जाते । इससे कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए। कम से कम 60 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने चाहिए। टेलीफोन आपरेटरों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 20 ० की वेतन में वृद्धि दी जानी चाहिए।

सरकार को न केवल विदेशी पर्यटकों अपितु भारतीय पर्यटकों की ओर भी पूरा ध्यान देना चाहिए औद्योगिक और वेतन भोगी कर्मचारियों को रियायती दर पर टिकटें मिलनी चाहिए जिससे वे अपने देश का भ्रमण कर सकें और उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें।

---

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की मांगों के सम्बध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 2 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | कुतुब मीनार पर खाद्द्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ उचित दरों पर सैलानियों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता। | राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें। |
| 89 | 3 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | कुतुबमीनार पर पर्यटकों के लिये सहकारिता के आधार पर एक अच्छा कैफटेरिया बनाने की आवश्यकता। | तदैव |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 12 | **श्री एस० एम० बनर्जी** : | पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय (मुख्यालय) में काम कर रहे हिन्दी अनुवादकों की समान पदाली बनाने और इन पदों पर अन्य कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को वापस भेजने तथा वर्तमान पदधारियों को इन पदों पर स्थायी बनाने की आवश्यकता। | राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये। |
| 89 | 13 | **श्री एस० एम० बनर्जी** : | नागर विमानन महानिदेशालय (मुख्यालय) में काम कर रहे गैर-अनुसचिवीय कर्मचारियों सम्बन्धी भर्ती नियमों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता। | तदैव |
| 89 | 14 | **श्री एस० एम० बनर्जी** : | नागर विमानन महानिदेशालय (मुख्यालय) और पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के उन सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की आवश्यकता जो दो वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं। | तदैव |
| 89 | 15 | **श्री एस० एम० बनर्जी** : | नागर विमानन महानिदेशालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भविष्य निधि लेखा उचित तथा व्यवस्थित ढंग से रखने और कर्मचारियों के अनिवार्य जमा योजना लेखे ठीक से रखने में असफलता तथा भारत सरकार के अन्य कार्यालयों की भांति उन्हें उनके लेखे की पर्चियां देने की आवश्यकता। | तदैव |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 16 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | नागर विमानन महानिदेशालय में काम कर रहे एस० ए० एस० लेखाकारों को कार्मिक विभाग तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की अप्रैल 1975 की हिदायतों के अनुसार अपने अपने कार्यालयों में वापस भेजने की आवश्यकता तथा निदेशालय के उन अपर श्रेणी लिपिकों को रिक्त स्थानों पर पदोन्नति देने की आवश्यकता जिन्हें नकदी और लेखा का प्रशिक्षण प्राप्त है । | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये । |
| 89 | 17 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | नागर विमानन महानिदेशालय में पदाली–बाह्य गैर–तकनीकी पदों को अनुसचिवीय पदों में बदलने तथा उन पदों को सी० एस० एस०/सी० एस० सी० एस० में मार्च 1972 के कार्मिक विभाग के निदेशों के अनुसार शामिल करने में असफलता । | तदैव |
| 89 | 18 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | नियमानुसार नागर विमानन महानिदेशालय की कार्यालय परिषद (जे० सी० एम०) की बैठक नियमित रूप से करने तथा कार्यालय परिषद (जे० सी० एम०) के निर्णय लागू करने में असफलता । | तदैव |
| 89 | 19 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | नवम्बर 1972 के कार्मिक विभाग के ज्ञापन में उल्लिखित हिदायतें लागू करने में असफलता जो नागर विमानन महानिदेशालय (मुख्यालय) में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण के बारे में हैं । | तदैव |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 20 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | भर्ती नियमों के अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा रखी जा रही/तैयार की गई चयन सूची भर्ती सूची में कर्मचारियों द्वारा प्राप्त स्थानों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों सहित को उसी क्रम के अनुसार उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर स्थायी बनाने में असफलता । | राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये । |
| 92 | 21 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग के कर्मचारियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों सहित, के अभ्यावेदनों, विशेषकर चयन सूची/भर्ती सूची में उनके दवारा प्राप्त स्थानों के अनुसार स्थायी बनाने के बारे में अभ्यावेदनों पर कार्यवाही करने में असफलता । | तदैव |
| 92 | 22 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग में सहायक निदेशक, सहायक वरिष्ठ आशुलिपिक, वरिष्ठ अन्वेषकों आदि श्रेणी दो के पदों सम्बन्धी भर्ती नियमों का संशोधन करने और सरकार दवारा स्वीकृत वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सीधी भर्ती न करने में असफलता । | राशि में से 100 रु० घटा दिये जाये |
| 92 | 23 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग में कम्प्यूटर कनिष्ठ अन्वेषक के पद सम्बन्धी भर्ती नियमों में संशोधन करने में असफलता ताकि इस विभाग में काम कर रहे की-पंच आपरेटरों कम्प्यूटरों की पदोन्नति का उपबन्ध किया जा सके । | तदैव |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 24 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग में सहायक निदेशकों (प्रशासन) सहायकों तथा उच्च श्रेणी लिपिकों को भारत सरकार के अन्य कार्यालयों की भांति आई० एस० टी० एम० द्वारा आयोजित विभिन्न रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए भेजने में असफलता । | राशि में से 100 रु० घटा दिये जाये । |
| 92 | 25 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग के उच्च श्रेणी लिपिकों को आई० एस० टी० एम० द्वारा आयोजित नकदी तथा लेखा कोर्स करने के लिये भेजने की आवश्यकता ताकि उन्हें विभाग में लेखाकारों के रूप में नियुक्त करने के पात्र बनाया जा सके । | तदैव |
| 92 | 26 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग में वरिष्ठ आशुलिपित के पद के वेतनमान के मामले में असमानता दूर करने की आवश्यकता ताकि उसे 425–750 रुपये से बढ़ाकर केन्द्रीय सचिवालय के वरिष्ठ आशुलिपिकों के वेतनमान के बराबर 425–800 रुपये किया जा सके । | तदैव |
| 92 | 27 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | कनिष्ठ श्रेणी लिपिकों के कुछ पदों को वरिष्ठ श्रेणी लिपिक के पद में परिवर्तित करने में असफलता क्योंकि इनमें से अनेक पदधारी वरिष्ठ श्रेणी लिपिकों द्वारा किया जाने वाला कार्य कर रहे हैं और तीसरे वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में भी ऐसा करने की सिफारिश की है । | तदैव |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 28 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग के प्रशासन खण्ड में सहायक निदेशक (प्रशासन) सहायक तथा उच्च श्रेणी लिपिक के और पद बनाने की आवश्यकता ताकि कर्मचारियों की शिकायतों को तुरन्त दूर किया जा सके । | राशि में से 100 रु० घटा दिये जाये । |
| 92 | 29 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिये उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोद्धन्नति के लिये नियत कोटा 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने की आवश्यकता जो इस सम्बन्ध में हाल में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशानुसार है । | तदैव |
| 92 | 30 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | कर्मचारी संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों के उत्तर न देना जो इस विषय पर सरकार के निदेशों के विरुद्ध है । | तदैव |
| 92 | 31 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग में सूचना सहायकों के पद के लिये भर्ती नियमों का संशोधन करने की आवश्यकता ताकि इस विभाग के कर्मचारियों को 30 प्रतिशत पद दिये जा सकें । | तदैव |
| 92 | 32 | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग में सहायक के पद के लिये भर्ती नियमों का संशोधन करने की आवश्यकता ताकि इस ग्रेड में 50 प्रतिशत पद उच्च श्रेणी लिपिकों को पदोन्नति द्वारा दिये जा सकें जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारियों के लिये कार्मिक विभाग ने किया हुआ है । | तदैव |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 33. | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग में वरिष्ठ आशुलिपिक के ेड में पदोन्नति के अवसरों का बिलकुल न होना समाप्त करने की आवश्यकता और उन्हें सिलेक्शन ग्रेड देना। | राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें। |
| 92 | 34. | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग में सूचना सहायक के पद पर सीधी भर्ती 80 प्रतिशत पदों से घटाकर 50 प्रतिशत करने की आवश्यकता ताकि इस विभाग के कर्मचारियों को शेष 30 प्रतिशत पद दिये जा सकें। | तदैव |
| 92 | 35. | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग में सहायक निदेशक के पद के भर्ती नियमों का संशोधन करने की आवश्यकता ताकि सहायकों और वरिष्ठ आशुलिपिकों के लिये इस ग्रेड में रक्षित पदों की संख्या बढ़ायी जा सके। | तदैव |
| 92 | 36. | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | श्रेणी दो/श्रेणी तीन/श्रेणी चार के तीन वर्ष पुराने अस्थायी पदों के 80 प्रतिशत पदों को स्थायी पदों में बदलने में असफलता जैसा कि वर्षानुवर्ष आधार पर सरकार द्वारा निदेश दिये गये हैं। | तदैव |
| 92 | 37. | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग के ेलीफोन आपरेटरों को दिनांक 20-9-74 के वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या 6 (15)–ई० तीन (बी०)/73 के अनुसार विशेष वेतन देने में असफलता। | तदैव |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 38. | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग के टेलीफोन आपरेटरो को अनेक वर्षों की सेवा पूरी कर लेने पर भी स्थायी करने में असफलता । | राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये । |
| 92 | 39. | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग के श्रेणी चार, श्रेणी तीन और श्रेणी दो के कर्मचारियों को इन ग्रेडों में लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे स्थायी पदों पर स्थायी करने में असफलता । | तदैव |
| 92 | 40. | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग में सलेक्शन ग्रेड दफ्तरी के पद बनाने में असफलता जैसा कि सरकार के अन्य विभागो में किया गया है । | तदैव |
| 92 | 41. | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग के श्रेणी चार के कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे को ठीक ढंग से तथा नियमित रूप से रखने और कर्मचारियों के अनिवार्य जमा लेखे ठीक प्रकार से रखने में असफलता । | तदैव |
| 92 | 42. | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग के कर्मचारियों को वार्षिक आधार पर भविष्य निधि लेखे और अनिवार्य जमा लेखे की स्लिपें जारी करने में असफलता । | तदैव |
| 92 | 43. | **श्री एस० एम० बनर्जी :** | पर्यटन विभाग (मुख्यालय) में सहायक के पद सम्बन्धी भर्ती नियमों का संशोधन करने में असफलता ताकि इस ग्रेड के लिये सीधी भर्ती घटाकर 50 प्रतिशत की जा सके । | तदैव |



7—1 LSS ND/76

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 44. | श्री एस० एम० बनर्जी : | पर्यटन विभाग (मुख्यालय) में वरिष्ठ आशुलिपिकों के पद के भर्ती नियमों का संशोधन करने में असफलता ताकि इस ग्रेड पर सीधी भर्ती घटाकर 50 प्रतिशत की जा सके। | राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें। |
| 92 | 45. | श्री एस० एम० बनर्जी : | पर्यटन विभाग में कनिष्ठ श्रेणी लिपिकों के पदों सम्बन्धी भर्ती नियमों का संशोधन करने की आवश्यकता ताकि इस विभाग के शैक्षिक रूप से अर्हता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति देने का कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेशानुसार उपबन्ध किया जा सके। | तदैव |
| 92 | 46. | श्री एस० एम० बनर्जी : | पर्यटन विभाग में वरिष्ठ/कनिष्ठ अन्वेषकों और कम्प्यूटरों के पदों सम्बन्धी भर्ती नियमों का संशोधन करने की आवश्यकता जैसा कि दिनांक 23-11-71 के कार्मिक विभाग के ज्ञापन संख्या 2/43/71-सी० एस० (दो) में दी गई हिदायतों में उपबन्ध किया गया है। | तदैव |
| 92 | 47. | श्री एस० एम० बनर्जी | पर्यटन विभाग को कर्मचारियों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में भेजे गये अभ्यावेदनों का उत्तर देने में असफलता जो कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मामलों से सम्बन्धित है। | तदैव |
| 92 | 10. | श्रीमती पार्वती कृष्णन : | देश के विभिन्न भागों में सस्ते होटलों के निर्माण करके आम जनता में पर्यटन के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने में असफलता। | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 11. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | दक्षिण भारत में पर्यटन सम्बन्धी और सुविधायें उपलब्ध करने की आवश्यकता । | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये । |
| 89 | 49. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | नागर विमानन महानिदेशालय में पदाली-बाह्य गैर–तकनीकी पदों को अनुसचिवीय पदों में बदलने तथा उन पदों को सी० एस० एस०/सी० एस० सी० एस० में मार्च, 1972 के कार्मिक विभाग के निदेशों के अनुसार शामिल करने में असफलता । | राशि में से 100 रु० घटा दिये जाये । |
| 89 | 50. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | नागर विमानन महानिदेशालय (मुख्यालय) और पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के उन सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता जो दो वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं । | तदैव |
| 89 | 51. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | नागर विमानन महानिदेशालय (मुख्यालय) में काम कर रहे गैर-अनुसचिवीय कर्मचारियों सम्बन्धी भर्ती नियमों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता । | तदैव |
| 89 | 52. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | पर्यटन विभाग के चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को इन ग्रेडों में रिक्त स्थायी पदों पर स्थायी बनाने में असफलता । | तदैव |
| 89 | 53. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | कोयम्बतूर (पीलामेदु) हवाई अड्डे पर उड़न पट्टी का विस्तार करने में असफलता ताकि वहां बोईंग विमान उतर सकें । | तदैव |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 54. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | हवाई अड्डों पर शौचालयों के रख-रखाव तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने की ओर पर्याप्त ध्यान देने में असफलता । | राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें । |
| 89 | 55. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | पालम हवाई अड्डे पर यन्त्रों की सहायता से विमान उतारने की सेवा के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर बनाए रखने में असफलता और उड्डयन कार्यों में खतरा उपस्थित करना । | तदैव |
| 89 | 56. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | पालम हवाई अड्डे पर निर्बाध विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने में असफलता । | तदैव |
| 89 | 57. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | हवाई अड्डों की उड़न पट्टी तक अनधिकृत लोगों और यात्रियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के आने को रोकने में असफलता । | तदैव |
| 89 | 58. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | हवाई अड्डों पर भोजनालयों तथा जल-पान गृहों पर जल-पान के मूल्यों में कमी करने की आवश्यकता । | तदैव |
| 89 | 59. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | आगे की विमान सेवाओं के लिये सुविधायें सुधारने और बुकिंग के 24 घन्टे के अन्दर अन्दर यात्रियों को आवश्यक जानकारी देने की आवश्यकता । | तदैव |
| 89 | 60. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | इण्डियन एयर लाइन्स की सेवाओं में दिये जाने वाले भोजन का स्तर सुधारने और बासी भोजन न देने की आवश्यकता । | तदैव |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 61. | श्रीमती पार्वती कृष्णन : | बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास हवाई अड्डों पर यात्रियों को रात्रि में देर से पहुचने पर वहां विश्राम करने की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता ताकि वे भोर में आगे की विमान यात्रा आरम्भ कर सकें । | राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें । |
| 89 | 62. | श्रीमती पार्वती कृष्णन : | बम्बई-राजकोट विमान सेवा को काण्डला तक बढ़ाने की आवश्यकता । | तदैव |
| 89 | 63. | श्रीमती पार्वती कृष्णन : | भुज से काण्डला तक यात्री बस सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता । | तदैव |
| 89 | 64. | श्रीमती पार्वती कृष्णन : | अहमदाबाद और काण्डला को विमान सेवा द्वारा जोड़ने की आवश्यकता । | तदैव |
| 89 | 65. | श्रीमती पार्वती कृष्णन : | मद्रास हवाई अड्डे पर सुरक्षा चैक से पूर्व यात्रियों के लिये बैठने के अधिक स्थान प्रदान करने की आवश्यकता । | तदैव |
| 89 | 66. | श्रीमती पार्वती कृष्णन : | बम्बई और कलकत्ता से कोयम्बतूर तक पर्यटकों के लिये ऊटाकमण्ड, मालमपुजा तथा अन्य पर्यटन केन्द्रों तक जाने के लिये विमान सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता । | तदैव |
| 89 | 67. | श्रीमती पार्वती कृष्णन : | पर्वतीय स्थानों तथा पर्यटन केन्द्रों में औद्योगिक कर्मचारियों तथा कार्यालय कर्मचारियों के लिये रियायती दरों पर पर्यटक आवास स्थानों की सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता । | तदैव |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 68. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | नागर विमानन महानिदेशालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भविष्य-निधि लेखा उचित तथा व्यवस्थित ढंग से रखने और कर्मचारियों के अनिवार्य जमा योजना लेखे ठीक से रखने में असफलता तथा भारत सरकार के अन्य कार्यालयों की भांति उन्हें उनके लेखे की पर्चियां देने की आवश्यकता। | राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें। |
| 92 | 70. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | तमिलनाडु में कोडइकनाल, ऊटाकमण्ड तथा अन्य पर्वतीय स्थलों पर पर्यटन सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता। | तदैव |
| 92 | 71. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | पर्यटक-गाइडों को बेहतर वेतन तथा सेवा-शर्तें प्रदान करने की आवश्यकता। | तदैव |
| 92 | 72. | **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** | डाक बगलों तथा पर्यटक बगलों की बेहतर देखरेख तथा रख-रखाव के लिये हाउसकीपर नियुक्त करने की आवश्यकता। | तदैव |
| 92 | 48. | **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** | कालिकट हवाई अड्डे का निर्माण करने में विलम्ब। | तदैव |

**श्री डी० पी० जदेजा** (जामनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। विकास सम्बन्धी गति-विधियों में हुई प्रगति के लिये मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं। मैं पर्यटन विकास के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

कुछ दिन पहले मन्त्री महोदय ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में देश में निजी चालकों को दिये जा रहे रुट के बारे में एक लम्बी सूची दी थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह देश की नागर विमानन सम्बन्धी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि जहां भी वह नागर विमानन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते वहां निजी चालकों की व्यवस्था कर दी जाये। इसके लिये सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये तथा इन चालकों को आधुनिक विमान आयात करने की अनुमति दी जाये।

इसके अतिरिक्त हमारे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ढोने की व्यवस्था की मांग भी बढ़ रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह निजी चालकों को मद्रास, कोचीन तथा गुजरात में अनेक स्थानों से बम्बई और कलकत्ता जैसे स्थानों तक माल ढोने की अनुमति भी दे क्योंकि समुद्री उत्पादों के निर्यात की मांग बढ़ रही है। इन परिवहन सुविधाओं के अभाव में हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खो रहे है। मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे सुझाव पर गम्भीरता से विचार करेगी और निजी विमान चालकों को विमान सेवाएं चलाने की अनुमति देगी।

सुरक्षा की दृष्टि से एयर इंडिया आज विश्व में सबसे अच्छी विमान सेवा मानी जाती है। भारतीय होने के नाते हमें इस बात पर गर्व है। इसे न केवल सुरक्षित ही बल्कि ऐसी विमान सेवा माना जाता है जिसकी विश्व में हवा और धरती पर सबसे अच्छी सेवा है। हमें इसके इंजीनियरों और विमान चालकों पर गर्व है।

एयर इंडिया बम्बई और दिल्ली से कुछ मार्गों पर मध्यपूर्व के लिये विमान सेवा चलाती है किन्तु यह उड़ाने अधिक नहीं हैं। इन उड़ानों में इतना माल ढोया जाता है कि जगह बिल्कुल नही बचती। मध्य-पूर्व की उड़ानों में माल ले जाने की मांग बराबर बढ़ रही है अतः वर्तमान उड़ानों से ही पूरी मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही ह। यहां पर भी एयर इंडिया निजी चालकों को दिल्ली और बम्बई से मध्यपूर्व के बीच चलाने की अनुमति दे सकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो माल दूसरे अन्तराष्ट्रीय उड़ानों से भेजा जाता है जिसके परिणामस्वरुप हमें विदेशी मुद्रा का व्यय करना पड़ता है। ऐसा करके हम अपने देश की सेवा करेंगे क्योंकि इस प्रकार हम विदेशी मुद्रा की बचत कर सकेंगे।

भारतीय पर्यटन विकास निगम ने देश में एक नई प्रवृत्ति को जन्म दिया है। कुछ वर्ष पहले हमारे यहां होटलों में एक बोर्ड लगाया जाता था जिस पर लिखा रहता था कि इस होटल का प्रबन्ध एक ऐसी कम्पनी से किया जाता है जो यू०के०अथवा यू०एस०ए० के साथ सम्बद्ध है किन्तु आज जो यात्री भारत आते है वह इस प्रकार का कोई बोर्ड नहीं देखना चाहते। वह भारतीय पर्यटन विकास निगम का बोर्ड देखना चाहते हैं और आकर पूछते है कि क्या वह होटल इस निगम का है। इस निगम के होटलों के माध्यम से विदेशी यात्रियों को पता चलता है कि भारतीय साज सज्जा क्या है, भारतीय शास्त्रीय गायन क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है और भारतीय संस्कृति और भारतीय आतिथ्य सत्कार कैसा होता है। इन सबके लिये इस निगम की प्रशंसा की जानी चाहिये। किन्तु एक बात है कि इस निगम को उस पर अपने कार्य केन्द्रित नहीं करना चाहिये जिसका विकास हो चुका है। अगर निगम एक नया पर्यटक केन्द्र विकसित करता है तो चाहे निगम को घाटा ही रहे फिर भी यह एक वास्तविक कार्य होगा।

भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने बहुत बड़ी मात्रा में स्पेनी साहित्य का प्रकाशन किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह साहित्य केवल स्पेन का ही है और क्या लतीनी अमरीका के 24-स्पेनी भाषाई देशों की इस सम्बन्ध में उपेक्षा की गई है। इन 24 लतीनी अमरीकी देशों में से हमारे यहां केवल ए[illegible] प्रतिशत पर्यटक आते है। यह बात नही है कि पर्यटक भारत आना नहीं चाहते बल्कि हमने इसके लिये प्रयास ही नहीं किये हैं।

भरतपुर में परिस्थिति विज्ञान की कर्मशाला है। इसने यह सिफारिश की थी कि इस देश में वन्य जीवन पर्यटन का विकास किया जाये। क्या सरकार इस प्रकार के पर्यटन का विकास करना चाहती है ?

युगोस्लाविया में हुई एक यात्रा संगोष्ठी में सामूहिक पर्यटन के बुरे प्रभावों के बारे में चर्चा की गई थी। और भारत पर्यटन विकास के प्रयास कर रहा है। क्या इसका कोई बुरा प्रभाव हो सकता है। भारत सरकार की इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

[श्री डी० पी० जदेजा]

सरकार को गुजरात में पर्यटन विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। वहां केवल हवाई अड्डा बन्द होने से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन एकदम अवरुद्ध हो गया है। अतः सरकार की गुजरात में पर्यटन के विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंक गुजरात में आज राष्ट्रपति शासन लागू है।

**श्री आर० वी० स्वामीनाथन** (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, भारत में पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं माना जाता है, परन्तु विश्व के अनेक देश इसे महत्वपूर्ण उद्योग मानते हैं, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं जिन्हें अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है।

हाल ही में मुझे विश्व का दौरा करने का मौका मिला। मैंने यूरोप, अमरीका के अनेक देशों तथा बहुत से दूसरे स्थानों का भ्रमण किया। मैं विश्व के रमणीक पर्यटक केन्द्र लास वेगास गया। यहां पर वर्षा कम होती है। इस स्थान में चट्टानें हैं। पानी लाने के लिए लगभग 100 मील तक जाना पड़ता है। परन्तु विदेशी मुद्रा कमाने के लिए इसे एक रमणीक पर्यटक केन्द्र बनाया गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब लास वेग स जैसा स्थान पर्यटक केन्द्र बनाया जा सकता है, तब भारत में प्राकृतिक दृष्टि से सुन्दर स्थानों को पर्यटक केन्द्र क्यों नहीं बनाया जा सकता है?

मैं पश्चिमी देशों के पर्यटक अधिकारियों से मिला। टोरांटो (कनाडा) में दक्षिण भारत की एक महिला भारतीय पर्यटक केन्द्र की प्रभारी अधिकारी है। मियामी (अमरीका) में दक्षिण भारत के एक व्यक्ति पर्यटन प्रभारी अधिकारी हैं। मैंने उनसे कहा कि आप विदेशियों को मदुरै, त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी आने के लिए सुझाव क्यों नहीं देते हैं? तो उन्होंने इसके लिए इंडिया एयर लाइंस कारपोरेशन को दोषी ठहराया। क्योंकि जब वे दक्षिण भारत में जाने का विचार करते हैं, तो उनके ध्यान में मद्रास और महाबलीपुरम ही रहता है। मद्रास के बाद पर्यटक मदुरै और उसके बाद त्रिवेन्द्रम जाना चाहते हैं। वे मीनाक्षी मन्दिर जाने को भी उत्सुक रहते हैं। वहां से वे कोवलम जाना चाहते हैं। पहले हवाई सेवा मद्रास से मदुरै और त्रिवेन्द्रम से बंगलौर तक थी। यह सेवा बन्द हो गयी है। मुझे इसके कारणों की जानकारी नहीं है। अब मदुरै और त्रिवेन्द्रम के बीच हवाई सेवा नहीं है। इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की नयी समय सारणी के सम्बन्ध मे मंत्री महोदय को इस क्षेत्र के सदस्यों को विश्वास में लेना चाहिए। उनसे यह परामर्श करना चाहिए कि क्या उनके लिए समय सारणी उपयुक्त है या नहीं। उन्हें न केवल पर्यटकों की, अपितु स्थानीय लोगों की सुविधा पर भी ध्यान देना चाहिए।

मद्रास से दिल्ली की विमान यात्रा के लिए मैं 625 रुपये देता हूं। यदि अच्छा भोजन देने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, तो यह किराया 10 रुपये और बढा दिया जाये। हम 635 रुपये भी दे सकते हैं। मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

विमान पत्तनों के आधुनिकीकरण करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह परमावश्यक है। मदुरै हवाई अड्डे पर यातायात बढ़ रहा है। और इसलिए मदुरै हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। मदुरै के आस पास थेकेडी, कन्याकुमारी, रामेश्वर आदि जैसे अनेक स्थान हैं जिन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मदुरै में रात में विमान उतरने की सुविधायें भी जुटायी जानी चाहिए। मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है।

मद्रास एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वहां पर इस समय जो स्थान है, वह यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं है। हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार किया जाना चाहिए। वहां पर समुचित सुविधायें भी जुटायी जानी चाहिए।

इ: ब्दों के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

**Shri Mohammad Ismail** (Barrackpore): Mr. Speaker, I would like to point out a few things in regard to the demands of the Ministry. There was a lockout in the I.A.C. in 1974 and it was lifted subsequently. Since then it has been functioning normally. But there has not been any change in the attitude of the authorities. There is no scope for collective bargainings and no consultations have been held with the recognised unions. The Minister should look into these things.

Secondly, Calcutta is an international airport but foreign airlines do not touch this airport. We have got a grand hotel at the airport and also other facilities. Still foreign planes do not land there. The Minister should state the reasons therefor.

Thirdly in the private sector hotels there is gross mismanagement. For instance in the Ritz Hotel of Calcutta there have been grave financial irregularities resulting in lockout. This has caused great hardship to its employees. The matter should be looked into.

I support this thing that there should be hotels at all airports for the convenience of the tourists. But these hotels should not be expensive.

The condition of offices of small airports is not good. They are not being maintained properly. The Minister should pay attention to it and see that things are improved.

So far as tourism is concerned, there are many historical places in the country which are of great attraction for the tourists. But we do not have proper publicity abroad. More competent persons should be selected for this purpose who can provide all information to the tourists.

[ **उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair ]

Inland tourism should also be encouraged so that people can go round the country. Concession in railway fare etc. should be given for the purpose.

**श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तनिक सन्देह नहीं है कि हमारी पर्यटन में गहरी रुचि है । सरकार ने इस देश में पर्यटन के विकास को प्राथमिकता प्रदान की है । परन्तु इस सबके बावजूद हमारे देश में पर्यटन का उस हद तक विकास नहीं हुआ है जिस हद तक होना चाहिए । इस सम्बन्ध में हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है । इस पहलू पर हमें ध्यान देना होगा यद्यपि इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया गया है फिर भी बहुत कुछ करना शेष है, क्योंकि हमें अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण पर्यटन से करना होगा । हमें अधिक विदेशी मुद्रा कमानी होगी ।

हमें पर्यटन का विकास करना होगा, क्योंकि यह एक उद्योग है । इससे आमदनी होती है । लोग इस देश में आते हैं । हम चाहते हैं कि लोग हमारे देश में आयें और हमारे देश को देखें कि हम किस तरह से विकास कर रहे हैं ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम अच्छा कार्य कर रहा है । हमने पांच स्टार और तीन स्टार होटल बनाए हैं । इन स्थानों पर पूछताछ कार्यालय होना चाहिए । रात्रि में ठहरने और सामान रखने की सुविधा होनी चाहिए ।

हवाई अड्डे पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि काउंटर पर बैरा व्यक्ति यह बता सके कि अमुक होटल या स्थान पर कमरा उपलब्ध है । लोदी होटल में एक जलपान

[श्री नरेन्द्र कुमार सांघी]

गृह है जिसमें बहुत ही उचित मूल्य पर भारतीय खाना मिलता है । अतः हमारे पांच स्टार होटलों में भी ऐसे ही जलपान गृह होने चाहिए जिनमें उचित मूल्य पर भारतीय खाना मिले बजाय इसके कि वहां बहुत महंगे भोजन कक्ष हों ।

एयर इंडिया का कार्य यद्यपि निस्संदेह अच्छा है किन्तु गत वर्ष हमारे यहां बाहर से जो पक्षी आए थे और उन्हें एयर इंडिया द्वारा ले जाया गया था उनमें से अधिकांश मर गये थे । इससे एक बुरी धारणा एयर इंडिया के प्रति बनी और जब एक बार किसी के प्रति धारणा बिगड़ जाती है तो इसे सुधारने के लिए वर्षों लग जाते हैं । एक बार जब मैं पेरिस में था तो मैंने भारत आने के लिए एयर इण्डिया के कार्यालय में जाकर एक टिकट मांगा । वे मुझे यह भी न बता सके कि टिकट कब मिल सकता है । मेरे विचार से प्रत्येक तीन वर्ष के बाद इनके कर्मचारी बदले जाने चाहिए जिस निहित स्वार्थ न बनने पायें । मंत्रालय यह बार बार कहता है भारतीय वायु सेवाओं का किराया विश्व के अन्य देशों की सेवाओं के किराये से कम है । इण्डियन एयर लाइन्स में टिकट जारी करने पर सम्पर्क के लिए टेलीफोन नम्बर लेते हैं किन्तु किसी सेवा के रद्द होने अथवा उसमें देरी होने पर कोई सम्पर्क नहीं किया जाता है । इस काम के लिये कुछ विशेष कर्मचारी लगाये जाने चाहिए । विद्यार्थियों को केवल अपने घर जाने के लिए ही वायु सेवा के किराये में रियायत दी जाती है । शैक्षणिक दौरों के लिये भी यह रियायत दी जानी चाहिये ।

इण्डियन एयर लाइन्स ने भारत दर्शन के लिए 14 दिन का 200 डालर का तथा विदेशीयों के लिये 21 दिन का 275 डालर का टिकट आरम्भ किया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है । ऐसी योजनाएं अन्य देशों में भी आरम्भ की गई हैं । यह अच्छी योजना है इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी ।

राजस्थान के विकास के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि राजस्थान में पर्यटन के महत्व के बहुत से स्थान हैं । इनका विकास किया जाना चाहिए । "जयपुर हाईनेस लाज" कभी कभी खुलता है । इसे पट्टे पर लिया जाना चाहिये ताकि यह सारे वर्ष भर खुला रहे और यात्री इसका लाभ उठा सकें । अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार से मद्रास तक नियमित बोइंग सेवा होनी चाहिए ।

देश के फ्लाईंग क्लबों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है । इनकी उचित देख-रेख करने के लिए तथा इन्हे सम्यक् रूप से चलाने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए ताकि धन का अपव्यय न हो और हमारे बच्चो को वहां ठीक प्रशिक्षण मिले इन शब्दों के साथ मैं पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

**श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** (मंजेरी) : महोदय, कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण आरम्भ करने के लिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है । पिछले 10 वर्षों से आश्वासन पर आश्वासन दिये जा रहे हैं लेकिन उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है । कालीकट में हवाई अड्डा बनाने के लिए केरल वासियों की बहुत पुरानी मांग है और उनकी यह अभिलाषा बहुत दिन से चली आ रही है लेकिन इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की लगातार उपेक्षा से वे बहुत हतोत्साहित हुए हैं । राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 86.5076 हेक्टेयर भूमि पहले से ही अर्जित कर रखी है और इस परियोजना के प्रवेश मार्ग बनाने पर 15 लाख रुपए खर्च कर दिये हैं । लेकिन खेद है कि इस विषय पर नागर विमानन मंत्रालय

और योजना आयोग के बीच बहुत विचार विमर्श चल रहा है । मंत्री महोदय को कालीकट हवाई अड्डे को चालू करने से सरकार के निर्णय की शीघ्र घोषणा करनी चहिए । कोचीन का वर्तमान हवाई अड्डा नौ सेना का है और हम उसे इस्तमाल नहीं कर सकते । कहा गया है कि प्रस्ताव यह है कि इसी हवाई अड्डे का विस्तार कर बोइंग जहाजो के उतरने के लिये बनाया जाये किन्तु यह अस्थायी उपाय है । स्थायी उपाय के रूप में सरकार को एक नया हवाई अड्डा बनाना चाहिये ।

यात्रियों को उनको समान देने में, विशेषकर मंगलौर हवाई अड्डे पर, बहुत विलम्ब होता है । कई बार यात्रियो को उनकी गाड़ियों से हाथ धोना पड़ता है । इसकी जांच की जानी चाहिए और इसका समाधान निकाला जाना चाहिये ।

केरल पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । केन्द्रीय सरकार को यहां के समुद्र तटों के विकास की योजनाओं को स्वीकृत करना चाहिये । कन्नूर जिले के रमणीक स्थानों तथा कापर जैसे स्थानों का विकास किया जाना चाहिये । यहां पर्यटन का विकास कर पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है ।

केरल के बा में भारतीय दूतावासो में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है । यदि केरल की हरियाली, सुन्दर समुद्र तटों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानो को फिल्मों में दिखाया जाय तो और उन्हें विश्वभर में दिखाया जाय तो इससे अनेको पर्यटक आकर्षित हो सकते हैं । केरल में पर्यटन की बड़ी गुंजाइश है इसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि अच्छा प्रचार करे और पर्यटकों को सुविधाएं देने के लिये राज्य सरकार की मदद करे । मुझे आशा है कि केरल में पर्यटको को अधिकाधिक आकर्षित करने के लिए मंत्री महोदय अवश्य कुछ कार्यवाही करेंगे ।

**Shri Md. Jamilurrahman** (Kishanganj) : I am grateful to you for the opportunity given to me. There are 84 aerodromes in the country. This is too little a number keeping in view the vast area of the country. Government should, therefore, consider constructing more aerodromes in the country.

The budget provision for the Civil Aviation Department is not sufficient. An amount of Rs. 77 crores only has been allocated. This amount is not adequate to meet the increasing demands.

Purnea is a small city in Bihar. It has its special importance. A military aerodrome has been constructed in Chunapur near Purnea at a cost of Rs. 16 crores. It being in a border area, has great strategic importance. After the liberation of Bangladesh and improvement in the relations with China. This has been abandoned by the military. The barbed wire fence around the aerodrome has been removed and only a skeletan staff is posted there. This is a good airport in the east. No new aerodrome is to be constructed there. Delhi-Calcutta flight No. 409 can very well be diverted *via* Purnea. This will prove to be very beneficial service.

It is a matter of regret that the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not have adequate representation in the services in Indian Air Lines. The fact that these castes should have due representation in the services has been stressed time and again by the national leadership. To this end a resolution was passed in the Bihar State Minority Convention held on 24th and 25th April at Patna in which it was impressed upon the national leadership that the Muslim Community is the largest minority and it should be given adequate representation in the body-politic of the country. I hope the Hon'ble Minister would do justice to them.

The Board of Directors should comprise public representation who may think the welfare of the public.

So far as the domestic services are concerned there should be improvement in their catering and the meals served in them to the satisfaction of the passengers.

[Shri Md. Jamilurrahman]

In the appointment of airhostesses, girls from eastern region should be considered for these posts because they are more healthy and strong. The present hostesses are constitutionally very weak.

In order to facilitate tourism there should be less strictness in custom checking. It should be clearly prescribed as to how much goods a foreign tourist can bring in the country and take outside.

Our relations with middle East Countries are improving. It is, therefore, necessary to have good Air India Services to those countries as also the frequencies thereof should be increased.

Improvement in the inland services is necessary for promoting national integration.

Tourism literature should be made more attractive and proper arrangement should be made for its distribution. Tourist offices should also be opened in foreign countries.

Good guides should be appointed for internal services who have good knowledge of different parts of the country.

In the end I repeat my request for including 'Purnea' in the air map of India which is most necessary for the development of the region. With these words, I support the demands.

**श्री बनमाली पटनायक** (पुरी) : मंत्रालय की रिपोर्ट बहुत उत्साहजनक है परन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है । रिपोर्ट में बताया गया है कि समुद्र-तटों, पहाड़ी विश्रामस्थलों तथा समद्रतटीय मार्गों का विकास किया जाना चाहिये परन्तु हमारे प्रदेश में इस दिशा में कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है । पुरी, कोणार्क और भुवनश्वर को पर्यटन के तीन स्वर्गीय स्थान माना जाता है परन्तु भारतीय पर्यटन विकास निगम ने इनमें से किसी स्थान पर भी कोई होटल स्थापित नहीं किया है । कोणार्क के मंदिर में बाहर से असंख्य पर्यटक आते हैं । खंडगिरी की शैल गुफाएं, धौलगिरी में अशोक के संदेश, आदि देखने के लिए विदेशी विशेष कर बौद्ध यात्री आते हैं परन्तु वहां सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं । कोणार्क से पुरी तक आठ वर्ष पहले एक मरीन ड्राइव का निर्माण आरम्भ हुआ था परन्तु उसका केवल पांच मील टुकड़ा ही पूरा हुआ है । यदि इसका निर्माण पूरा हो जाये तो कोणार्क से पुरी तक की यात्रा एक घंटे में तय हो सकती है । पुरी का मंदिर कोणार्क मंदिर से भी अधिक अच्छा है और उस क्षेत्र में विकास की बहुत सम्भावित क्षमता है । यह समुद्र तट भी जोकि कोवलम तट से भी अधिक आकर्षक है, विकास किया जाना चाहिये ।

सिमली पल स्थित राष्ट्रीय अभयारण्य के विकास के लिये कदम उठाए जाने चाहिए । इसी प्रकार चिल्का झील में चिड़ियों का अभयारण्य हैं जहां कि शीत ऋतु में हिमालय से असंख्य पक्षी आकर बस जाते हैं । यदि इसका विकास कर दिया जाए, तो वहां पर भारी संख्या में पर्यटक आकर्षित होंगे ।

पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाओं से पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर के मंदिरों के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है । टाटा समूह मंगलौर में एक पंच स्टार होटल खोल रहा है और यदि भुवनेश्वर में बोइंग विमान सेवा हो तो वहां पर पांच स्टार होटल खोलने को तैयार है । यदि भारतीय पर्यटन विकास निगम के पास धन की व्यवस्था नहीं है, तो निजी व्यक्तियों को होटल चलाने की अनुमति दे दी जानी चाहिये और भुवनेश्वर के लिए एक बोइंग विमान सेवा चलायी जानी चाहिए ताकि वहा पर्याटक जा सकें ।

परादीप में एक चक्रवात चेतावनी रडार स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव डा० कर्नसिंह के मंत्रित्व काल में विचाराधीन था परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जहां तक पूर्वी प्रदेशों का सम्बन्ध है वह हमेशा चक्रवात से प्रभावित रहते हैं और विशाखापतनम से लकर मिदनापुर तक परादीप ही ऐसा स्थान है जो इसके लिए उपयुक्त है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस ओर शीघ्र ध्यान दें।

कलकत्ता और भुवनेश्वर के बीच एक विमान सेवा बरास्ता राऊरकेला होनी चाहिये। इससे जनता को भी लाभ होगा और सरकार को यात्रा तथा दैनिक भत्ते में भी बचत होगी क्योंकि भुवनेश्वर और राऊरकेला आनेवाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है। मंत्री महोदय इस पर विचार करें जो भी संभव हो कार्यवाही करें।

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :** यह बात सभी ने स्वीकार की है कि पर्यटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि तथा उद्योग है और सभी देशों विशेषकर विकासशील देशों को इसमें अधिकाधिक रुचि लेनी चाहिये क्योंकि सके चार मुख्य लाभ हैं। पहला तो यह है कि पर्यटन पर पुंजी लगाना विदेशी मुद्रा के अर्जन का सबसे उत्तम तरीका है जब कि अन्य उत्पादन उद्योगों में पुंजी निवेश से ऐसा सम्भव नहीं है। दूसरे पर्यटन उद्योग में न्यूनतम पुंजी निवेश पर अधिकतम प्रतिफल मिलता है और राष्ट्रीय संसाधनों का कोई क्षय नहीं होता। सके अतिरिक्त अन्य निर्यात प्रधान उद्योगों में किसी वस्तु का उत्पादन करने में कच्चा माल तथा बिजली खपता है जबकि पर्यटकों को हम वे वस्तुएं दिखाते हैं जो या तो प्रकृति ने हमें दी है या हमारे यहाँ के कुशल व्यक्तियों ने तैयार की है। तीसरे, प टन उद्योग में रोजगार की विशेषकर शिक्षीत बेरोजगारों को रोजगार अवसरों की बहुत गुंजाइश है। चौथे इस उद्योग का हमारी अर्थ व्यवस्था पर कम से कम 3.2 और अधिकतम 3.6 गुणित प्रभाव पड़ने अनुमान लगाया गया है अर्थात् इससे हमारे देश के नागरिकों को इतने ही आकार के अन्य उद्योगों की अपेक्षा कई गुणा अधिक व्यापारिक तथा व्यावसायिक अवसर उपलब्ध ो जाते हैं। इस प्रकार यह उद्योग विदेशी मुद्रा की कमी को र करता है, और हमारी विदेशी भुगतान असंतुलनीय की समस्या को हल करता है।

हमारे देश में पर्यटन का विकास करने की काफी सम्भावनाएं मौजूद है जिन्हें प टन विभाग ने अनुभव कर अ क अध्ययन किये हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले और अपने आधार ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए शीघ्र उपाय निकाले जा सके।

हमारे यहाँ अनेक ऐसी कमियां हैं जिन्ह तुरन्त दूर किया जाना चाहिए और प्रत्येक वर्ष में पर्यटन के विकास के लिए हमें अप साम सुनिश्चित लक्ष्य रखने होंगे। इस के अतिरिक्त पर्यटन विभाग ने अपने सामने कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त भी रखे हैं जिन्हें वह आधार मानकर भारत में वि शी पर्यटकों अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित करने की अपनी नीति निर्धारित कर सकता है। यह कहा गया कि पर्यटन विभाग के पास पर्यटन संबंधी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। यह सच है कि इस संबध में हमारी कोई औपचारिक नीति नहीं है परन्तु तो भी, हम कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर चलते आ रहे हैं और उन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं जो योजना आयोग ने तैयार की है।

पिछले 20-25 वर्षों के दौरान हमारे श में पर्यटकों की संख्या 20 हजार से बढ़कर 1975 में 4.65 लाख तक पहुंच गई है और पिछले वर्ष यह वृद्धि 10 प्रतिशत की

[श्री सुरेन्द्र पाल सिंह]

रही है यद्यपि यह कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं परन्तु हमें इस पर विश्व भर में पर्यटन विकास के आंकड़ों को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए। विश्व व्यापी स्तर पर कीमतो में वृद्धि और आर्थिक मंदी के कारण विश्वभर में पर्यटको की संख्या केवल 2 प्रतिशत बढ़ी है जबकि हमारे यहाँ यह ृद्धि 10 प्रतिशत की है। भारत में पर्यटकों का औसत आवास 25 दिन या 25 रात का है जबकि विश्व भर का प्रति पर्यटक औसत 3 से 4 दिन का है। अतः हम इस प्रकार के गन्तव्य-स्थान पर्यटन को प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि यह अनेकादि-स्थान पर्यटन से अधिक लाभप्रद है।

जहां तक विदेशी मुद्रा की आमदनी का संबंध है हमने 1975 में 100 करोड़ पये से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की है और पिछले वर्ष उसमें 11.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 1969 से 1975 के दौरान पर्यटन से होनेवाली आमदनी के विश्व-व्यापी आंकड़ो में केवल 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि हमा े स आमदनी में यह वृद्धि दर 21 प्रतिशत की थी। अतः इस दिशा में हमारी सफलता ऐसी है जिस पर हम वास्तव में संतोष अनुभव कर सकते है और गर्व कर सकते है।

यह आलोचना की गई कि अन्तर्राष्ट्रीय यातायात और पर्यटन में हमारा हिस्सा बहुत थोड़ा है और युगोस्लाविया, स्पेन, मेक्सिको आद देशो के साथ पर्यटन के क्षेत्र में हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। परन्तु पर्यटन की दिशा में जो कुछ सफलता हमने प्राप्त की है उस पर हमें अपनी सीमित क्षमताओं को ध्यान में रखकर विचार करना होगा। सबसे पहली सीमा तो धन की कमी है। इसके अतिरिक्त, हमारे ेश के सामने पर्यटन से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं। हमारे आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्य ऐसे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए हमें अन्य क्षेत्रों पर अधिक धन व्यय करना पड़ता है। पर्यटन से जो विदेशी मुद्रा की आय हुई उसका हमने केवल 5 प्रतिशत पर्यटन के विकास पर लगाया। लागत और उससे मिलने वाले लाभ के बा े में एक अध्ययन किया गया था जिससे पता चला कि हमारे पड़ौसी दश पर्यटन के संवर्धन पर 30 से 40 प्रतिशत तक खर्च करते हैं जबकी हमारे देश में इस पर केवल 5 प्रतिशत खर्च किया जाता है। इस प्रकार हमारी सफलता वास्तव में प्रशंसनीय है।

हमारी दूसरी सीमा यह है कि हमारा देश ऐसे देशो से ूर है जहां से पर्यटकों क आगमन अधिक हो सकता है। सबसे अधिक संख्या में पर्यटक विकसित तथा समृद्ध देशो से आते है और विकसित देशो में ही जाते है। विकासशील देशों को तो केवल 6.8 प्रतिशत प टक जाते है जिसमें दक्षिण एशिया का अंश केवल 10 प्रतिशत और भारत का 34.6 प्रतिशत है। अतः हमें बहुत ही सीमित क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है लेकिन इसके बावजूद भी इन परिस्थितियों में पर्यटन में 10 प्रतिशत की हमारी विकास दर काफी उत्साह जनक है।

यह भी आलोचना की गई कि पर्यटन विभाग के पास भविष्य के लिए कोई लक्ष्य नहीं है। सच यह है कि हमने बिल्कुल वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किये है और हम इस बात की तैयारी कर र े है कि प्रतिवर्ष हमारे यहां लगभग 8 लाख पर्यटक आयें और यह लक्ष्य पांचवीं योजना के अन्त तक प्राप्त करना है। मंत्रालय ने अनेक कदम उठाये है ताकि पर्यटन विकास की यह दर जारी रहे और इतनी संख्या में पर्यटको के आगमन के लिए देश में जो भी आधार ंचे संबंधी आवश्यकतायें जों वे सभी कुछ ही वर्षों में पूरी कर ली जाएं। भारतीय पर्यटन विकास निगम की होटल और मोटल बनाने कि योजनाएं है, जिनके पूरा

हो जाने पर 2500 कमरे उपलब्ध होंगे। शेष कमी पर्यटन विभाग द्वारा समूचे देश में बनाये जा रहे यात्रा गृहों और यूथ होस्टलों से पूरी हो जायेगी। श्री साठे जानना चाहते है कि क्या सभी पांच स्टार वाले होटल होंगे। हमारी नीति अधिक से अधिक दो और तीन स्टार वाले होटल बनाने की है और भारत पर्यटन विकास निगम मध्यम प्राय: वर्ग की आवश्यकता पूरी करने के लिये आवास की व्यवस्था करने पर ध्यान देगा। जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का संबंध है यद्यपि हम चाहेंगे कि वह सस्ते आवास का निर्माण करे, फिर भी इस मामले में पूरी छूट है।

जहां तक श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा उठाये गये ऋणों का सम्बन्ध है, हम होटल बनाने के लिये गैरसरकारी उद्यमियों को ऋण देते हैं। देश में बहुत अधिक होटल आवास की आवश्यकता है जिसे सरकार स्वयं अकेले पूरा नहीं कर सकती है इसलिए हम गैर-सरकारी होटल मालिकों को ऋण और प्रोत्साहन देते हैं।

पर्यटन के विकास में एक अन्य बाधा विमान यातायात की है। भविष्य में एयर इंडिया अधिक जम्बो बिमान खरीदेगा और वह अपने विमानों की संख्या बढ़ा रहा है। इंडियन एयरलाइन्स ने एयर बस खरिदने का निर्णय किया है और मैं समझता हूं कि इस वर्ष तक तीन तो इस वर्षके अन्त तक आ जायेंगी इनकी और संख्या उत्तरोत्तर बढती जायेगी। क्षेत्रीय तथा पूरक सेवाओं के लिये एक नये किस्म के विमान के चयन के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे यह समस्या हल हो जायेगी।

प्रचार के क्षेत्र में हमने विदेशों के अपने कार्यालयों के माध्यम से एक सुसमन्वित प्रचार एव प्रवर्तन कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। हाल में हमने अपने अधिकारियों यात्रा व्यापार प्रतिनिधियों का एक दल भारत में दिलचस्पी पैदा करनेहेतु लोगों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये आस्ट्रेलिया, जापान और मध्य पूर्व भेजा था।

यह ठीक है कि हमारे यहां अधिक पर्यटक पश्चिमी देशों से आते हैं परन्तु हम अन्य देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये भी कार्यवाही कर रहे हैं। उदाहरण के लिये हमने मध्यपूर्व में कुवैत में एक कार्यालय खोला है। यदि हमारा यह अनुभव सफल रहा और अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं, तो हम और कार्यालय खोलेंगे, इरान में भी एक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है, हम अपने पड़ौसी दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्यपूर्व एशिया की और विशेष ध्यान देना चाहते हैं। हम प्रयास कर रहे है कि बौद्ध पर्यटक भारत आये जापान, श्रीलंका, थाईलैंड आदि से बौद्ध पर्यटक भारत आ रहे हैं और प्रति वर्ष उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ओसाका में और बाद में हंग कांग में भी कार्यालय खोलने का प्रस्ताब है।

**श्रीमती पार्वती कृष्णन** (कोयम्बटूर) : अफ्रीकी देशों के बारे में क्या स्थिति है? आपका वहां पर कोई कार्यालय नहीं है।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** अभी तक हमने अफ्रीका की ओर ध्यान नहीं दिया है। परन्तु अब हम सर्वेक्षण कर रहे हैं देखेंगे कि हम वहां कहां तक कार्यालय खोल सकते हैं। विशेष रूप से हाल में स्वतंत्र हुए अफ्रीकी देशों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

यह कहा गया कि हमारी जानकारी और प्रचार सामग्री ठीक स्तर की नही है। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं। हम विभिन्न भाषाओं में, जिनमें अरबी और पारसी भी शामिल है, 50 लाख यूनिट पर्यटक साहित्य तैयार कर रहेहैं। हमारे प्रकाशनों की विश्व में सराहना की गई है और उन्हें अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये एयर इंडिया ने

[श्री सुरेन्द्र पाल सिंह]

अमरीका, आस्ट्रेलिया, खाड़ी, यूरोप और जपान से रियायती किराये की घोषणा की है। इंडियन एयरलाइन्स ने "डिस्कवर इंडिया" और 21 दिवस किराया आरंभ किये हैं।

सीमा शुल्क की औपचारिकताओं के कारण कठिनाइयों का उल्लेख किया गया। कुछ विदेशी पर्यटकों से इस बारे में तथा उन्हें परेशानी के बारे में शिकायतें मिली थी। हमने सम्बन्द्ध अधिकारियों से इस बारे में विचार विनिमय किया और मुझें यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमने कुछ सीमा तक नियमों तथा विनियमों को उदार बना दिया है और पर्यटकों को सीमा शुल्क काउंटर पर कम परेशानी होती है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन ने विदेशों में स्थित कार्यालयों में प्राधिकारियों के भेजे जाने के बारे में कुछ कहा। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनका चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है तथा प्रधान कार्यालय में तीन वर्ष तक काम करने के बाद ही किसी अधिकारी को विदेश भेजा जाता है और भेजे जाने में पहले पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाता है। इस बारे में एक निश्चित नीति है। चयन में अधिकतम सावधानी से काम लिया जाता है और मंत्री महोदय तक की स्वीकृति ली जाती है। श्रीमती कृष्णन ने पर्यटकों के आंकड़ों में भी अविश्वास प्रकट किया। वास्तविकता यह है कि 1964 से 1974 तक प्रति वर्ष गत वर्ष की तुलना में पर्याटकों की संख्या में 11 प्रतिशत की वृद्धि होती रही है। 1975 में वृद्धि की दर 10 प्रतिशत रही जबकि उसके 15 प्रतिशत होने की आशा थी।

श्री कोया ने कोवालम परियोजना की प्रशंसा करते हुए केरल में ऐसे अन्य स्थानों के विकास का अनुरोध किया। हमारे देश में ऐसे अनेक स्थान है। परन्तु वित्तीय कठिनाईओं के कारण सभी स्थानों का विकास करना संभव नहीं है। फिर भी हमारे प्रयास जारी रहेंगे।

पर्यटन के विकास के लिये आवश्यक है कि वापस जाने वाले पर्यटक अपने देश अपने साथ यहां के सुख स्वप्न लेकर जायें और यह सरकारी तंत्र पर ही नहीं बल्कि जनता के सहयोग पर भी बहुत निर्भर करता हैं। इस में जन साधारण को, दुकानदार, टैक्सी ड्रायवर आदि सभी को अपना सहयोग देना होगा। हमें विदेशियों के लिये देश में एक मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना चाहिये। यह हमारा कर्त्तव्य है कि दक्षिण एशिया पर्यटन वर्ष के आरम्भ में दिये गये प्रधान मंत्री के इस संदेश को, कि हमें प्रत्येक पर्यटक का मित्र और सम्मानित अतिथीक के रूप में स्वागत करना चाहिये और हमें हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहिये, देश के कोने-कोने में फैलायें।

**Shri Narendra Singh Bisht** (Almora): I congratulate the Ministry of Tourism and Civil Aviation for the all round progress made by it inspite of insufficient allocation of funds to it by the Government of India. I may hope that in future more money will be allocated to it so that it may provide more facilities to the tourist and progress of tourism in the country may well be compared with Switzerland and other countries. I request to point out that little money has been given to Uttar Pradesh for the development of tourism though there is good potential for it, if U.P. is allocated more funds, tourism in the state can be developed to a great extent. Since there are no cottage industries, no significant agricul-loped to a great extent. Since there are no cottage industries, no significant agricultural or commercial activities in the hill areas of U.P., the people of the region have only one source of earning their likelihood, i.e. joining the army. The economic problem of the region can be solved by developing tourism in the area. This region does in no way lag behind Kashmir and Switserland in service and natural beauty. If modern facilities of electricity, hotels, motels, transport, roads, tourist lodges etc. are provided, it would attract a very large number of tourists. Even at present tourists with adventurist spirit visit this region. This area is famous for its glaciers such as Pindari Glacier and Millum Glacier, the biggest in the world and located at a height of 12,000 ft.

After the chinese aggression the foreign tourists are not allowed to go upto inner border line which has caused set back to the tourist trade. I think that it is not going to serve any purpose now, this order may be resinded, with a view to develop hill resorts, the existing metre gauge railway line to Kothgodam and Ram Nagar should be converted into broad gauge. Then, railway lines should be laid down in this region has been done in the Simla region. Quarterly concession tickets for Kothgodam and Dehra Dun should be issued as is being done for Pathankot for tourists visiting Kashmir. The regular flight upto Pant Nagar, which was suspended some years back, should be resumed. Not only that, it a helicopter service is started for tourists visits the interior of the region, it will greatly boost the tourist traffic.

Pilgrims to Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Janmutri, Punayagiri, etc. form a sizable part of the tourist traffic in the state. But there are no adequate transport facilities for them. If sufficient lodging and boarding facilities are provided here, it will become easier for the pilgrims to visit these places. The management of shrines should be entrusted, to a Temple Committee, which may be formed on the lines of Tirupati Temple Committee. Similarly such Committee may be formed for managing the shrines at Mathura. Vrindaban, Ayodhya, Hardwar, Prayag, Varanasi, etc. in the plains. Steps should be taken to ease the congestion at Nainital. Mussorie etc. Hill stations may be developed in the interior also. In the end I will request the Government to pay attention to wild life, fisheries, front fishing, mountaineering, winter sports, bird shooting etc.

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kota): I have gone through the report of the ministry but I find not much change over the past four or five years and the progress achieved is not commensurate with the expenditure incurred.

Kota in Rajasthan is a tourist centre. Besides the places of tourist interest. There are number of factories there but there is no air service for Kota. A building costing Rs. 1 lakh is being constructed for the tourists. Earlier there was a flight of Jamair but after an accident this too was stopped. I want an assurance from the hon. Minister that Kota will be brought on the air map.

I have seen that there is black marketing in lining of tourist huts and tents in Kashmir. It is difficult hire a tent with a rental of Re. 1. There is also inadequacy of motels. There is black marketing in car tyres also, cartain facilities given to foreign tourists may also be extended to internal tourists. The benefit of 14 days' or 21 days' air fare should be given to Indians also.

I find from the report that the quota of scheduled castes and scheduled tribes is not being filled. Immediate attention may please be paid to it. Then, I fail to understand why the job of air hostesses has been reserved for girls only. Boys should also be given an opportunity to work on these posts. At present the return to Government from disposal of second hand used tyres of aeroplanes is very low while price of these tyres in the market is very high. Why don't you dispose them of through tenders. Similarly is the case with disposal of used blankets.

There is need for keeping a watch on the foreign tourists to check smuggling of gold and narcotics.

**श्री विश्वनारायण शास्त्री** (लखीमपुर) : हमारा एक बहुत बडा देश है। यहां पर कई ऐसे रमणीय स्थान है जिनका पर्यटन स्थलों के रूप में विकास किया जा सकता है। यहां पर मंदिर हैं, मंदिरों के ध्वसांवशेष हैं, जो शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के अधीन हैं, वन हैं, जो कृषि मंत्रालय के अधीन हैं, इनका विकास करने के लिये यह आवश्यक है कि इन से सम्बन्धित विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय होना चाहिये जिससे उनका ठीक तरह से विकास किया जा सके। इनका विकास न केवल वाणिज्यिक दृष्टि से परन्तु राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी आवश्यक है क्योंकि जहां इससे देश के एक भाग से लोगों को देश के दूसरे भागों के लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलेगा वहां विदेशों से आए पर्यटक भी इस देश की समस्याओं के अवगत हो सकेंगे।

[श्री शिवनारायण शास्त्री]

खेद है कि पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई कुछ पुस्तिकाओं और इश्तहारों में कुछ प्रदेशों के बारे में कुछ गलत तथ्य दिये गये हैं। इन से न केवल इस देश के परन्तु विदेशों से आए लोगों में गलत धारणा फैलती है। इन कमियों को दूर करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाये, जो इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन कर सके तथा प्रकाशन से पूर्व इस समस्त साहित्य की छानबीन कर सके।

पर्यटन के मामले में कलकत्ता से परे पांच पूर्वी राज्यों तथा दो संघ राज्यक्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। पर्यटन विभाग ने कई होटल, भोजनालय और यात्री वास-गृह खोले है परन्तु खेद है कि उक्त पूर्वी प्रदेश में इन में से कोई भी चीज़ नही है। विभाग के पास 202 कारें, यान और गाड़ियां है परन्तु पूर्वी प्रदेश के लिये एक भी नहीं है। अतः वहां पर परिवहन सुविधाओं का भी अभाव है। यहां तक कि विदेशी पर्यटकों के वहां जाने पर भी प्रतिबन्ध लगा हुआ है। यह तो ठीक है कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से अवांछनीय पर्यटकों को वहां न जाने दिया जाये, परन्तु इन प्रतिबन्धों के साथ साथ वहां पर पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था तो होनी ही चाहिये जिसके वहां पर यात्री आ जा सकें।

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक बोर्डों में चार निदेशक ऐसे हैं जो दोनो बोर्डों के सदस्य है। समझ में नहीं आता कि इसका क्या लाभ है? इसके इलावा दोनों बोर्डों के एक तिहाई निदेशक सेवानिवृत महावायुपति हैं जिनकी संख्या 7 है। ऐसा लगता है कि यह रक्षा सेवाओं का ही विस्तार है। इन चीजों से निहित हित उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इस ओर ध्यान दिया जाये।

असाम में 6 हवाई अड्डे हैं और इस पूर्वी प्रदेश में गोहाटी ही प्रमुख हवाई अड्डा है। यहां पर 10 से 15 मिनट में दो बोइंग विमान उतरते है और 30 मिनट के बाद दो विमान उड़ान करते हैं। जिसके फलस्वरूप वहां पर उस समय पड़ताल चौकी पर बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। जिससे यात्रियों की बहुत असुविधा होती है। क्योंकि वहां पर जगह इतनी कम है कि इतने अधिक यात्री खड़े भी नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाओं का भी अभाव है। इन विमानों के समय में इस प्रकार परिवर्तन किया जाना चाहिये जिससे ये अलग अलग समय पर आ जा सकें और एक समय में इतने अधिक यात्री इकट्टे न हो पाये। ऐसा कर देने से हवाई अड्डे का विस्तार किये बिना यात्रियों की असुविधाएं दूर हो जायेंगी। दूसरी बात यह है कि यदि कलकत्ता में मौसम खराब हो जाये, तो इस प्रदेश की सेवायें ठप्प हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिये गोहाटी आस्थानी हवाई अड्डा बना दिया जाये। इस प्रदेश में विमान यातायात का विकास करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि इस प्रदेश में विमान सेवा का होना बहुत ही आवश्यक है।

यह एक खेदजनक बात है कि गोहाटी और उत्तरी लखीमपुर के बीच कोई विमान सेवा नहीं है। हालांकि लिलाभारी में एक हवाई अड्डा है डिब्रुगढ़ और गोहाटी के बीच सप्ताह में केवल चार दिन ही विमान सेवा की व्यवस्था है जो अपर्याप्त है। उड़ान संख्या 211 और 212 के समय में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया जाये जिसमें लोग जोरहाट हवाई अड्डे पर उतर कर लिलाभारी या वापस गोहाटी के लिये विमान पकड़ सकें। केवल समय में परिवर्तन करने का ही प्रश्न है।

जहां तक चबुआ हवाई अड्डे का सम्बन्ध है, वहां पर यात्रियों को हवाई अड्डे से एक किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजपथ पर उतरना पड़ता है और फिर हवाई अड्डे के वाहन में हवाई अड्डे पर जाना पड़ता है। क्योंकि वह सैनिक हवाई अड्डा है और निजी वाहन वहां नहीं जा सकत हैं। इस से लोगों को बहुत असुविधा होती है। यहां तक कि वर्षा और धूप से बचने के लिये वहां पर

शैड तक भी नहीं है । इसके अतिरिक्त मोहनबाड़ी सिविल हवाई अड्डे का पुनः विकास करने के बारे में जो स्थिति है उसपर भी प्रकाश डाला जाये । मंत्री महोदय इन सुझावों पर ध्यान दें । इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

**Shri Kushok Bakula** (Ladakh): It is regretted that Ladakh has been completely neglected in the matter of development. Whereas in the other parts of this state *viz.,* Kashmir valley and Jammu there has been tremendous development.

Though a number of tourists want to visit Ladakh, yet they are unable to do so because communication and tourists facilities have not been provided there. In view of this jack it is necessary that there should be a regular air service from Delhi to Ladakh so that tourists are able to return the same day, if they like. Despite repeated requests made by me in this behalf, nothing has so far done to provide regular air service for Ladakh. In case there is shortage of aircrafts, there should be chartered and pressed into service without loss of any further time. Because tourist traffic will prove to be very beneficial to the poor people of that region. Tourist facilities should therefor be provided there immediately.

There is an ancient shrine of Alchi Choskhor in Ladakh. Many tourists both from other parts of India and from abroad want to see that temple but the road leading to that place and a bridge thereon are both **kacha** ones. It is, therefore, necessary that the road and the bridge thereon should be made **pucca** soon.

The king's palace in Ladakh is in ruins. It should either be taken over by the Department of Archaeology and renovated or necessary funds should be provided for its renovation.

Leh-Manali Road had been constructed at a huge cost. But it is not being maintained properly. Buses cannot ply over it because it has not been metalled so far. This should be looked into.

With these words I support the demands of the Ministry.

**Shri Jagannath Mishra** (Madhubani) : It is good that the Ministry has made praise-worthy efforts to attract tourists from abroad. The number of foreign tourists increased from about 4 lakhs in 1974 to about 5 lakhs in 1975. Foreign exchange amounting to Rs. 104 crores was earned during last year.

The Department of Tourism has provided a number of facilities for foreign tourists. 1520 hotels were constructed during 1975-76. 14 youth hostels and 8 tourist bunglows have been constructed so far. Some literature in various languages such as Persian, Arabic, Russian, Japanese etc. has been produced for the convenience of foreign tourists. A centre is being set up in Kuwait for the convenience of the tourists of West Asia. A conference on tourism is scheduled to be held in India during 1978 and it is hoped that more than two thousand tourists will participate in this conference. A big air-conditioned hotel is proposed to be constructed at a cost of Rs. one crore in collaboration with Japan. The hon. Minister will let us know the time by which the construction work will be started.

So far as the potential of in-country tourism is concerned, India is a vast land which offers a panorama of various cultures, languages, arts and religious. People in one part of the country should be encouraged to visit other parts. Cheap hotels should be provided for them in order to attract them in a large number.

As regards civil aviation, a lot of improvement has been made at the various airports. One Boeing 707 Aircraft has been exclusively earmarked for transport of goods whereby we are now in a position to airlift 405 tonnes of cargo per week and thus earn considerable amount of foreign exchange.

The position in regard to use of Hindi in the Ministry is not satisfactory and hence attention should be paid to it.

[Shri Jagannath Mishra]

Patna-Muzaffarpur air-service which was discontinued earlier should be restored and extended upto Madhubani *via* Darbhanga. A new air service connecting Calcutta—Darbhanga—Kathmandu should be started.

Hindi Translators working in the Ministry should be made permanent/and Telephone operators should be paid properly.

Patna Air port should be modernised and equipped with sophisticated equipment in order to ensure smooth landing of aircrafts there.

At present Darbhanga has got only a military airport. A separate civilian airport should be started there. Madhubani Airport should be fully developed.

Experts should be sent to Balirajgarh to develop this place as a tourist spot.

The announcements made at the airports about the landing and taking off of aircrafts are not clear. Something should be done in this regard.

Bihar which is rich in ancient monuments and culture should be brought on the tourist map of India by providing tourist facilities there.

**Shri M. C. Daga** (Pali) : First of all I want to read the sentence of the Prime Minister which has been quoted in the Report of the Ministry :

"Let us give every tourist a warm welcome. Let us share with our guests the warmth of our heart and the rich heritage of our country".

[श्री पी० पार्थसारथी पीठासीन हुए
SHRI P. PARTHASARATHI in the Chair]

Keeping in view the limited resources at the disposal of the Ministry, the Department of tourism has done a very good work. It is good that they have fixed a target to attract 10 lakh tourists in 1980. But what is the position in regard to the facilities which are going to be provided for them ?

There are Central and State tourist Corporations and tourist departments in the country. Efforts should be made to maintain more and better coordination among there various agencies concerned with tourism in different parts of the country so that better facilities could be provided to tourists which will encourage tourism as well as promote national integration.

State tourist departments have not been able to provide adequate and suitable accommodation to tourists. Although we have many Dharamshalas and similar type of accommodation built by individuals and institutions in many pilgrim places in the country. But most of them are in bad state which require development and renovation. Steps should be taken to do the needful in order to offer cheap and easy accommodation to our tourists.

The tourist departments should not adopt commercial approach while dealing with the subject. Adequate facilities should be provided to tourists in order to encourage them to visit and attract them to places of tourist interest in the country.

Jain temples at Dilwara in Mt. Abu and Ranakpur in Rajasthan built of marble are unique in beauty and architecture. Tourist bus service should be introduced there so that large number of tourists could visit there places.

Jodhpur aerodrome is under construction for the last many years. The progress of construction is very slow and unsatisfactory. Steps should be taken to see that it is completed expeditiously.

Efforts should also be made to clear the cargo piled up at Delhi Airport.

**श्री वसंत साठे** (अकोला) : मैं पर्यटन तथा सिविल विमानन मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम पर्यटन का बड़े पैमाने पर विकास करना चाहते हैं तो हमें पश्चिमी देशों से छोटे व मध्यम वर्ग के लोगों को आकर्षित करना चाहिए बाहर के आम आदमी भारत आना चाहते हैं और वास्तविक भारत प्राचीन भारत तथा भारतीय संस्कृति का अवलोकन करना चाहते है। हमें उन्हें हमारे देश में आने का वह हमारे साथ रहने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इस तरह वे भारत को अच्छी तरह देख भी सकेंगे और लोगों के साथ मेहमान के रूप में रहने पर पांच स्टार तथा तीन स्टार होटलों की बजाय उनका खर्च भी कम होगा। यदि हम ऐसी व्यवस्था कर सकें, जिससे कि उन्हें लोगों के साथ रहकर, उनका जीवन देखकर असली भारत देखने का मौका मिले, तो हर वर्ष लाखों पर्यटक बाहर से आयेंगे।

इस सम्बन्ध में विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए और हमारे देश में ऐसे लोगो की एक सूची मंत्रालय को तयार करनी चाहिए जो विदेशी पर्यटकों को मेहमानों के रुप में अपने साथ ठहराने के इच्छुक हों। लोगों को केवल अमरीका, इगलैंड, जर्मनी व फ्रान्स से ही नहीं आपितु जपान, थाइलैंड, इन्डोनेशिया, अफ्रीका व लैटिन अमरीकी देशों से भी हमारे देश में आने व भारतीय परिवारों के साथ ठहरने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। यह भी पर्यटन का विकास करने का एक तरीका है।

पर्यटन स्थलों पर छोटे-छोटे पर्यटक कुटीर होने चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि पर्यटकों को हमारे सांस्कृतिक जीवन की झलक मिल सके। ये छोटी-छोटी बातें पर्यटकों को अधिक आर्कषित करती हैं।

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों यथा अजन्ता, खजूराहो, एलोरा आदि के लिए विमान सेवाओं की सुविधाए भी उपलब्ध की जानी चाहिए।

**Shri R. S. Pandey** (Rajanandgaon) : Tourism is an industry which attract foreigners to see the natural beauty of a country that it presents and the glimpses which project by cultural heritage and life. In our country the tourism Department is paying much attention to develop this industry.

The staff at air port, the crew in the plane who come in contract with the foreign tourists have a reponsibility in projecting a good and hospitable image of our country. Their behaviour with the tourists, their efficiency in dealing with the problems and their prompt and quick service can play an important part in encouraging foreign tourists.

Custom officials at airport who come in contact with the tourists should also show courteous behaviour towards them. Similarly the taxi-drivers should also be courteous to them. Subsequently, while driving towards town they see roads, houses and people there. Efforts should be made to see that tourist get a good impression by the simplicity, by the grace and by the grandeur of our towns.

Arrangements should also be made to present our ancient culture and traditional art to our tourists by organising functions and concerts of high standard in the tourist hotels. It will present a real and lasting image of our country and will give a boost to the tourist traffic.

While congratulating the Ministry and the staff concerned for their performance, I support the demands relating to the Ministry of Tourism and Civil Aviation.

**श्री रणबहादुर सिंह** (सिधी) : भारत के विकास में पर्यटन का काफी महत्व है। यदि हम जरा सूझबझ से काम लें तो हम पर्यटन के क्षेत्र में विश्व में अपना पहला स्थान बना सकते है। उदाहरण के लिए अभी हमारे होटलों के जो कमरे है वे विदेशी पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पाते

[श्री रणबहादुर सिंह]

क्योंकि उन्हें कलात्मक ढंग से सजाया नहीं गया है । इस दिशा में कल्पना का प्रयोग किया जाना चाहिए । उन्हें नये-नये स्थल दिखाये जाने चाहिए जिससे कि उनके पैसे का सदुपयोग हो सके ।

हमारे देश में वन्य प्राणियों के रूप में पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण है । विभाग को वन्य जीवों सम्बन्ध अच्छी से अच्छी फिल्में तैयार करनी चाहिए । जो कुछ फिल्में लोगों की अपनी निजी है उन्हें भी विभाग ले सकता है । ये फिल्में विदेशों में दिखाई जा सकती है और वहाँ की जनता को भारत के प्रति आकृष्ट किया जा सकता है ।

देश में आखेट करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । इसके लिए सफारी का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कि पर्यटक वन्य-प्राणियों की तस्वीरें खींच सकें ।

मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ पशु-पक्षी विहार देश का एक अद्वितीय स्थल है क्योंकि यहाँ एक साथ दो चीजें आप देख सकते है । एक तो वन्य जीवन दूसरी पुरातत्वीय वस्तुएं और कृतियां । थोड़ासा और प्रयास करके तथा थोड़ी सी और वित्तीय सहायता लेकर इसे भारत के पर्यटन मानचित्र में स्थान दिया जा सकता है । खजुराहो, जबलपुर, बान्धवगढ़, कंधा और वाराणसी को मिलाने वाली एक वायुसेवा आरम्भ की जानी चाहिए । यदि मंत्रालय अनुमति दे तो कुछ लोग कंधा और बान्धवगढ़ में लघु-कुटीर स्थापित करने को तैयार हैं जो हमारे पांच स्टार होटलों का मुकाबला कर सकेंगी ।

भोपाल के लिए वायु सेवा की आवृत्ति में वृद्धि की जानी चाहिए । दिल्ली से कलकत्ता जाने वाला जहाज महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थल रांची पर भी ठहराया जाना चाहिए ।

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :** बहस के दौरान सर्वसम्मति यह रही कि पर्यटन के विकास और संवर्धन एवं पर्यटन विकास के लिए आवश्यक अन्य सेवाओं पर अधिक बल दिया जाना चाहिए तथा इस दिशा में हम जो प्रयास कर रहे है उन्हें और मजबुत किये जाने की जरूरत है । मेरे सहयोगी श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ने तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत कर यह बताने का प्रयास किया है कि भारत इस मामले में पीछे नहीं है । पर्यटन के बारे में हमारी एक नीति है और कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त है जो इस सभा में समय-समय पर अभिव्यक्त किये गये विचारों पर आधारित है । पर हमने पर्यटन के सम्बन्ध में कोई औपचारिक राष्ट्रीय संकल्प स्वीकार नहीं किया है । इस विषय में हमारे कुछ लक्ष्य है जिनका हम अनुसरण करते है । पर्यटन उद्योग के विकास की आवश्यकता को हम मानते हैं । पर्यटन यातायात में 15 प्रतिशत की वृद्धि हम करना चाहते हैं । इसके लिए हमने प्रयास किये है अध्ययन और सर्वेक्षण किया है । पर हमें यह सब कार्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर करना होता है । पर्यटन विकास के सम्बन्ध में राष्ट्रीय संकल्प लाने की आवश्यकता भी नहीं है ।

पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव और सूझबझ को बढ़ावा देता है पर यह केवल विश्व में शान्तिकाल में ही प्रगति कर सकता है । हम पर्यटन का विकास केवल विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से नहीं कर रहे है । इसमें कोई संदेह नहीं कि यह भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है । पर इससे अधिक अहम बात राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है । अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव पैदा करना है । देश के एक भाग के लोगों को दूसरे भाग के लोगों के सम्पर्क में लाना है । हम जो विदेशी मुद्रा इस उद्योग से कमा रहे है उसका केवल 5 प्रतिशत हमें पर्यटन विकास के लिए दिया जाता है । हमने 1978-79 के लिए 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य अपने सामने रखा है । इसके अलावा इसमें लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिला आ है ।

पश्चिमी जीवन पद्धति और भारतीय जीवन पद्धति में अन्तर है। हमें अपनी परम्परा को बनाए रखना है। विदेशी पर्यटकों के समक्ष हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्हें इस संस्कृत से प्रभावित करना चाहिए। लम्बी अवधि के विदेशी शासन के बावजूद हमने अपनी संस्कृति को बनाए रखा है। हम इस बारे में पूरा ध्यान रखते हैं कि होटलों, हमारी पर्यटन संस्थाओं में भारतीय ढंग और भारतीय जीवन की झलक मिले।

हमें परस्पर दो विरोधी आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। एक ओर हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त आधुनिक सुविधाएं प्रदान करनी हैं तो दूसरी ओर यह भी ध्यान रखना है कि साज-सज्जा, उत्कृष्ट भोजन और मनोरंजन का तरीका पूर्णतः भारतीय हो। यह हमारी नीति का एक अंग है। इसके अतिरिक्त हम पश्चिमी रंग-ढंग, रीति रिवाज तथा परम्पराओं की नकल भी नहीं करना चाहते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में हमारे इस उद्योग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुद्रा-स्फीति, श्रम अशान्ति, कीमतों में वृद्धि आदि का प्रभाव इस पर भी पड़ा। पर अब स्थिति सुधर चुकी है। आशा है कि पर्यटन यातायात में लगातार वृद्धि होगी। हमने पर्यटन विकास की दिशा में एक और कदम हाल ही में उठाया है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय पर्यटन निगम की, जिसमें हमारे सभी पड़ोसी देशों ने भाग लिया, बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता हमारे अतिरिक्त महानिदेशक पर्यटन ने की।

**श्री डी० बसुमतारी :** कलकत्ता हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय अड्डा बनाने के काम पर 3 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद उस काम को रोक क्यों दिया गया है ?

**श्री राज बहादुर :** काम रोका नहीं गया है। विदेशी एयरलाइन्स कलकत्ता की बजाय दिल्ली या बम्बई जाना लाभकर समझती हैं इसलिए कलकत्ता में यातायात में कमी आई है।

उक्त निगम के काठमाण्डू में हुए सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि समूचे दशक को दक्षिण एशिया पर्यटन दशक के रूप में मनाया जाय। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम विदेशी मुद्रा की दृष्टि से ही नहीं, अपितु अपने पड़ोसी देशों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। आशा है कि पर्यटन को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में उच्च स्थान दिया जायेगा।

एयर इंडिया अपने जन्म से अब तक केवल गत वर्ष अभतपूर्व लाभ कमा पाया है। वर्ष 1975-76 में 5.10 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। इसके लिये वे श्रेय पाने के पात्र हैं यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइन्स को अपना गुजारा करना भी कठिन हो रहा है और यदि सभी को नहीं तो कुछ अन्तरराष्ट्रीय एयर लाइन्स को घाटा अवश्य हो रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि विश्व आर्थिक मन्दी और यातायात से हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यह जो 5.10 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है मुल्यह्रास और पुरानी हो गई वस्तुओं का 12.39 करोड़ घटा कर इतना लाभ हुआ है। इस वर्ष के दौरान एयर इण्डिया ने खाडी क्षेत्रों के लिये 7 उड़ानों से बढ़ा कर 11 उड़ाने कर दी है। समान के निर्यात में योगदान देने के लिये दो 707 माल विमानों की सेवाएं चालू की गई हैं। पांचवां 707 विमान भी प्राप्त कर लिया गया है। मध्य-पूर्व जैसे बगदाद में हमने एक और स्टेशन बढ़ा दिया है। वहाँ हमारी विमान सेवा 6 अप्रैल से आरम्भ हुई है।

यह भी कहा गया है कि तालाबन्दी या हड़ताल के पश्चात इंडियन एयर लाइन्स के प्रबन्ध तथा संघ के बीच घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है। यह सही नहीं है। दो व्यक्तियों के रवैये के कारण ताला-

[श्री राज बहादुर]

बन्दी सरकारी तौर पर समाप्त नहीं की गई। इन दो व्यक्तियों को छोड़ कर शेष 15,000 कर्मचारियों ने समझौता स्वीकार कर लिया है।

इंडियन एयर लाइन्स ने गत वर्ष राष्ट्रीय कोष में 15.58 करोड़ रुपये का अंशादान किया है। 1975-76 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा विक्रय कर के कारण यह राशि 10.15 करोड़ हो गई या इससे थोडी और अधिक। राज्य सरकारों ने 5.35 करोड़ रुपये की राशि विक्रय कर के रूप में ले ली। इसी कारण इण्डियन एयर लाइस अपनी कुछ सेवाओं को समाप्त करने के लिये बाध्य हुआ और लगभग 16 स्टेशनों पर सेवा बंद कर दी गई। हम सामान्य कर दाता पर बोझ नहीं बनना चाहते।

सन्तोष की बात है कि इंडियन एयरलाइन्स ने माली के लिये सप्ताह में दो बार सेवा प्रारम्भ कर दी है। आशा है नवम्बर के दौरान एयरबस प्राप्त कर लेने पर हम अपनी विमान सेवायें कुछ मुख्य मार्गों पर आरम्भ कर पायेंगे।

हम यह मानत हैं कि हमारी विमान सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। एवरो विमानों को हमने अपनी इच्छा से बन्द नहीं किया है। वे अच्छे विमान हैं। एच० ए० एल०, कानपुर जो इनका निर्माता है, उसने कहा कि इनमें कुछ खराबी ठीक करनी है और हमने सावधानी से उन दोषों को दूर किया।

इंडियन एयर लाइन्स की सेवाओं में समय की पाबन्दी में सुधार हुआ है। कई बार विलम्ब इसलिये हुआ क्योंकि वह परिस्थितियों हमारे नियन्त्रण के बाहर थी। कभी-कभी विलम्ब इंजीनियरिंग बाधा, वाणिज्यिक अथवा परिवहन कारणों से हुई है। हम विलम्ब को रोकने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु जब खराब मौसम हो या कोई इंजीनियरी दोष हो तो फिर हम जोखिम नहीं उठा सकते। सुरक्षा हमारा पहला लक्ष्य है।

जहाँ टक कर्मचारियों की सुविधाओं का सम्बन्ध है हम इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया' दि एयर पोर्ट अथारिटी और डी० जी० सी० ए० में काम कर रहे कर्मचारियों सम्बन्धी सभी कटौती' प्रस्तावों पर ध्यान देंगे। हम वैसा ही करेंगे जैसा न्यायोचित और वांछनीय होगा।

जहाँ तक नागरिक विमानन में सुरक्षा का सम्बन्ध है हम इंजीनियरी दोषों तथा अन्य दोषों को दूर करने का हर सम्भव प्रयास करेंगे। बम्बई में एक नया यात्री/माल टर्मिनल कम्पलैक्स स्थापित करने की योजना स्वीकृत की गई है। इस पर 11 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। 7.16 करोड़ रुपये यात्री कम्पलैक्स पर और 3.8 करोड़ रुपये एक स्थाई माल टर्मिनल पर व्यय होंगे।

**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या खाड़ी देशों से बढ़ रहे यातायात के लिये आपने बम्बई में कोई पर्याप्त व्यवस्था की है।

**श्री राज बहादुर** : जो व्यवस्था की गई है उसके अन्तर्गत 1,400 यात्रियों का प्रबन्ध है। कलकत्ता में बोईंग 747 के लिये प्रमुख हवाई पट्टी को मजबूत बना दिया गया है। हमने एयरपोर्ट अथारिटी समितियों तथा एक केन्द्रीय राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति की है। जो यह देखेगी कि विदेशों से आने वाली उड़ाने एक ही समय पर चालित न हों। हम हवाई अड्डे के आस पास रहने वाली जनता को शोर से बचाना चाहते हैं। हम विश्व के दूसरे नम्बर के नागरिक नहीं बनना चाहते। हम भी अपना आराम चाहते हैं अत: हमने राष्ट्रीय समिति का गठन किया है।

जहाँ तक माल का सम्बन्ध है दिल्ली के लिये प्रति माह 1,900 टन सिले सिलाये कपड़े तथा 1,600 टन अन्य माल को ढोने की मांग है। यह मांग दिनोदिन बढ़ती जा रही है। मद्रास और बम्बई में इस सम्बन्ध में प्रबन्ध किये जा रहे हैं। कलकत्ता में हमने एक बहुउद्देश्यी माल टर्मीनल की व्यवस्था की है और हमें आशा है कि जो इसमें जितने स्टोरों की व्यवस्था की गई है वह पर्याप्त होगी।

कालीकट में हवाई अड्डा बनाने की योजना है किन्तु धनोभाव के कारण विलम्ब हो रहा है। इस विलम्ब के कारणों पर हमारा नियन्त्रण नहीं है। किन्तु प्राथमिकता के आधार पर हमें पहले बम्बई की ओर ध्यान देना होगा। पिछले दो वर्षों में हमने सुरक्षा नियन्त्रणों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। दिल्ली में कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। अहमदाबाद में भी एक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। हमने बोईंग 737 के लिये जोधुर की हवाई पट्टी का विस्तार करके उसे और मजबूत बनाया है। जबलपुर, पोरबन्दर की हवाई पट्टी को एच० एस० 748 के लिये मजबूत बनाया है। त्रिवेन्द्रम में सीमाशुल्क के ब्लाक बन रहे हैं। इसी प्रकार देश के अन्य स्थानों के हवाई अड्डों पर भी आवश्यक निर्माण किये जा रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर, श्रीनगर, जोरहाट, गोआ, कानपुर के हवाई अड्डों के लिये टर्मीनल भवनों की स्वीकृति मिल गई है। इसी प्रकार अमृतसर के टर्मिनल भवन के विस्तार की स्वीकृति भी मिल गई है। कुल्लू के लिये नये तकनीकी ब्लाक निर्माण की भी स्वीकृति मिल गई है।

**Shri Bibhuti Mishra** (Motihari) : What about Muzaffarnagar ?

**Shri Raj Bahadur :** I will ask Indian Airlines to connect Muzaffar Nagar during rainy season. But I cannot promise as they are short of aircrafts.

**One Honourable Member :** What about Gorakhpur ?

**Shri Raj Bahadur :** When the airbuses will come in December, 737 will also be released.

**श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** (टिहरी-गढ़वाल) : मंत्री महोदय ने कहा है कि पर्यटन श्रम-प्रधान उद्योग है और पर्वतीय क्षेत्रों में सभी साधन प्राप्त होते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के लिए उनकी कोई योजना है।

**श्री राज बहादुर :** हमारा हिमालय क्षेत्र के लिए और विशेषरूप से आपके निर्वाचन क्षेत्र के लिए बड़ा प्यार है।

**श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली :** हम प्यार नहीं चाहते। हम वास्तविक चीजें चाहते हैं दूर के प्यारे से कुछ भी नहीं बनता है।

**श्री राज बहादुर :** माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि कोचीन के नौसेना हवाई अड्डे के धावन पथ को मजबूत बनाने तथा विस्तार करने के लिए 70.05 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इससे यह हवाई अड्डा बोइंग 737 के लिए उपयुक्त हो जायेगा। साथ ही जोरहाट हवाई अड्डे की वस्ती के निर्माण तथा अमृतसर हवाई अड्डे की टर्मिनल इमारत के निर्माण के लिए व्यय की स्वीकृति दी गई है।

इंग्लैंड के समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि भारत अपने क्षेत्र के ऊपर से कंकार्ड विमान की सुपरसोनिक उड़ानों की अनुमति देने के लिए अधिक नागरिक विमानन रियायतों की मांग कर रहा है। यह भी समाचार छपा है कि भारत के क्षेत्र के ऊपर कंकार्ड विमान को उड़ाने की अनुमति देने में भारत द्वारा अनिच्छा प्रकट करने के कारण ब्रिटेन सरकार का रवैया भारत के प्रति

[श्री राज बहादुर]

कठोर हो गया है। हमने कंकार्ड विमान को भारतीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ने की अनुमति मुख्यतः इस कारण से नहीं दी कि इस तरह के विमान के उड़ने से हमारे जैसे अधिक आबादी वाले देश में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि इस बात की अन्तिम पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी वास्तविकता यह है कि कंकार्ड यूरोप में सबसोनिक विमान उड़ायेंगे जबकि सुपरसोनिक हमारे देश के ऊपर से उड़ेंगे। इसी कारण हमने ऐसी अनुमति नहीं दी है। हमने यह भी देख लिया है कि एक बार इस तरह के विमान को उड़ने की अनुमति देने से बहुत से देश विरोध करने लगेंगे। अतः सरकार का कंकार्ड विमान को अपने देश के ऊपर से उड़ने की अनुमति न देने का निर्णय उपरोक्त बातों पर आधारित है और इस तरह हमारा ब्रिटेन सरकार से किसी भी तरह से वाणिज्यिक नागर विमानन लाभ प्राप्त करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। यह अनुचित है कि एक मित्र देश हम पर इस तरह का दोष लगा रहा है। हमारा ऐसा इरादा कदापि नहीं है।

जहां तक छात्रों को दी जाने वाली रियायत का सम्बन्ध है, मुझे यह मालूम है उनको घर जाने के लिए दी जाने वाली 50 प्रतिशत रियायत के अतिरिक्त, स्थानों का भ्रमण करने के लिए भी उन्हें 50 प्रतिशत रियायत दी जाती है।

विमान परिचारिकाओं की नियुक्ति के मामले में पूर्वी क्षेत्र से आने वाली महिला अभ्यर्थियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत यह है कि उस क्षेत्र की महिला अभ्यर्थियों को विमान परिचारिका नहीं बनाया जाता। गोहाटी में साक्षात्कार हुए हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए विमान परिचारिकाओं के पदों के लिए विशेष आरक्षण किया हुआ है। श्रेणी 3 और 4 के पदों में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण किया गया है। प्रतिवेदन में दिये गये विवरण से इस सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

कालीकट के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। 'डिसकवरी आफ इण्डिया फेयर' चलाने के परिणामस्वरूप भारत ने 37.6 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई है।

**श्री राम सहाय पांडे** (राजनंदगांव) : क्या सरकार नागर विमानन विभाग को भी अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का लाभ देने का विचार रखती है?

**श्री राज बहादुर** : अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का कम से कम 10 प्रतिशत उपकरण आदि खरीदने के लिए विभाग को दिया जाता है।

जहां तक कलकत्ता का सम्बन्ध है इस समय 6 विदेशी विमान सेवाएं कलकत्ता हवाई अड्डे से हो कर जाती हैं।

यह कहना गलत है कि हम अनधिकृत लोगों को हवाई अड्डों में प्रवेश करने से रोक नहीं रहे हैं। हमारी स्थानीय पत्तन सुरक्षा समिति है जो इस मामले में जांच करती है। जहां तक आरक्षण आदि की सुविधाओं का सम्बन्ध है, हम इसमें सुधार कर रहे हैं।

होटलों में सस्ती दरों पर खाना उपलब्ध किये जाने के बारे में कहा गया है। कुछ समय पहले हमने शाकाहारी भोजन की दरें निश्चित की थी। हम यह जानते हैं कि ये दरें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं किन्तु हमें जलपानगृह बनाने जरूरी हैं।

पूछा गया है कि गैर-सरकारी होटलों को ऋण क्यों दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र के होटलों में हमारे पास 2,000 कमरे हैं जबकि हमें देश में लगभग 15,000 कमरों की आवश्यकता है इस-

लिए हमने सोचा है कि इसके लिए जितनी पूंजी जुटाई जा सके उतनी जुटाई जानी चाहिए । हमें उन्हें कुछ प्रोत्साहन देना है । हम उन्हें कुछ शर्तों पर ऋण देते हैं । यदि वे उन शर्तों को पूरा नहीं करते तो हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं ।

**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : जब आप उनको ऋण देते हैं तो आप क्यों यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि वे भी भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों की बराबरी में दरें कम रखें ।

**श्री राज बहादुर** : इस प्रश्न की और जांच किये जाने की आवश्यकता है ।

कहा गया है कि पूर्वी क्षेत्र में भारतीय पर्यटन विकास निगम ने कोई परिवहन एकक नहीं खोला है । यह गलत है । कलकत्ता तथा भुवनेश्वर में परिवहन एकक हैं । जब सिलीगुड़ी तथा गोहाटी में होटल बन जायेंगे तो फिर और अधिक एकक स्थापित किये जायेंगे ।

हमने भारतीय पर्यटन विकास निगम के सरकारी क्षेत्र के होटलों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों में निवेश की गई पूंजी पर प्राप्त लाभ का तुलनात्मक विश्लेषण किया है । 1973-74 में इसका प्रतिशत गैर-सरकारी होटलों में 8.73 प्रतिशत तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों का 12 प्रतिशत रहा । 1974-75 में यह प्रतिशत गैर-सरकारी तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों का क्रमश: 12.68 तथा 15.50 रहा ।

दक्षिण भारत में पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए हमने कदम उठाये हैं । अन्तवर्ती यात्राओं के लिए रियायतें दी गई हैं ।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** (बडागरा) : विजयवाडा को वायु सेवा से जोड़ने के बारे में क्या है ?

**श्री राज बहादुर** : हमने निर्णय लिया ह विजयवाड़ा को जितनी जल्दी हो सके वायु सेवा में जोड़ा जाये । हमें शीघ्र ही एक और एवरो विमान मिल जायेगा और फिर हम ऐसा कर देंगे ।

**प्रो० नारायण चन्द पराशर** (हमीरपुर) : शिमला के बारे में क्या है ? केवल यही राज्य की राजधानी है जो वायु सेवा से जोड़ी नहीं गई है ।

**श्री राज बहादुर** : आपके राज्य में कुल्लू में एक हवाई अड्डा है ?

आग बुझाने वाले उपकरणों के सम्बन्ध में जिस पार्टी ने सबसे कम दरें दी थीं उसने असहमति प्रकट की है और ऊंची कीमत की मांग की है । हमने विश्व भर से दरें आमंत्रित की हैं और मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सुरक्षा उपायों की कमी नहीं रहेगी ।

मैं श्री संघी की इस बात को मानता हूं कि हवाई अड्डों पर होटलों में आवास के चार्ट लगाये जाने चाहिए ।

जहां तक अंडमान तथा निकोबार का सम्बन्ध है, हम वहां पर्यटन के विकास के लिए बहुत इच्छुक हैं । कुछ हद तक हम इस बात में सफल हुए हैं कि हमने पर्यटकों को उन स्थानों पर जाने की अनुमति दी है जहां पहले उनके जाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है था ।

हम लेह को हवाई मार्ग से जोड़ना चाहते हैं । इस उद्देश्य के लिए हमें विशेष प्रकार के विमान की आवश्यकता है । बोइंग 737 से यह कार्य नहीं हो सकता । अधिक उंचाई, वातावरण का

[श्री राज बहादुर]

दवाब तथा अन्य कारणों से एवरो विमान भी इस मार्ग पर नहीं उड़ सकता अत: हमें ऐसे विमान की आवश्यकता होगी जो कि उस ऊंचाई तक पहुंच सके। इसके लिये छोटा सा हाल जेट उपयुक्त रहेगा।

आवास के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के सहयोग से जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है की जायेगी।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या लक्षद्वीप के लिए भी विमान सेवा आरम्भ की जाएगी ?

**Shri Raj Bahadur:** We will not ignore Leh and Port Blair. Archaeological survey of India has been asked to look after the repairs to the old monuments.

Proposal regarding Leh. Manali road is being examined from the security angle. The road passes through a beautiful landscape and when this road will be opened it will attract a large number of tourists there.

In regard to the confirmation of the employees, many of them have been confirmed and the cases of the remaining ones would be considered.

I have kept in mind Dilwara and Ranakpur and something would be done for these places.

जहां तक देश के पर्यटकों को प्रोत्साहन देने का सम्बन्ध है हम यह प्रयत्न करेंगे कि राज्य सरकारों के सहयोग से इस सम्बन्ध में अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाये और इस बारे में अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे... **(व्यवधान)**

**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : आप उस मौसम में जब भारतीय पर्यटन विकास निगम के पर्यटकों की कम भीड़ हो रियायत क्यों नहीं देते ? राज्य सरकारों पर छोड़ देने से इसमें विलम्ब भी होगा।

**श्री राज बहादुर** : हम सब कुछ राज्यों पर नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन हम उनका सहयोग चाहते हैं। मैंने आपको धन की कठिनाइयों के बारे में बताया है अत: यह कहना कि राज्यों को उत्तरदायित्व से वंचित किया जा रहा है उचित नहीं होगा। भारतीय पर्यटन विकास निगम के बंगले भारतीय पर्यटकों को उपलब्ध होंगे किन्तु इनकी दरें उनकी पहुंच से बाहर हैं। अत: इसकी हमें अथवा राज्यों द्वारा ही व्यवस्था करनी है। साथ ही विदेशी पर्यटकों तथा भारतीय पर्यटकों के लिए अलग अलग दरें भी नहीं की जा सकती हैं।

**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : मैं उस मौसम के बारे में कह रही हूं जब पर्यटकों की भीड़ नहीं होती है।

**श्री राज बहादुर** : हम इस पर विचार करेंगे, साथ ही भोजन की दरों के बारे में भी विचार करेंगे।... **(व्यवधान)**। पहले बोइंग आदि का प्रबन्ध होने दीजिए फिर देखेंगे कि भुवनेश्वर को जोड़ा जा सकता है या नहीं।... **(व्यवधान)**।

**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) : दिल्ली से कलकत्ता तक उड़ान संख्या 401 में एक अतिरिक्त यात्री 4 मई को ले जाया गया और कलकत्ते तक खड़ा होकर ही गया। यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

**Shri Raj Bahadur :** I will see.

**Shri Natwarlal Patel** (Mehsana) : I would like to point out that there is only one flight from Delhi to Ahmedabad in the morning. There are three flights for Bombay in the evening. If one of these flights is diverted *via* Ahmedabad, it will be convenient to the people.

**श्रीमती पार्वती कृष्णन** (कोयम्बटूर) : मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि कटौती प्रस्तावों में मजदूरों और कर्मचारियों के बारे में उठाये गये अनेक मामलों पर विचार किया जायेगा ।

**श्री राज बहादुर** : मैं सभी बातों पर विचार करूंगा ।

**Shri Nagendra Prasad Yadav** (Sitamarhi): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the honourable Minister to Balrajgarh in Madhubani district. The honourable Member Shri Jagannath Mishra has asked to develop it into a tourist Centre. But the Minister has said nothing about it. I have also been requesting the Government for a long time to introduce Calcutta—Patna—Muzaffarpur—Sitamarhi—Kathmandu air service. What does the Minister say in the matter ?

**श्री डी० पी० जदेजा** (जामनगर) : जब मैं भाषण दे रहा था उस समय मंत्री महोदय उपस्थित नहीं थे । अतः उन्होंने मेरी किसी बात का उल्लेख नहीं किया है । क्या मुझे इसका उत्तर परामर्शदात्री समिति में मिलेगा ?

**श्री डी० डी० देसाई** (कैरा) : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह अहमदाबाद हवाई अड्डे को देश के अन्य बड़े हवाई अड्डों की तरह कब बनायेंगे ?

**प्रो० नारायण चन्द पराशर** (हमीरपुर) : हिमाचल प्रदेश में शिमला हवाई अड्डे का कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए । जहां तक कुल्लू का सम्बन्ध है, यह शिमला से 220 कि० मीटर दूर है । अतः इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

**श्री परिपूर्णानन्द मैन्थूली** (टिहरी-गढ़वाल) : मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मंत्रीजीने देश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग के रूप में पर्यटन के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया है । क्या मंत्री जी के पास इसके लिए कोई ठोस योजना है, क्योंकि यह श्रम प्रधान योजना है जिसम शिक्षित बेरोजगार काम पर लग सकते हैं । दूसरी बात यह है कि क्या वह देहराडून और मसूरी को पर्यटन में शामिल करेंगे ?

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : मंत्री जी ने यह कहा है कि वह कालीकट हवाई अड्डे के मामले पर विचार कर रहे हैं । अतः मैं जानना चाहता हूं कि उनके इस सम्बन्ध में ठोस विचार क्या हैं ? कोचीन हवाई अड्डे के विस्तार के बारे में क्या विचार हैं ?

**Shri Md. Jamilurrahman** (Kishanganj) : Chunapur Military airport, which has been abondoned, should be taken over by I.A.C. Purnea should be brought on the airmap.

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बर्दवान) : क्या इंडियन एयरलाइंस विमान में दिये जाने वाले भोजन की किस्म में सुधार करेगा ?

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna): Is it a fact that C. B. I. has investigated the charges levelled against the high officers of I. T. D. C. and if so, what decision has government taken thereon ?

[**श्री भागवत झा आजाद** पीठासीन हुए
SHRI BHAGAWAT JHA AZAD in the chair]

**श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य** (गिरिडोह) : पटना और रांची के बीच जो हवाई सेवा अस्तव्यस्त हो गई थी, उस समस्या का निराकरण यह हो सकता है कि कलकत्ता से दिल्ली तक सुबह दो उड़ानों की व्यवस्था हो । एक बोइंग उड़ान रांची पटना और लखनऊ होकर दिल्ली के लिए हो सकती है ।

**श्री राजबहादुर** : जो प्रश्न किए गये हैं, उनके मैं सविस्तर उत्तर भेजूंगा । अहमदाबाद के आधुनिकीकरण और विस्तार पर पहले ही काफी धनराशि खर्च की जा चुकी है । फिर भी हम अहमदाबाद में एक नया तकनीकी ब्लाक और एक नया "टर्मिनल कम्पलैक्स" बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । पटना आदि के बारे में भी हम इसी तरह की कार्यवाही कर रहे हैं । सीतामढ़ी का प्रश्न बेडे की स्थिति पर निर्भर है । शिमला के बारे में हमने जलियारहटों को हवाई अड्डा बनाने के लिए चुना है । श्री मैन्यूली ने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में कहा है । मैंने श्रीनगर से जम्मू, मनाली और धर्मशाला, डलहौजी, कुलू, मनाली, शिमला, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग के लिए किसी न किसी तरह सुविधायें जुटाने की कोशिश की है । मंसूरी भी है ।

कालीकट के बारे में मैंने मामला योजना आयोग के साथ उठाया है । भोजन के बारे में मुझे दृढ़ विश्वास है... **(व्यवधान)** । कोचीन के लिए 70.5 लाख रुपये की मंजूरी हो चुकी है । पूर्णिया के मामले में यह देखना होगा कि क्या प्रस्ताव व्यावहारिक है या नहीं । इंडियन एयरलाइंस ने भी अच्छा कार्य किया है ।

**सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए**

*All the cut Motions were put and negatived.*

**सभापति महोदय द्वारा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुईं ।**

*The following Demands in respect of Ministry of Tourism and Civil Aviation were put and adopted.*

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि | |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व रु० | पुंजी रु० |
| 89 | पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय . | 39,78,000 | |
| 90 | मौसम विज्ञान | 9,39,43,000 | 1,69,33,000 |
| 91 | विमानन . | 22,34,19,000 | 21,19,02,000 |
| 92 | पर्यटन . . | 3,21,57,000 | 3,56,17,000 |

## इस्पात और खान मंत्रालय

**सभापति महोदय :** अब सभा इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों पर विचार करेगी जिसके लिये 4 घंटे नियत किये गये हैं ।

**इस्पात और खान मंत्रालय की वर्ष 1976-77 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि | |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजी रु० |
| 83 | इस्पात विभाग . . | 44,04,41,000 | 326,36,25,000 |
| 84 | खान विभाग . | 23,75,000 | |
| 85 | खान और खनिज . . | 30,04,68,000 | 83,52,62,000 |

**सभापति महोदय :** श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर ।

**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) : सभापति महोदय, इस्पात मंत्रालय के इस दावे के बावजूद कि भारत में इस्पात उद्योग संकट से गुजर रहा है, सरकार ने चौथी योजना के अंत तक की 120 लाख मीटरी टन इस्पात की अधिष्ठापित क्षमता की परिकल्पना की परन्तु क्षमता म वृद्धि नहीं हो सकी । पांचवी योजना के प्रथम वर्ष में विक्रेय इस्पात की क्षमता 80 लाख मोटरी टन थी, जब कि वास्तविक उत्पादन केवल 49 लाख मोटरी टन था ।

**श्री पी० के० देव** (कालाहांडी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सभा में यह प्रक्रिया अपनायी जाती रही है कि जब कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं, तब समान्यता सदस्यों को 15 मिनट का समय दिया जाता है जिसके भीतर उन्हें उन कटौती प्रस्तावों की संख्या बतानी पड़ती है, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। परन्तु आपने यह विनिर्णय दिया है कि चूंकि सदस्य उपस्थित नहीं है, इसलिए इनके कटौती प्रस्ताव पेश नहीं किये गए हैं। मेरे अनुसार यह गलत विनिर्णय है।

**सभापति महोदय :** आप इसकी चिन्ता न करें। यदि वे 15 मिनट के भीतर आ जाते हैं, तो मैं उन्हें कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे ंगा। इस व्यवस्था के प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। मुझे नियम की भलीभांति जानकारी है ।

**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** 1975-76 के दौरान विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन लगभग 60 लाख मीट्रिक टन होगा। इस में सन्देह नहीं कि उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है किन्तु इतनी वृद्धि नहीं हुई है जिसे हम बहुत अधिक वृद्धि कह सके। अब भी इस्पात उद्योग में काफी क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है ।

सरकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पांचवी योजना के अन्त तक इस्पात का 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन होने लगेगा। जबकि भारत में इस्पात की प्रतिव्यक्ति खपत

[श्री कृष्णचन्द्र हालदर]

विश्व के न्यूनतम खपत वाले देशो के समान है फिर भी सरकार अतिरिक्त उत्पादन की बात कह रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि देश में मंदी बढ़ रही जिसे सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

सरकार के विकास कार्य और निर्माण कार्यक्रम ठप्प हो जाने के कारण भारत में इस्पात की मांग तेजी से कम हो रही है। मांग के कम होने का कारण अर्थव्यवस्था में गतिरोध भी है। इसे देखते हुए सरकार अब घाटा उठा कर भी निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है। पश्चिम देश इसका लाभ उठा रहे है, जब कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस्पात के अधिक निर्यात का अर्थ अब भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होगा।

इस्पात मंत्रालय अब संयुक्त क्षेत्र को दृष्टि में रखकर कार्य कर रहा है। वह सरकारी क्षेत्र की बलि पर गैर-सरकारी क्षेत्र को धन कमाने में मदद कर रहा है। यह बात हाल ही के उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। हाल में चौगूले एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के सहयोग से गोवा में मेसर्स मंडोवी पैलट लिमिटेड का निर्माण हुआ है। यद्यपि सरकार को इस कम्पनी में $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत इक्विटी पूंजी है तथापि वास्तविक लाभ चौगूले एण्ड कंपनी को पहुंचेगा क्योंकि प्रबन्ध में उनका हक अधिक होगा। यह सारी कम्पनी सरकारी क्षेत्र में आरम्भ की जा सकती थी। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। अतः यदि भविष्य में यही नीति अपनाई गई तो इससे सारा इस्पात उद्योग संयुक्त क्षेत्र में बदल जाएगा।

1976–77 के दौरान पिंड इस्पात का उत्पादन लक्ष्य 82 लाख टन नियत किया गया है जो 1975–76 की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। किन्तु मुझे आशंका है कि हम इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पायेंगे। इसका कारण यह है कि यह लक्ष्य उद्योग की तकनीकी क्षमता को तो ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है परन्तु ऐसा करते समय राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया है। दूसरा कारण यह है कि यद्यपि यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उत्पादन में कोई बाधा नहीं आएगी फिर भी दुर्गापुर में दो कारखाने अर्थात स्लीपर प्लांट और फिश प्लेट प्लांट पहले ही बन्द हो चुके हैं और व्हील एक्सल प्लांट तथा स्केल्प मिल को आर्डर नहीं मिल रहे हैं।

इसके बाद मैं विस्तार के सम्बन्ध में भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। दुर्गापुर धातु मिश्रित इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में बहुत आश्वासन दिए जा चुके हैं। अब इस संयंत्र का विस्तार करना नितान्त आवश्यक हो गया है, यद्यपि इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है क्योंकि आरम्भ से ही यह अपने तैयार माल के विविधीकरण पर निर्भर रहा है। इस संयंत्र के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अतः मैं समझता हूं कि इसके लिए धन की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। इस कारखाने में पहले वर्षों की तरह इस वर्ष भी अच्छा कार्य हुआ है। लेकिन इस संयंत्र के विस्तार के बारे में सरकार ने हतोत्साहित करने वाला कार्य किया है। इस संयंत्र में यदि थोड़ी सी भी पूंजी लगा दी जाए तो तिगुना उत्पादन हो सकता है।

स्टाक भारी मात्रा में जमा हो जाने तथा उपभोक्ताओं द्वारा भारी राशि का भुगतान न किए जाने के कारण निराश होकर इस्पात प्रबन्धकों ने इस्पात कर्मकारों को तंग करना शुरू कर दिया है। आम कर्मकार का कार्यभार बढ़ गया है तथा उसकी आय कम हो गई है। उसके विरूद्ध किसी भी बहाने से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। कर्मचारियों को बिना कोई कारण बतलाए नौकरी से निकालने की घटनाएं प्रायः घट रही है। छोटे से अपराध पर भी

कई कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है। कर्मिक संघों के प्राय: सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। ज्यादती करने पर प्रबन्धकों के विरूद्ध शिकायत करने का अधिकार भी छीन लिया गया है। कर्मका ों का शोषण किया जाता है जबकि राजनीतिक कारणों से कुछ नेताओं को विशेष सुविधायें दी जाती है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन सभी कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर बहाल किया जाए जिनको बिना कोई कारण बताए छोटे मोटे कसूर पर नौकरी से निकाल दिया गया था। इस्पात की ऐसी सब चीजों का आयात बन्द कर दिया जाना चाहिए जो देश में बनाई जा सकती है ।

यह बहुत खेद की बात है कि लगभग सभी लघु इस्पात संयंत्र बन्द पड़े है। इससे हजारो लोग बेकार हो गए । सरकार उन् ोजगार देने में असफल रही है। वे लोग अब भूखे मर रहे हैं। यदि सरकार अवमूल्यन लागत न लेकर इस्पात का निर्यात करने के लिए सहायता देने को तैयार है तो फिर सरकार ऐसे उपाय करने के लिए विचार क्यों नहीं करती जिनसे लघु इस्पात संयंत्रों को फिर से चालू किया जा सके ।

आपातकाल की स्थिति में भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों नें हिन्दुस्तान इस्पात कर्मचारी संघ के संयुक्त सचिव को बिना कोई कारण बता मनमाने ढंग से नौकरी से निकाल दिया है। इस्पात मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया गया था तथा वह इस मामले की जांच करने के लिए तैयार हो गए थे। परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दूसरी ओर इस मामले को दबाया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा की वह स मामले पर गम्भीरता से विचार करे और क ोर कदम उठाए ताकि प्रबन्ध में जो कदाचार व्याप्त है वह आगे बन्द हो सके ।

भिलाई स्पात संयंत्र में क बड़ी विचित्र सी चीज हो रही है। जबकि विभागीय निर्माण-कार्य बन्द पड़ा है फिर भी जो काम किया जा सकता है, वह भी ठेकेदारो को दिया जा रहा है। इस तरह से अधिकारी और ठेकेदार सरकारी क्षेत्र को धोखा दे रहे है । सरकार इस बारे में कोई का वाही नहीं कर रही है। भिलाई के बारे में एक ओर बात मे कहना चाहता हूं और वह यह है कि प्रबन्धक इंटक के सिवाय किसी पंजीकृत कार्मिक संघ को काम करने के लिए स्थान नहीं दे रहे हैं। स्थान के बिना वे कैसे काम कर सकते है। हमारी प्रधान मंत्री संयंत्र की हाट स्ट्रिप मिल को पुन: चालू करने के लिए 1 मई को बोकारो गई थी। उससे पहले कई इस्पात कर्मकारो को गिरफतार किया गया था। जब आप को उन पर विश्वास नहीं है तो फिर बोकारों इस्पात के कर्मका ो की प्रशंसा करने का क्या अर्थ है ।

राउरकेला में इस्पात संयंत्र के प्रबंधकों ने सी० आई० टी० यू० संघ के एक पदाधिकारी को बिना कोई कारण बताए नौकरी से निकाल दिया था। इसी संयंत्र के अधीन टेंसा खान में कार्मिक संघ के एक वरिष्ठ नेता को भी बिना कोई कारण बताए नौकरी से निकाल दिया गया है। आपात कालीन शक्तियो का कर्मकारों के वि द्ध इस तरह से दुरूपयोग किया जा रहा है। सरकार कर्मकारो को प्रतिकूल स्थितियों में कुछ समय तक तो काम करने के लिए बाध्य कर सकती है किन्तु वह ऐसा अनिश्चित काल तक नहीं कर सकती।

पश्चिम बंगाल में बाकुरा में आ-ब्रम खान को 2 जून से बन्द करने का नोटिस दे दिया गया है। इस खान में 500 आदिवासी संथाल कर्मकार कार्य कर रहे है, उन्हें दो रूपए प्रति दिन के हिसाब से मजूरी मिलती है। यदि यह खान बन्द हो गई तो वे सब भूखे मर जायंगे। अत: मैं सरकार से अनु ोध करूंगा कि वह इस गैर-सरकारी खान को अपने नियंत्रण में ले ले।

[श्री कृष्णचंद्र हालदर]

मंत्रालय के प्रतिवेदन में चसनाला की दर्दनाक घटना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जहां लगभग 375 कर्मचारी जान से हाथ धो बैठे है। गतवर्ष अन्य खानों में भी ऐसी अनेक घटनाएं घटी है जिनमें सैंकडों कर्मचारी मारे गए। किन्तु प्रतिवेदन में उनका भी उल्लेख नहीं किया गया है।

इस्पात उद्योग में भी घातक दुर्घटनाओं की संख्या बहुत है। इस्पात उद्योग में सुरक्षा सेमिनार को प्रस्तुत किए गए कुछ कागजातों में इसका उल्लेख किया गया है। किन्तु सरकार इसके बावजूद भी कर्मकारो की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है।

इस्पात और खान उद्योग में हाल में कई दुर्घटनाएं हुई है। इन दुर्घटनाओं का कारण प्रबन्धको और सरकार की येनकेन प्रकारेण उत्पादन बढाने की उत्सुकता थी। सभी दुर्घटनाओं का रिकार्ड तैयार किया जाना चाहिए। रिकार्ड तैयार होने से ही दुर्घटनाएं होने के कारणों का पता लगाया जा सकता तथा उन कारणो को दूर करने के लिए उपाय कि जा सकते है।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस्पात उद्योग को सुदृढ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके लिए अधिक ंजी लगाई जाए, इसका विस्तार किया जाए, इसका विविधीकरण किया जाए, नई तकनीक लाई जाए, प्रबन्ध में कर्मकारों को प्रभावी ढंग से सहभागी बनाया जाए तथा कीमते कम करके मांग को प्रोत्साहित किया जाए तथा सहायता से किए जाने वाले निर्यात को रोका जाए।

इन शब्दो के साथ मांगों का विरोध करता हूं।

**Sardar Swaran Singh Sokhi** (Jamshedpur): First of all I would like to congratulate the Minister of Steel, Shri Chanderjit Yadav for record production of Steel in the Public Sector plants. The output of Durgapur Steel Plant has now increased to 7.51 lakhs tonnes which is a record production. It is 44.4 p.c. more than the production during 1963-64.

I feel that Government has done a very good job by taking over Indian Iron and Steel Company. Its rehabilitation is no doubt commendable in spite of the fact that old and obsolete machinery was installed there. But in order to bring it on sound footing more funds are required. Government should not hesitate in allocating the required funds.

It is heartening to note that TISCO has given 99.1% production inspite of its old machinery. The Ministry has no doubt done a praise-worthy work so far as production in steel plants is concerned.

The long term planning for 25 years is going to bear fruits and as such more serious thought should be given to it.

So far as labour participation in management is concerned, I think it would be better if a representative of the labour is given a place in the Board of Directors because by doing so, we will be able to make them more responsible.

According to the policy of the Government, 80% labourers are to be provided with accommodation, whereas it has been provided to only 40%. Action should be taken to provide accommodation to the remaining 40% also.

Educational institutions, specially colleges should be opened specially for the children of employees working in the steel plants. These colleges should be equipped with all the amenities. A memorandum containing certain demands was submitted to the hon. Minister on 1-5-1976 by the labour of the Bokaro Steel Plant. Some of the demands are good and these should be accepted.

As regards Chasnala accident, I feel that there is something wrong with the administration there. Officers concerned should therefore be pulled up.

It is regretted that TISCO has recently resorted to retrenchment. Instructions should be given to this company not to retrench the labour. In order to protect the interest of labour, more control should be exercised on that company. I think, it should even be nationalised. But if it is not possible to do so, at least Government should take over their steel plant.

The office of the Hindustan Copper at Calcutta is overstaffed. There are 31 Officers to supervise the work of 78 subordinate employees. The monthly payments amount to Rs. 1,26,000. There are three Managers and one chairman, whereas one Manager is enough to look after the whole work. A sum of Rs. 18,56,604 is being spent every year to run that office. This is a heavy expenditure and should be reduced. The rent of the office building owned by Birla family is on the high side and it should be got fixed under the provisions of the Rent Control Act. At the same time all leakages of revenue should be stopped.

So far as apprenticeship is concerned, efforts are being made to implement the provisions of the Apprentices Act in the public sector under 20 point economic programme. At present there are 295 graduate Engineers, 113 technical apprentices and 2034 trade apprentices under training in the five Steel Plants. It is a very small number keeping in view the size of these plants. The number of such apprentices should be increased. It should also be seen that they are obsorbed in these very plants after completion of their training.

While supporting the Demands of the Ministry, I would request the hon. Minister to pull up the Officers working in the Ministry.

**श्री ओ० वी० अलगेशन** (तिरूत्तनी) : इस्पात के संबंध में हम स्वर्गीय श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की दूरदर्शिता के आभारी है। क्योंकि ये स्पात कारखाने उनकी दूरदर्शिता के परिचायक है। आरम्भ में इन कारखानों की क्षमता कुल मिलाकर 30 लाख मीटरी टन इस्पात तैयार करने के लिये थी। जब कि अब 20 वर्षों के पश्चात् इन में लगभग 60 लाख मीटरी टन इस्पात का उत्पादन हो रहा है आशा है अगले 10 वर्षों में इन में इस से भी दुगना उत्पादन होने लगेगा। वास्तव में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी को सरकारी क्षेत्र में इस्पात उद्योग का बानी कहा जाना चाहिये । सरकारी क्षेत्र में हमारे सभी 129 यनिटों में लगे 7,000 करोड़ रूपये के कुल निवेश में से इस्पात उद्योग में 2,000 करोड़ रूपये का निवेश लगा हुआ है जोकि कुल निवेश का 30 प्रतिशत है। इस प्रकार इस्पात उद्योग मे हमारे कुल निवेश का एक बहुत बड़ा भाग लगा हुआ है। परन्तु खेद है कि इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगो पर हर वर्ष सभा में विचार करने का अवसर नहीं दिया जाता है। मेरे विचार में अर्थ से सम्बन्धित सभी मंत्रालयों की मांगो पर सभा में विस्तार से विचार किया जाना चाहिए जिससे हमें और हमारे देशवासियों को सही स्तिति का पता चल सके। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे मंत्रालयों की मांगों को उन पर चर्चा किये बिना ही पास कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में संशोधन करके ऐसा उपबन्ध किया जाये जिससे हम इन मंत्रालयो के बारे में बाद में भी विचार कर सकें।

मंत्रालय और स्टील आथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र है। वर्ष 1975-76 में 57 लाख मीटरी टन इस्पात का उत्पादन हुआ जो कि 1974-75 में हुए उत्पादन की तुलना म 16.4 प्रतिशत अधिक है। रेलवे ने भी बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने कारखानों को कच्चा माल आदि पहुंचाने और निर्मित माल को वहांसे हटाने के लिये निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक कार्य किया। यह एक बहुत ही उत्साहवर्धक बात है।

[श्री ओ० वी० अलगेशन]

परन्तु एक बात जो इतनी उत्साहजनक नहीं है वह यह है कि इस्पात का निर्यात देश में बाजार भाव से कम भाव पर किया जा रहा है। यह तो एक अच्छी बात है कि हम इस्पात से विदेशी मुद्रा कमायें परन्तु यह ठीक नहीं है कि इससे हमें हानि हो। मेरे विचार में स्पात की बजाए हमें निर्मित माल का निर्यात करना चाहिये। मुझे पता लगा है कि 1975–76 में हुए 57 लाख मीटरी टन के उत्पादन में से 6 लाख से अधिक मीटरी टन इस्पात का निर्यात किया गया और 1976–77 में होने वाले 65 लाख मीटरी टन इस्पात में से 20 लाख मीटरी टन इस्पात का निर्यात करने का विचार है। शेष बचा इस्पात इतने बड़े देश के लिये पर्याप्त नहीं है। देश में इतनी कम खपत का अर्थ यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई आधारभूत कमी है जिसे दूर किया जाना चाहिए।

जब वर्ष 1973 में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। उस समय श्री आर० एस० पाण्डेय ने स्वर्गीय श्री कुमारमंगलम से यह पूछा था कि इसका देश तथा संसद् के प्रति क्या उत्तर दायित्व होगा। तब मंत्री महोदय ने यह कहा था :

तत्कालीन मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सरकार ने यह स्पष्ट रूप से विहित किया है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया अपने संगठन के कार्यभरण के बारे में हर छ: महीने बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। परन्तु अर्ध मासिक रिपोर्ट जो सरकार और संसद् के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए थी हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है।

लोहा और इस्पात के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने के प्रश्न पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सरकार तथा स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मंत्रालय का सचिव पद और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड का अध्यक्षपद एक ही व्यक्ति को सौंपा हुआ है। एक व्यक्ति के लिए इतना कार्य संतोषजनक ढंग से चलाना बहुत बड़ा काम है और यह प्रशासन सम्बन्धी सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रशासनिक सुधार आयोग, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि इन दोनों पदों को एक पद में नहीं मिलाया जाना चाहिए और ये उत्तरदायित्व अलग अलग व्यक्तियों को सौंपे जाने चाहिए। इन दो पदों को शीघ्र ही अलग-अलग कर दिया जाना चाहिए। मंत्रालय का सचिव पद किसी प्रौद्योगिकी विद को सौंपा जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग के प्रकार के बहुत बड़े साम्राज्य है। उनका आकार मंत्रालयों से भी बड़ा है जिन्होंने इनका निर्माण किया है। इनकी आर्थिक शक्ति राज्य सरकारों से बड़ी है। ये बहुराष्ट्रीय निगमों के बराबर है। सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के कार्यकारी पदाधिकारी नये महाराजा तथा नबाब है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय सरकारी क्षेत्र उन उपक्रमों पर नियंत्रण कर पायेंगे।

जहां तक स्पात मंत्रालय में क्षमता उपयोग का सम्बन्ध है वर्ष 1974–75 और 1975–76 में हमने निश्चित ही अच्छा कार्य किया है। यह उल्लेखनीय है कि 1960 से 1963 के दौरान गैर-सरकारी कारखाने टिस्को ने अपनी 100 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया। इसी प्रकार इस्को ने 1960–70 के दौरान एक वर्ष में ही शत प्रतिशत उत्पादन क्षमता

का उपयोग करने लगा। इस वर्ष भी यह शतप्रतिशत क्षमता का उपयोग करेगा । परन्तु कई इस्पात संयंत्रो में अभी भी क्षमता का पूरापूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है । स ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक मुनाफा कमाने की क्षमता का सम्बन्ध है, 1973-74 में इस्पात उद्योगों को 5.72 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। 1974-75 में 37 करोड़ पये का लाभ हुआ। हिन्दुस्तान स्टील लिमि ड ने 48 करोड़ पये का मुनाफा कमाया किन्तु बोकारो इस्पात कारखाने को घाटा हुआ है। लेकिन समग्र रूप में 36.59 करोड़ पये का लाभ हुआ है। विचारणीय है कि इस्पात उद्योग द्वारा लि गये सरकारी ऋण का क्या हुआ? इस्पात उद्योग ने सरकार से 844 क ड़ रुपये का ऋण लिया है। यदि हम 9 प्रतिशत की दर से इस ऋण पर ब्याज लगायें तो 36.59 करोड़ रुपये का यह लाभ 12 करोड़ रुपये के घाटे में बदल जायेगा। किन्तु इस ऋण पर ब्याज 3 प्रतिशत की दर से लगाया गया है। मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि ब्याज की दर इस तरह निर्धारित क्यों की गई है और तब मुनाफा दिखाया है।

1973-74 में 546 करोड़ रूपये मूल्य की बिक्री हुई थी। 1974-75 में यह बिक्री बढ़कर 865 करोड़ रुपये हो गई। इससे लगभग 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है यद्यपि रुपये का मूल्य बढ़ गया है तथापि बिक्री की मात्रा न्यूनाधिक रूप से उतनी ही रही है। बिक्री में बढ़ौतरी का अधिकांश भाग तो मूल्य वृद्धि के कारण हुआ है।

सेलम परियोजना 340 करोड़ की लागत से 1972 में स्वीकृत की गई थी। अब इसकी लागत बढ़कर 517 करोड़ रुपये हो गई है। सेलम संयंत्र पर इन वर्षों मे केवल 12 करोड रुपये व्यय किये गये हैं। यह व्यय केवल भूमि सम्बन्धी कार्यों, स्थल की तैयारियों तथा निर्माण कार्यों पर हुआ है। 1976-77 के लिए सेलम इस्पात लिमिटेड ने 16 करोड़ रुपये की मांग की है जबकि इस्पात मंत्रालय 3 करोड़ रुपये से अधिक नहीं दे पाया है। मंत्री जी को इस परियोजना के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए और इस्पात संयंत्रों के लिए 16 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहां कार्य अधिक तेजी से हो सके।

**श्री डी० के० पंडा** (भंजनगर) : पिछले वर्ष की अपेक्षा इस्पात के उत्पादन में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं कर्मकारों को जिन्होंने आपात स्थिति के दौरान अपने अधिकारों तथा आय के एक बहुत बड़े भाग का त्याग किया, और मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। परन्तु मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस्पात उत्पादन के मामले में चल रही विरोधाभास की स्थिति की ओर दिला रहा हूं। एक ओर तो इस्पात मंत्री, प्रधान मंत्री आदि सभी इस्पात का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाने की बात कहते रहे हैं परन्तु दूसरी ओर कर्मकारों, इंजीनियरों आदि में यह प्रचार कर उनका उत्साह कम किया जा रहा है कि आर्थिक मंदी के कारण इस्पात का काफी स्टाफ बिना बिका इकठ्ठा होता जा रहा है। अत: मंत्री महोदय कृपया इस परस्पर विरोधी स्थिति पर प्रकाश डालें। हमें लौह अयस्क का निर्यात करना बन्द कर देना चाहिए क्योंकि उसका उपयोग हम अपने देश के औद्योगिकरण के लिए कर सकते हैं।

निस्संदेह, उत्पादन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र ने अच्छा कार्य करके दिखाया है, परन्तु उसके कर्मकारों को क्या प्रतिफल मिला है? राउरकेला इस्पात कारखाने में 14 ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं का नौकरी से निकाल दिया गया है। जहां तक कर्मकारों को प्रबन्ध में शामिल करने का सम्बन्ध है वह दुर्गापुर के ढंग से किया जाना चाहिए।

[श्री डी० के० पंडा]

आई० आई० एस० सी० ओ० में संविदा के बारे में मुझे बर्नपुर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं वहां संविदा श्रमिक प्रणाली से बहुत गड़बड़ी पैदा हो गई है। जो प्रथम अखिल भारतीय समझौता हुआ था उसमें यह निर्धारित किया गया था कि उद्योग स्थायी तथा बारहमासी किस्म की नौकरियों में श्रमिकों की संविद प्रणाली से नियुक्त नहीं करेंगे। 1971 में संयंत्र स्तरीय समझौता किया गया था जिसमें यह निर्धारित किया गया कि इस तरह के सभी कर्मकारों को छह मास के भीतर नौकरी दे दी जायेगी। चार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं अब तक केवल 600 कर्मकारों को नौकरी दी गई है और स्वीकृत सूत्र के अनुसार अब भी 1200 कर्मकार बाकी हैं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऐसे सभी संविद श्रमिकों को जो बारहमासी स्वरुप का कार्य कर रहे हैं, तुरन्त नौकरी पर लिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में 30 जुलाई, 1975 को और जो समझौता हुआ था उसे भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। इस प्रकार इन नियमों तथा समझौतों की अवहेलना की जाती रही है। अतएव जहां तक बर्नपुर का सम्बन्ध है, संविद श्रमिक प्रणाली तुरन्त समाप्त की जानी चाहिए।

यहां तक भिलाई का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदायी समिति के निर्णय के बावजूद भी एन० एम० आर० कर्मकारों की संख्या बढ़ रही है। उनकी संख्या बढ़कर अब 3000 हो गई है। इन 3000 कर्मकारों को नियमित कर्मकार बनाया जाना चाहिए।

जहां तक टिस्को का सम्बन्ध है, वहां हालत और भी खराब है। वहां अभी हाल ही में 7 फरवरी 1976 को 2200 कर्मकारों की छंटनी की गई है। सरकार को चाहिए कि उसके वस्तुतः रुग्ण होने से पूर्व वह उसे अपने हाथ में ले ले क्योंकि इसमें सरकार ने 45 प्रतिशत शेयर पूंजी का निवेश किया हुआ है।

जहां तक इस्पात संयंत्रों के विस्तार का सम्बन्ध है, दुर्गापुर, में हुए कार्य ने मार्गदर्शन किया है। उसने बहुत प्रगति की है इसलिए इसका विस्तार किया जाना चाहिए। राउरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार भी शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए।

जहां तक गैर-कोयला खानों के विकास का सम्बन्ध है, देश की खनिज सम्पत्ति का विकास करने के लिए वैज्ञानिक तरीके, अनुसंधान कार्य उच्च स्तरीय टेक्नोलाजी आवश्यक है, उड़ीसा लोह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट आदि का उत्पादन करने में अग्रणी है। इस समय गैर कोयला खानों का कार्य आरम्भ करना आवश्यक तथा उपयुक्त है। विशेषतः इस कारण भी जब कि हम इस्पात की भांति इस बारे में भी एक समेकित नीति अपनाना चाहें।

चूंकि गैर कोयला खानें गैर-सरकारी हाथों में हैं जिस कारण बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है। इनके खनन कार्यक्रम में भी अव्यवस्था है। उड़ीसा में केवल एक स्थान पर 185 खानें बेकार पडी हैं जिनमे से इस समय 140 पट्टे पर हैं। यदि इन खानों को हम अपने हाथ में ले लें तो इससे देश को भारी लाभ होगा क्योंकि हम जानते हैं कि खनिज संसाधनों का विकास इन गैर सरकारी कम्पनियों से नहीं हो सकता। ये कम्पनियां तो केवल कर्मकारों की छटनियां किया करत हैं, बाधिल क्षेत्र में 5000 कर्मकारों की छंटनी की गई है। इसलिए इन गैर-कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की खानों के प्रबन्ध में श्रमिक प्रतिनिधि कहीं भी नहीं हैं। प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने से कार्य सुचारु रुप से चलेगा और इसलिए ऐसा प्रभावशाली ढंग से

किया जाना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम इन खान मालिकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

**Shri Jagannath Mishra** (Madhubani): The hon. Minister deserves congratulation for his performance and appreciation for his approach toward establishment of socialistic pattern of society. . . .

**Mr. Chairman:** The hon. Member may continue his speech tomorrow. Now the Lok Sabha stands adjourned.

**इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार 11 मई, 1976/21 वैशाख, 1898 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the May* 11, 1976/*Vaisakha* 21, 1898 (*Saka*)



भा०स०मु०ना०—1 एल०एस०एस० (एन०डी०)/76—20-8-76—200.